खण्ड-162, अंक-3
गुरूवार, 24 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(15 दिसम्बर, 1955 ई0)

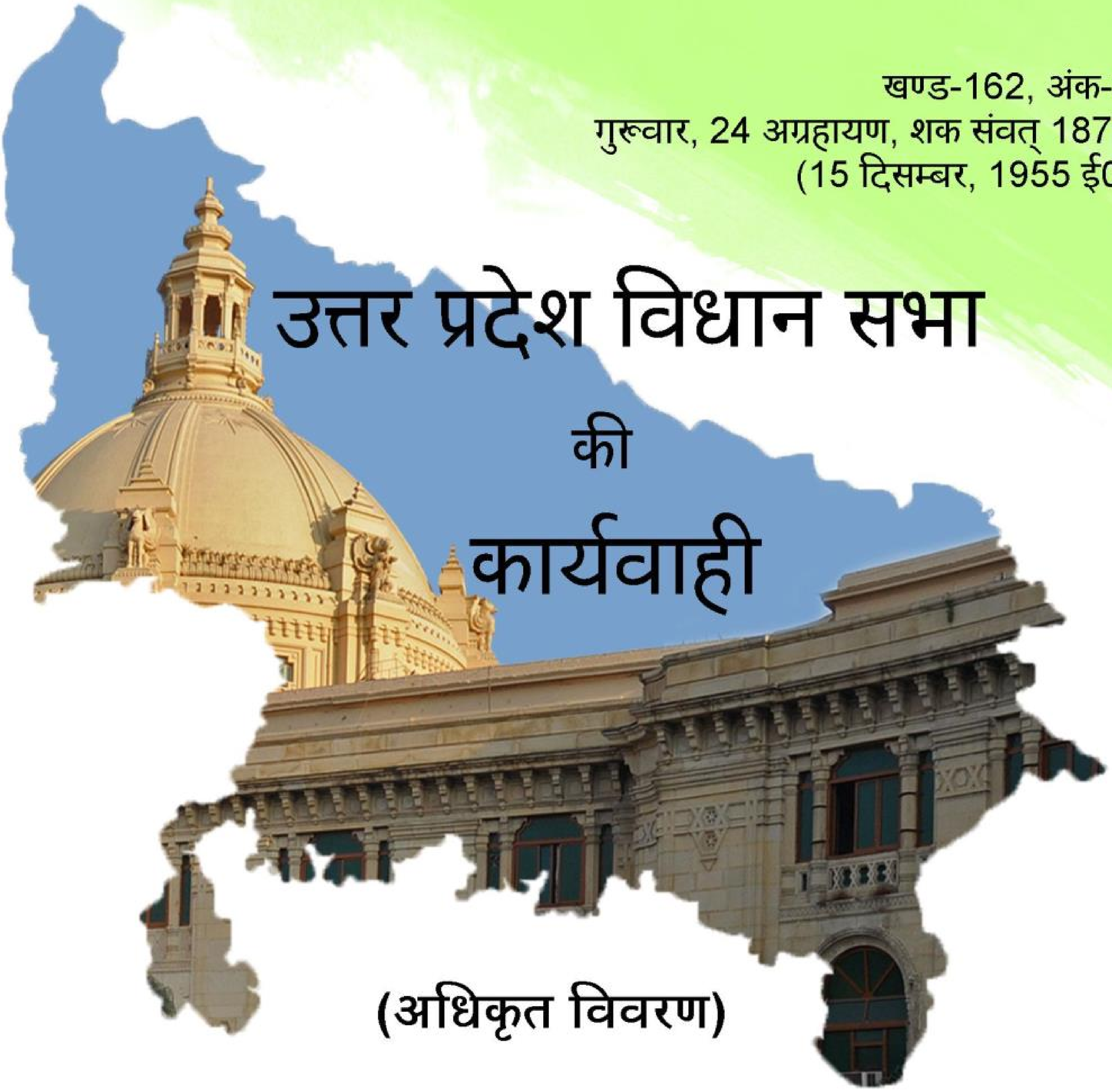

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 162 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
25 JUL 1956
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १५ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख्याली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री

भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगाला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती

लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्राम राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास , श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री बलदेव सिंह (गोंडा) ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १५ दिसम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

*१--३--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--[२८ दिसम्बर, १९५५ के लिए प्रश्न ६६-६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए गए।]

इलाहाबाद में जुये के मामले

*४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद नगर म अगस्त, १९५४ से सितम्बर, १९५५ तक कितने जुए पकड़े गए?

पुलिस उप-मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--१६२।

*५--श्री कल्याण चन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १ अगस्त, १९५४ से सितम्बर, १९५५ तक पकड़े गए कितने जुआड़ियों की जमानत कोतवाली से हुई और कितनों के चालान कचहरी भेजे गए?

श्री जगनप्रसाद रावत--कोतवाली पुलिस ने कुल ४७४ जुआड़ियों को पकड़ा जिनमें स २१३ को जमानत पर छोड़ दिया और बाकी २६१ को हिरासत में मैजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि १६२ जुओं से कितन आदमी पकड़ गए?

श्री जगनप्रसाद रावत--प्रश्न ५ के उत्तर में बताया गया है कि ४७४ आदमी पकड़े गए।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--यह संख्या, जो आपने बतलाई है, वह केवल कोतवाली की बतलाई है, परन्तु जो संख्या आपने दी है वह १६२ नगर की संख्या है।

श्री जगन प्रसाद रावत--सारे शहर की संख्या के लिये नोटिस की आवश्यकता ह।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि दिवाली के त्योहार पर कितने जुए पकड़े गए और उसके अलावा शहर में साल भर में कितने जुए पकड़े गए?

श्री जगनप्रसाद रावत--इस तफसील के लिये भी नोटिस की जरूरत है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि कुछ लोगों की कोतवाली म जमानत न हो कर अदालत में जमानत की गई, ऐसा क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह जुए का अपराध ऐसा ही है जिसमें जमानत ली जा सकती है। तो जिन अभियुक्तों ने कोतवाली में जमानत जमा कर दी उनकी जमानत वहां ले ली जाती है और जिन्हों ने वहां नहीं दी वह मैजिस्ट्रेट के सामने भेज दिए गए।

मानसिंह डाकू के परिवार के लोगों की गिरफ्तारी

*६--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि मानसिंह डाकू के परिवार के कितने आदमी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने आदमी जान से मारे गए ?

श्री जगनप्रसाद रावत--मानसिंह तथा उसका पुत्र सूबेदार सिंह जान से मारे जा चुके हैं। उसका पुत्र तहसीलदार सिंह तथा प्रपौत्र जरनेल सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार बतलायेगी कि मानसिंह के परिवार के किन-किन लोगों के नाम वारंट है और किन की गिरफ्तारी के लिये कितना-कितना इनाम छापा गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उनके परिवार में एक भारत सिंह और है। उसके मुताल्लिक कहा जाता है कि यह भी गग में शामिल हो गया है और उसके परिवार में और किसी की बाबत सूचना नहीं है।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि मानसिंह कब और किस स्थान पर मारा गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--मानसिंह को लगभग ३ १/२ महीना हुआ कि वह मध्यभारत के एक स्थान पर मारे गए ।

श्री राज नारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मानसिंह और सूबेदार सिंह एक ही स्थान पर नहीं मारे गए ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सरकार के पास सूचना यह है कि वह एक ही स्थान पर मारे गए ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि क्या यह सही है कि मानसिंह गोली से नहीं मारे गए बल्कि उनको जहर दिया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जहां तक जांच कराने पर पता लगा है उससे माननीय सदस्य की यह इत्तिला सही नहीं है। सरकार को यह पता है कि वह गोली से मारे गए हैं।

गाजीपुर बिजली कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें

*७--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार के पास गाजीपुर बिजली कम्पनी के विरुद्ध कुछ शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्म सिंह)--जी हां, गाजीपुर बिजली कम्पनी के विरुद्ध, जो शिकायतें सरकार के पास आई हैं, उनकी एक सूची संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३९-२४० पर)

*८--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन शिकायतों पर वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्म सिंह--इन शिकायतों पर सरकार ने जो कार्यवाही की है वह भी संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३९-२४० पर)

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब हाई-डल सप्लाई के पहिले यह शिकायतें सरकार के पास पहुंच चुकी थीं तो सरकार ने हाईडल से बिजली सप्लाई क्यों कराई, स्वयं बिजली कम्पनी का संचालन क्यों नहीं किया ?

श्री धर्म सिंह--जब सरकार के पास शिकायत आयी थी तभी पता लगा था कि वहां पर बिजली की कमी है, उसके बाद वहां पर बिजली सप्लाई की गयी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह बात सत्य है कि जिन उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं लगा है उनसे एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली जाती है, अगर हां तो वह किस प्रकार से ली जाती है और क्या उससे सरकार को कुछ आर्थिक हानि भी होती है ?

श्री अध्यक्ष--यह तीन सवाल आप एक बार ही कर देते हैं। अलग अलग करके पूछिए।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--जिन उपभोक्ताओं के पास मीटर नहीं है उनसे एलक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली जाती है ?

श्री धर्म सिंह--इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। सूचना की आवश्यकता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सही है कि कम्पनी से जो वार सरचार्ज लिया जाता है उसको समाप्त करके सरकार साधारण दर को बढ़ाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह--यह तो इन के उत्तर में कह दिया गया कि कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही होने पर कुछ निर्णय किया जायगा।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हाईडल से सप्लाई मिल जाने पर बिजली की दर में कमी की जायगी ?

श्री धर्म सिंह--जी नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार हाईडल से किस दर पर बिजली कम्पनी को सप्लाई करती है ?

श्री धर्म सिंह--मेरे पास इस समय इसके आंकड़े नहीं हैं। माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद में बतला दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली कम्पनी के विरुद्ध कौन-कौन शिकायतें हैं ?

श्री धर्म सिंह--बहुत सी शिकायतें हैं, वहां बिजली की कमी थी, जो इंजीनियर वगैरा रखे गए थे वे क्वालीफाइड नहीं थे, वहां पर आडिट वगैरा भी नहीं हुआ था, इस प्रकार की बहुत सी शिकायतें थीं।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गाजीपुर जिले में ७० किलोवाट बिजली मऊ से दे दी गयी है उसके बावजूद भी २४ घंटे में तीन बार बिजली फेल हो जाती है ?

श्री धर्म सिंह---ऐसी सूचना तो कोई नहीं है, क्योंकि जो कमी पारसाल थी उसमें काफी सुधार हो गया है, लेकिन अगर अब भी किसी प्रकार की कमी पायी जायगी तो कार्यवाही की जायगी।

कानपुर में जूही थाने के अन्तर्गत नृशंस हत्याओं के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

*९---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर मे जुही थाने के अन्तर्गत जो नृशंस हत्यायें हुई हैं, पुलिस उनका पता लगाने में सफल हुई है? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां, इस सम्बन्ध में अब तक दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

*१०---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस घृणित कांड की जांच कराने के लिये किसी उच्चाधिकारी को नियुक्त किया है?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस हत्याकांड का पता लगाने में क्या सफलता प्राप्त हुई है?

श्री जगन प्रसाद रावत---मैंने निवेदन किया कि दो व्यक्ति, जिनका संबंध इस घटना से बतलाया जाता है, गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि हत्याकांड का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई है, तो क्या पता लगा है, यह प्रश्न है?

श्री जगन प्रसाद रावत---जो हत्याकांड हुआ है उसके संबंध में ही दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं।

श्री देवदत्त मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---यह मैं थोड़े ही उनको बतला सकता हूं कि कैसा वे जवाब दें; जो जवाब मिला है उससे आप समझ लें या दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो दो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका क्या नाम है और कहां के रहने वाले हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---एक का नाम तो रामबहादुर सिंह जो रायबरेली का रहने वाला है और दूसरे का नाम इस समय मेरे सामने नहीं है।

श्री हमीद खां (जिला कानपुर)---क्या सरकार को पता है कि जूही में जो घटना हुई और कार से की गई वह कार किसकी थी?

श्री जगन प्रसाद रावत---वह कार स्वदेशी हाउस, जैपुरिया की थी।

श्री हमीद खां---जिनकी कार थी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगन प्रसाद रावत---कार अभी हिरासत में है, कार से नहीं बल्कि हत्या से उनका क्या संबंध था, इस संबंध में कोई ऐसी बात मालूम नहीं हुई जिससे कोई कार्यवाही की जाय।

नोट---तारांकित प्रश्न ९---११ श्री देवदत्त मिश्र ने पूछे।

श्री नेक राम शर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि इन्हीं जैपुरिया ब्रदर्स ने अपने ड्राइवर को लाइसेंस दिलाया और खुद रुपया बन्दूक क लायसेंस की कीमत चेक से दिया ?

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मामला अदालत के सुपुर्द है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--अभी इंन्वेस्टीगेशन स्टेज में है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार को पता है कि इन्हीं जैपुरिया ब्रदर्स ने अपने ड्राइवर को लायसेंस दिलाया और खुद रुपया बंदूक के लायसेंस की कीमत चेक से दिया ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री राम कुमार शास्त्री--इस घटना की जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसकी जांच एक हमारे एस० पी० सी० आई० डी० और एक काफी सीनियर डी० एस० पी० कर रहे हैं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बतायेगी कि इस संबंध में किसी गवाह के द्वारा जपुरिया का जिक्र आया ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह तो आप अदालती कार्यवाही कर रहे हैं और इसका असर यदि अदालत में मामला गया तो उस पर पड़ेगा। व्यक्तिगत प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनका कत्ल हुआ उनम किसी का दूर दराज का संबंध जैपुरिया ब्रदर्स से है ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप किसी व्यक्ति पर प्रश्न न कर। म समझता हूं कि जिन प्रश्नों क द्वारा अदालती कार्यवाही पर असर पड़ने वाला हो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हत्या में जो बंदूक काम में लायी गई ह, वह पकड़ी गई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह बन्दूक किसकी ह ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जो बंदूक हासिल हुई है वह चंद्रिका सिंह ड्राइवर की बताई जाती है।

श्री अध्यक्ष--मैं सिर्फ माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जो मामला आगे चल कर अदालत के सिपुर्द होगा तो उसके संबंध में इस सदन का यह कार्य नहीं ह कि इस सदन को ही अदालत बना दें और यह भी नहीं समझना चाहिये कि गवर्नमेंट डार्क में है कि उसको इस दृष्टि से क्रास इक्जामिनेशन करें ऐसा कि जैसे उसका ही कोई प्रत्यक्ष कसूर है। इन दोनों बातों को एवायड करना चाहिय। सवालों का यह तरीका नहीं है कि जिससे कोई व्यक्ति जो यहां अनुपस्थित है उसके मामले पर असर पड़े। इन बातों को एवायड कर आप सवाल करें।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह इंक्वायरी कब स चल रही है और कब तक चलेगी और क्या स्काटलैन्ड यार्ड से किसी व्यक्ति को बुलाकर इसकी जांच कराने का इरादा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इस घटना को हुए ५ महीन हो गए। तभी से इसकी जांच हो रही है और अभी इंक्वायरी में कितना समय लगेगा यह कहा नहीं जा सकता। स्काटलैन्ड यार्ड का जहां तक संबंध है उसके लिये मुझे यही कहना है कि अब अंग्रेजी हुकूमत चली गई और अब हम वहां से किसी को बुलाने वाले नहीं हैं।

भ्रष्टाचार विरोधी समितियों का पुनर्संगठन

*११--**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐंटी-करप्शन कमेटीज का संगठन किन-किन जिलों में हो चुका है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--संबद्ध सूची में उल्लिखित २५ जिलों में भ्रष्टाचार विरोधी समितियों का पुनर्संगठन हो चुका है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४१ पर)

तहसीली खजानों में तहसीलदारों से काम लेना

*१२--**श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने अन्य विभागों की तरह तहसीलों में भी अपने खजांची न रखकर सदर खजांची द्वारा नियुक्त तहवीलदारों स काम लेन का तरीका केवल तहसीलों में ही क्यों कायम रक्खा है ?

श्री धर्म सिंह--विभागीय कार्यालयों के रोकड़ संबंधी काम में और तहसीलों के रोकड़ संबंधी काम में, जहां पर मातहत खजाने के साथ सब करेंसी चेस्ट रखने पड़ते हैं, कोई समानता नहीं है। चूंकि मातहत खजानों का जिले के खजानों से निकट संबंध रहता है इसलिय स्पष्टतः खजाने और उसके मातहत खजानों के रोकड़ संबंधी काम के लिये एक ही आदमी अर्थात् सरकारी खजांची को जिम्मेदार ठहराना वांछनीय है और इस जिम्मेदारी को वह तभी उठा सकता है जबकि उसे अपने विश्वास-पात्र व्यक्तियों को नियुक्त करने की इजाजत दी जाय।

*१३--**श्री लक्ष्मण राव कदम**--क्या सरकार को पता है कि अन्य प्रान्तों ने इस तरीके को बन्द करके तहसीलों म अपन खजांची नियुक्त कर दिए हैं ?

श्री धर्म सिंह--सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे अन्य प्रदेशों से उक्त सूचना प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्म सिंह--ऐसी कोई आवश्यकता तो प्रतीत नहीं होती यदि माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो कार्यवाही की जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह तहवीलदार का तरीका कब से चला आ रहा है ?

श्री धर्म सिंह--यह सन् १९२७ से चला आ रहा है।

श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रान्त में तहवीलदारों की संख्या कितनी है ?

श्री धर्म सिंह--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

सेक्रेटेरियट की अपर डिवीजन परीक्षा में सफल व्यक्तियों की नियुक्ति में विलम्ब

*१४—श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, सन् १९५४ में लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई अपर डिवीजन असिस्टेंट्स सेक्रेटेरिएट प्रतियोगिता में सफल होने वाले प्रतियोगियों को नियुक्ति-पत्र अभी तक भेजा गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उन्हें नियुक्ति-पत्र दे दिया जायेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नियुक्ति-पत्र भेजने का कार्य जारी है। सफल प्रतियोगियों में से कुछ को नियुक्ति-पत्र भेजे जा चुके हैं तथा बाकी के नाम नियुक्ति-पत्र शीघ्र ही भेजे जायेंगे।

श्री व्रज भूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन नियुक्ति-पत्रों को भेजने में देरी क्यों हुई, कितनों को भेजा गया और कितने अभी बाकी हैं ?

श्री धर्म सिंह—जून, १९५५ में पब्लिक सर्विस कमीशन से हमारे पास सूचना आयी। उसके बाद का कायदा यह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमट, तीनों आपस में यह तय करते हैं कि कितने-कितने आदमी किस-किस विभाग में रक्खे जायंगे। उनके कैरेक्टर इत्यादि के बारे में रिपोर्ट जिले से मंगवानी पड़ती है। इस सारी कार्यवाही के बाद नियुक्ति-पत्र भेजे जाते हैं। कितने आदमियों को नियुक्ति-पत्र दिये जा चुके हैं, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री व्रज भूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने को भेजना बाकी है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है कि उन्हें अभी उनकी संख्या नहीं मालूम है।

गाजीपुर जिले में सुलेमापुर निवासी बुद्धराम का वध

*१५—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में मरदह थाने के क्षेत्र के अन्दर अक्तूबर के दूसरे सप्ताह म कोई कत्ल हो गया? यदि हां, तो किस ग्राम में ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी नहीं।

*१६—श्री यमुना सिंह—इस विषय पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रश्न नहीं उठता।

श्री यमुना सिंह—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले के मरदह थाने के अन्तर्गत सुलेमापुर में पंचायत करते समय बुद्धराम लाठी से मारा गया और जिसकी मृत्यु हास्पिटल में हो गई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह घटना सितम्बर में हुई, अक्तूबर में नहीं हुई।

पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सरकारी नियुक्तियों के संबंध में डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार

*१७--श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के भाग दो, पैराग्राफ १७ की सरकारी नियुक्तियों से संबंधित सिफारिशों को लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने किस तिथि से स्वीकार किया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--किस तिथि से स्वीकार किया यह तो इस वक्त मैं नहीं बता सकता।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस मामले का कब तक फैसला हो जयागा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस मामले का फैसला करने में तो देर लगेगी, इसलिये कि यह जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उसमें कई बड़े सवाल सिद्धांत के आते हैं, कमेटी का कहना यह था कि पबलिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो चुनाव होते हैं वह ठीक नहीं होते क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक खास तरह के लोग होते हैं और जिस प्रकार के यह लोग स्वयं होते हैं उसी प्रकार के लोग चुनते हैं और दूसरे शासन को चाहे वह उपयोगी हों या न हों उन्हीं से काम लेना पड़ता है और शासन चलाने की कोई जिम्मेदारी पब्लिक सर्विस कमीशन पर नहीं होती, इसलिये शासन चलाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर नहीं है उनको यह पूरा अधिकार रहे या मिनिस्टरी वगैरह के हाथ में यह जिम्मेदारी रहे यह सब सिद्धांत के प्रश्न हैं, इसलिये सरकार जल्दी इसका फैसला नहीं कर सकती, कई सिद्धांत की बातों पर पहले विचार करना होगा।

श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सचिवालय कर्मचारी असोसियेशन ने इस संबंध में सरकार को कुछ लिखा है? यदि हां, तो क्या?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सम्भवतः लिखा है लेकिन इस समय यह ख्याल नहीं कि क्या लिखा था।

श्री राज नारायण--माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसके अनुसार क्या सरकार के यह प्रश्न भी विचाराधीन हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र तो संविधान में है और उसको हम नहीं बदल सकते, इसलिये अगर हम ऐसा करें तो यह और भी लम्बा सवाल हो जायगा।

*१८--२०--श्री राम लखन (जिला बनारस)--[५ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किए गए।]

लीसा पैदा करने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में टरपेन्टाइन फैक्टरी खोलने की मांग

*२१--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में टरपेन्टाइन निकालने के लिये कितना-कितना लीसा किन किन स्थानों से एकत्रित होता है? क्या सरकार लीसा इकट्ठा कराने के लिये ठेका देने पर विचार कर रही है? यदि नहीं तो क्यों?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--इस प्रदेश में टरपेंटाइन निकालने के लिये एकत्रित किये जाने वाले लीसा का व्योरा एक सूची में दिया है जो मेज पर रखी है।

लीसा इकट्ठा करान क लिये ठेका देने के प्रश्न पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४२ पर)

*२२--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट--क्या सरकार रानीखेत या उन पहाड़ी स्थानों पर जहां स यह लीसा इकट्ठा किया जाता है टरपेन्टाइन फैक्टरी खोलने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पहले भाग के प्रश्न का उत्तर "जी नहीं" है। दूसरे भाग के प्रश्न नहीं उठते।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार लीसा इकट्ठा करने की क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वह सरकारी जरिये से विभाग द्वारा इकट्ठा होता है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या यह सच है कि व्यवस्थित ढंग से एकत्रित न होने के कारण सैकड़ों मन लीसा खराब हो जाता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नहीं, यह सूचना गलत है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--कितने मन लीसा वहां निकलता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--तीन लाख २४ हजार ५० मन।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि चीड़ के पेड़ों से भी बहुत ज्यादा रेजिन निकाला जा सकता है और वह इसलिये नहीं निकाला जाता है कि सरकार के पास कोई ऐसी बड़ी फैक्टरी नहीं है जहां वह क्रश हो सके?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह सही है कि लीसा और अधिक मात्रा में निकाला जा सकता है लेकिन जितना निकाला जा रहा है उसकी खपत बरेली टरपेन्टाइन फैक्टरी कर रही है।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार को विदित है कि इस सदन की स्टैंडिंग कमेटी ने अभी हाल ही में मथुरा में सर्वसम्मति से यह निश्चय किया था कि एक टरपेंटाइन फैक्टरी ऋषीकेश में खोल दी जाय?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, किया था।

श्री सत्य सिंह राणा--तो सरकार उस निश्चय पर कब तक कार्य शुरू कर देगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अभी उस पर विचार नहीं हुआ। अभी तो उस निश्चय को लिये केवल एक ही महीना हुआ और समय पर ही उस पर विचार किया जा सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जिनके कारण और टरपेंटाइन फैक्टरी खोलने के संबंध में सरकार विचार नहीं कर रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अभी तक तो जैसा मैंने कहा कि बरेली टरपेंटाइन फैक्टरी ही इस लीसे की खपत कर रही है। अगर आवश्यकता हुई तो आगे विचार किया जायगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में जो इस पहाड़ी प्रदेश में काटेज इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी उनको डेवलप करने के लिये क्या सरकार कोआपरेटिव सोसाइटीज को रेजिन देने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस वक्त तो दे रही है। आगे को देखा जायगा। इस वक्त तो जितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको दिया ही जा रहा है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ठेकेदारों के द्वारा लीसा इकट्ठा कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--असल में कुछ खास तौर पर चीड़ के पेड़ों पर घाव लगाया जाता है जिससे लीसा निकलता है। अगर वे गैरजानकार होते हैं तो सारे पेड़ों को खराब कर देते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार को यह मालूम है कि सोमेश्वर आदि कई स्थानों पर कई टरपेंटाइन की फैक्टरियां काम कर रही हैं और वे सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस एक इंडिविजुअल को दिया गया था मगर गवर्नमेंट की आम तौर पर नीति कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहित करने की रही है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या माननीयमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि टरपेंटाइन कितना कितना किन किन देशों को एक्सपोर्ट होता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो सारे देश का प्रश्न है भारतवर्ष भर का, लेकिन हमारे बरेली का जहां तक ताल्लुक है वह सबसे उम्दा किस्म का माना जाता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--यह जो लीसा निकलता है उसमें से कितना बरेली टरपेंटाइन को दिया जाता है और कितना कोआपरेटिव सोसाइटीज को ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह लगभग सभी बरेली फैक्टरी को जाता है। पन्द्रह-बीस हजार मन के करीब कोआपरेटिव सोसाइटीज को जाता है।

जहान सिंह डाकू की गिरफ्तारी के लिए प्रयास

*२३--**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**--क्या यह सच है कि कुख्यात डाकू जहान सिंह अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा ? यदि हां, तो सम्बन्धित क्षेत्रों के अधिकारियों की कोई सम्मिलित योजना तैयार करने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां। जहान सिंह अभी तक नहीं पकड़ा गया। सरकार इस काम के लिये किसी सम्मिलित योजना की आवश्यकता नहीं समझती। रेंज डी० आई० जी० तथा पुलिस इस विषय में प्रयत्नशील हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि अलीगढ़-बुलन्दशहर जिलों के अन्दर यह डकैत रहता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--हां, काफी अरसे तक इन जिलों में रहता है, लेकिन और जिलों में भी इसके जाने की सूचना है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस डकैत पर वारन्ट कब से जारी है और सका इश्तिहार वारन्ट का कितना है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--गिरफ्तारी की रकम तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--क्या गवर्नमेन्ट को मालूम है कि दूसरे डाकुओं के गैंग के जो बाकी आदमी थे वे और जहान सिंह मिलकर उस इलाके में इतना आतंक मचा रहे हैं कि वहां जनता की जान व माल खतरे में है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जहान सिंह का जो गैंग था उसमें से अधिकतर लोग मारे जा चुके हैं। थोड़े से आदमी रह गये हैं। अभी मेरे पास सूचना आई है कि तीन महीने से कोई घटना नहीं हुई है और हमारा सूबा छोड़ कर भी वह भाग गया है।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जहान सिंह द्वारा अभी हाल में गुड़गांव और राजस्थान से मिले हुए मथुरा जिले की तहसील छाता और मथुरा में डाके डाले गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत--मथुरा जिले में कोई घटना हुई है, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जहान सिंह डाकू कब से फरार है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--काफी अर्से से फरार है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जहान सिंह गैंग के कौन-कौन व्यक्ति मारे गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--कुछ दिन हुए, उसके गिरोह के तीन खास आदमी पूरण, जयदेव और भूपत मारे गये थे और कुछ आदमी पहले भी मारे जा चुके हैं।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जहान सिंह डाकू को मारने और उसको पकड़ने के लिये कुछ इनाम घोषित कर रक्खा है, यदि हां तो कितना ?

श्री जगन प्रसाद रावत--हां, इनाम घोषित कर रक्खा है।

सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में इन्वेण्टरी बनाने के आदेश

*२४--**श्री नेकराम शर्मा**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई इन्वेन्टरी बनाने के आदेश निकाले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री नेकराम शर्मा--माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आदेश निकाला है क्या उसे इस सदन के सामने पढ़ कर वे सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उसमें से कुछ खास बात जो हो उसे पढ़ दें, पूरा पढ़ने का कष्ट न करें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उसका आशय ही बतलाये देता हूं। १८ अगस्त, १९५४ ई० को आर्डर जारी हुआ था कि अगर कोई भी सरकारी नौकरी में नियुक्त हो तो पहले-पहल और फिर हर पांचवें वर्ष उसे एक लिस्ट बनवा देनी पड़ती है कि उसके पास कितनी इम्मूवेबिल प्रापर्टी है, कितने शेयर्स हैं, कितनी सेक्योरिटीज हैं, सेविंग्स बैंक में कितना है और पोस्ट आफिस में कितना जमा है। इसके लिये बहुत लम्बा-चौड़ा दो पेज का फार्म दिया हुआ है जिसके खानों में यह सब भरना पड़ता है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई विशेष व्यक्ति इसकी जांच कर रहा है या कोई कमेटी सरकार ने इसकी जांच करने के लिये बनाई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसकी जांच की कोई जरूरत नहीं है। अलग-अलग हजारों सरकारी कर्मचारी प्रदेश म ह हरएक केस में जरूरत नहीं होती है, किसी में होती है तो सम्बन्धित अथारिटी के पास भेज दिया जाता है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी इन्वेन्टरी के लिये क्या-क्या खास-खास कालम रक्खे हैं?

श्री अध्यक्ष--इसके दो सफे हैं। आप माननीय मुख्य मंत्री से अकेले में पूछ लें।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या किसी अधिकारी के खिलाफ माननीय मुख्य मंत्री के पास शिकायत आई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई।

श्री राज नारायण--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह प्रश्न विचाराधीन है कि मिनिस्टरों और विधान सभा के सदस्यों के लिये इन्वेन्टरी तैयार की जाय?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राज नारायण--अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष--हर मजाक के सवाल का जवाब नहीं दिया जाता।

श्री राज नारायण--लेकिन यह तो बड़ा महत्त्वपूर्ण सवाल है?

श्री अध्यक्ष--केवल आप ही तो ऐसा समझते हैं।

*२५-२६--श्री नेकराम शर्मा--[२२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

अमरोहा तहसील में घटित वारदातें

*२७--श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि अमरोहा, जिला मुरादाबाद में सितम्बर व अक्टूबर, १९५५ ई० में चोरी, नकबजनी और ताला तोड़ने की कितनी वारदातें हुईं, कितनी दर्ज रजिस्टर हुईं और उनमें से कितनी वारदातों में अमरोहा पुलिस को कामयाबी हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी हुई सूचना संलग्न नक्शे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४३ पर)।

कुशीनगर में लगने वाली बिजली को स्थायी रखने की मांग

२८--श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगीकि कसिया (कुशीनगर) में मार्च, १९५६ तक जो बिजली लगने जा रही है, उस दिशा म अब तक क्या प्रगति हुई?

श्री धर्म सिंह--११ के० वी० की लाइन, २ मील लम्बी, कसिया (कुशीनगर) तक बन चुकी है।

श्री राम सुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कसिया (कुशीनगर) को बिजली कहां से देन जा रहे हैं?

श्री धरम सिंह--जहां से भी नजदीक होगा, वहीं से दी जायगी।

श्री रामेश्वर लाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि कुशीनगर में जब बिजली दी जायगी तो जनता की मांग का भी ध्यान रखा जायगा ?

श्री धर्म सिंह--अभी तक तो इतनी बिजली नहीं है। जो वहां पर जयन्ती हो रही है उसी के लिये व्यवस्था की जा रही है। अगर बिजली बाद में उपलब्ध हो गयी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री राम सुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह बिजली जो लगायी जा रही है यह स्थायी रूप से लगायी जा रही है या अस्थायी रूप से ?

श्री धर्म सिंह--वह तो टेम्परेरी तरीके से लगेगी। बाद में जैसा कि मैंने अर्ज किया, अगर उपलब्ध हो सकेगी तो परमानेन्ट करने पर विचार किया जायगा।

*२९--३०--**श्री व्रज विहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)--[२९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३१--३३--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--[२९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

गत तीन वर्षों में मुजफ्फरनगर जिले में कत्ल और डकैतियां

*३४--**श्री श्रीचन्द्र**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में १९५२-५३ व १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में कत्ल और डाके कितने-कितने हुये और कहां-कहां हुये ?

*३५--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किन-किन कत्ल तथा डकैतियों का पता अब तक पुलिस नहीं लगा सकी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---सन् १९५२-५३ में २० कत्ल तथा ११ डकैती, सन् १९५३-५४ में २५ कत्ल तथा १३ डकैती और १९५४-५५ में ३३ कत्ल तथा १५ डकैती के अपराध हुए। अन्य विवरण सदस्य महोदय मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

*३६--**श्री श्रीचन्द्र**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम परसौली तथा ग्राम फतेहपुर थाना कांधला की डकैतियों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--सन् १९५२ में परसौली ग्राम में एक डकैती का मामला हुआ था जिसका पुलिस ने चालान कर दिया था, किन्तु अभियुक्त अदालत से छूट गए। ग्राम फतेहपुर में अप्रैल, १९५२ ई० से अब तक डकैती की कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कत्ल और डकैतियां कितनी ऐसी हैं जिनके कातिलों का और डाकुओं का पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसकी तादाद तो इस समय मैं गिन के नहीं बता सकता।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने कत्ल के मुकदमे और डकैती के मुकदमे छूटे और कितनों को सजा हुई ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसके लिए भी सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि परसौली डकैती में जो एक डकैत मारा गया था वह कहां का रहने वाला था ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

*३७--३९--**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)--[२९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में कसया हवालात में जगह की कमी की शिकायत

*४०--श्री राजवंशी (जिला देवरिया)--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कसया (देवरिया) हवालात में कितने कैदी के रहने को जगह ह और कितने कैदी रहते हैं?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--सौ कैदियों के रहने की जगह है तथा लगभग ८० हवालाती रहते हैं।

*४१--श्री राजवंशी--क्या यह सही है कि वहां जेल लाकअप बनवाने का विचार है, अगर है तो वह कब तक बन जायेगा?

श्री मुजफ्फर हसन--ऐसा विचार जरूर है, लेकिन आर्थिक कठिनाई के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि वहां कब तक सब-जेल बन जाएगा।

श्री राजवंशी--इस वक्त मौजूदा हालत में कितने कैदी वहां रह रहे हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--मैंने प्रश्न संख्या ४० में इसका जवाब दे दिया है।

श्री राज नारायण--क्या सरकार को अच्छी तरह से पता है कि आज से १ हफ्ते पहले वहां १५० के करीब कैदी थे?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं।

श्री राज नारायण--क्या सरकार इसका पुनः पता लगाने की कोशिश करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन--सरकार ने पता लगा कर ही जवाब दिया है।

१९४२ के आन्दोलन में शहीद, हरिद्वार निवासी, श्री जगदीश प्रसाद के पिता को पेन्शन

*४२--श्री महमूद अली खां (जिला सहारनपुर)--क्या हरिद्वार, जिला सहारनपुर में सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में श्री जगदीश प्रसाद की कांग्रेस का झन्डा लगाते समय पुलिस की गोली से मृत्यु हुई थी?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां।

*४३--श्री महमूद अली खां--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उनके कुटुम्ब में कौन-कौन आदमी हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत--पिता, एक छोटा भाई, दो विवाहित तथा एक अविवाहित बहिन।

*४४--श्री महमद अली खां--क्या सरकार यह कृपा कर यह बतायगी कि उनके कुटुम्ब के किस-किस आदमी की अब तक क्या-क्या सहायता की गई?

श्री जगनप्रसाद रावत--पिता को ३० रु० मासिक पेंशन १ जुलाई, १९४८ ई० से दी गई है।

बस्ती जिले के चिल्हिया थाने के अन्तर्गत घटित चोरियां व डकैतियां

*४५-श्री मथुराप्रसाद पांडे (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के चिल्हया थान में विगत दो वर्षों से अब तक कितनी चोरियां व डकैतियां हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत--चोरियां ६२ और डकैतियां ३।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करगे कि जो ३ डकैतियां हुई हैं किन-किन गांवों में हुई हैं और कब-कब हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसके लिय तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन डकैतियों में कुल कितने रुपये की डकैती हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह तो बहुत लम्बा प्रश्न है। किसी खास डकैती के बारे में आप कहें तो मैं इत्तला मंगाकर आपको बता दूं।

*४६--४७--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)--[५ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये]

टनकपुर क्षेत्र, जिला नैनीताल में हाथियों द्वारा उत्पात

*४८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि टनकपुर क्षेत्र, जिला नैनीताल के देहात में जंगली हाथियों तथा अन्य हिंसक पशुओं ने इस वर्ष भारी नुकसान कर दिया है ? अगर हां, तो सरकार भविष्य में ऐसे नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--टनकपुर क्षेत्र से तो कोई शिकायत नहीं आई, परन्तु कन्सरवेटर फारेस्ट्स, पश्चिमी वृत्त से यह सूचना अवश्य प्राप्त हुई है कि कालागढ़ डिवीजन के ढिकाला स्थान में और उसके निकट जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया जिससे बंगले के फर्नीचर और प्लान्टेशन्स को नुकसान पहुंचा। सरकार जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए Kheda operations या दूसरे तरीकों से शीघ्र शुरू करने का विचार कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार मेरे इस प्रश्न को सूचना मानकर टनकपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात के सम्बन्ध में जांच कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी अच्छा, करा ली जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जंगली हाथियों को पकड़ने के लिय खेदा आपरेशन्स के अलावा दूसरे तरीके क्या-क्या हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--खेदा के अलावा एक पिट मैथड और है, मगर इस गड्ढे वाले तरीके को अमानुषिक कहा जाय तो ठीक रहेगा, क्योंकि वह तो इतने बड़े भीमकाय पशुओं के लिये बहुत ही कष्टदायक होता है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर आप उत्तर देना उचित समझें तो ऐसा उत्तर दें जो प्लेन्स वाले भी समझ सकें।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--तो इसके लिये एक तो खेदा होता है जिसमें एक बहुत बड़ा बाड़ा होता है और जंगली हाथियों को हांक करके उसके अन्दर कर दिया जाता है और दूसरा तरीका नकली गड्ढे बनाकर उन पर घास बिछा दी जाती है जिससे हाथी उस गड्ढे को नहीं देख पाता है और गिर जाता है गड्ढे में, ऐसे पकड़ लिया जाता है।

*४९--श्री नारायण दत्त तिवारी--[५ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न संख्या ५०-५२ का स्थगन

श्री झारखंडे राय--अध्यक्ष महोदय, जो आज की कार्य सूची है उसमें जो इबारत छपी है वह जो प्रश्नोत्तर मुझे मिला है उसके इबारत से बिल्कुल भिन्न है। दोनों में फर्क है और मैं समझता हूं कि इसी से इस प्रश्न का उत्तर भी गलत मिला है। इसमें जो लिखा वह यह है कि क्या सरकार बतायेगी कि सरकार को बस्ती जिलाधीश, जिला पुलिस कप्तान और कप्तानगंज पुलिस थाना, (जिला बस्ती) की पुलिस के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है।

जबकि प्रश्न यह था कि क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती जिलाधीश, जिला पुलिस कप्तान और सरकार को कप्तानगंज पुलिस थाना (जिला बस्ती) की पुलिस के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। तो इन दोनों में बहुत फर्क है और उसमें डी० एम० और एस० पी० के विरुद्ध शिकायतें भी शामिल हो गईं, इसीलिए शायद जवाब नहीं मिला है क्योंकि मेरे पास ट्रू कापीज हैं जोकि सरकार को आयी हैं और मैंने खुद अपने हाथ से भी भेजी हैं। इसलिए ऐसा जवाब तो सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसकी मुझे इंक्वायरी करानी पड़ेगी। दोनों प्रश्नों में अन्तर तो मालूम पड़ता है।

श्री झारखंडे राय--अगर आप चाहें तो उसकी कापी आप भी देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--नहीं, मेरे पास भी वह मौजूद है। जो जवाब की कापी मेरे पास आयी है उसमें जो है और यह जो प्रिंटेड है इन दोनों में फर्क है। तो मैं उसकी इंक्वायरी करके सही प्रश्न जो है वह किसी दूसरे दिन रख दूंगा।

श्री झारखंडे राय--अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो जो शिकायतें आयी हैं उनकी कापी मैं भेज सकता हूं। मेरे पास उसकी ट्रू कापीज मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष--नहीं। शिकायतों से कोई मतलब नहीं है। मैं इन्क्वायरी करा के फिर रख दूंगा।

[प्रश्न ५०--५२ तदोपरान्त स्थगित किये गये।]

भ्रष्टाचार विरोधी समिति, हमीरपुर द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

*५३--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५४ तथा ५५ में भ्रष्टाचार विरोधी समिति, हमीरपुर ने क्या-क्या प्रस्ताव जिले में फैले हुये भ्रष्टाचार तथा कचहरियों में रिश्वतखोरी के सम्बन्ध में पास किये और उन पर क्या अमल हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इन प्रस्तावों की सूची संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २४४-२४७ पर)।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि तालिका के पृष्ठ १ व २ के बीच में जो १० सितम्बर, १९५४ और ६ अप्रैल, १९५५ के बीच में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है तो क्या समिति की मीटिंग ही नहीं हुई या कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो कुछ नया सा प्रश्न मालूम पड़ता है। सूचना पान पर मैं इसका जवाब दे सकता हूं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि सरकारी आदेश संख्या ए-५८६/२५- सी -एक्स, दिनांक २६ फरवरी, १९५४ पर जिलाधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री अध्यक्ष--यह किससे पैदा हुआ ?

श्री जोरावर वर्मा--पेज २ पर है, प्रस्ताव नम्बर ५ के ऊपर। जो सदस्य कमेटी का अगर शिकायत करे तो सम्बन्धित अधिकारी जो इन्क्वायरी करे वह सदस्य को भी साथ में ले ले। तो क्या सरकार को इस विषय में जानकारी है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णा नन्द--मुझको तो यह सूचना है कि २६ फरवरी के सरकारी आदेश द्वारा वैभागिक अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिये जा चुके हैं। अगर किसी खास अधिकारी ने किसी खास मौके पर किसी निर्देश का पालन नहीं किया तो बगैर सूचना के मैं नहीं कह सकता।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में जांच करवायेंगे कि ३० नवम्बर, १९५५ को जिला समिति ने फिर इस प्रस्ताव को दोहराया है कि इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बहुत अच्छा कौन सी तारीख बतायी आप ने ?

श्री जोरावर वर्मा--३० नवम्बर, १९५५ ।

देवरिया जेल से कैदी को विलम्ब से छोड़ने पर आपत्ति

*५४--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तारीख २९ सितम्बर, १९५५ ई० को तारांकित प्रश्न १६--१८ के उत्तर के सम्बन्ध में सरकार न इस बात का पता लगाया कि कैदी के ३ दिन बाद जेल से छूटने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी ? यदि हां, तो उस अधिकारी को क्या दन्ड दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन--कैदी को देर से छोड़े जाने की जिम्मेदारी किसी जेल अधिकारी की नहीं थी अतः उसको किसी प्रकार के दंड दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न था कि किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वह कैदी तीन दिन के बाद छोड़ा गया ? तो जवाब दिया गया कि किसी जेल के अधिकारी की नहीं थी। तो मुझे यह बतलाया जाय कि किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी ? प्रश्न के अनुरूप ही जवाब होना चाहिये।

श्री मुजफ्फर हसन--वह तो गलती किसी पैरोकार की मालूम होती है, किसी अधिकारी की तो मालूम नहीं होती।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलायेगी कि जब अदालत ने उसे छोड़ने का आदेश दिया तो उसके बाद वह तीन दिन जेल में पड़ा रहा, यह जिस पैरोकार या अथारिटी की वजह से हुआ उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह जानकारी तो नहीं है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को जानकारी है कि जेल के अन्दर रिहाई के आदेश लाने के तीन दिन बाद वह छोड़ा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां, जो जवाब पिछले सवाल के सिलसिले में दिया गया था उसमें यह है कि वह आदेश नियम के खिलाफ वहां पहुंचा, जब जेल बन्द हो चुकी थी और किसी रजिस्टर पर चढ़ कर नहीं गया, किसी सरकारी प्युन के जरिये नहीं गया, तो वह उसी दिन लौटा दिया गया था।

श्री राज नारायण--क्या सरकार को पता है कि जब वह आदेश नियम के विरुद्ध था तो किसी जेल के अधिकारी ने आदेश देने वाले अधिकारी से शिकायत की कि यह नियम के विरुद्ध है ?

श्री मुजफ्फर हसन--वह तो शिकायत का सवाल नहीं था। वह तो उसी अदालत को फिर लौटा दिया गया ताकि वह कायदे से आये।

श्री शिव नारायण--क्या यह सही है कि जेल पर कोई सरकारी अधिकारी आर्डर लेकर गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन----जी नहीं, कोई सरकारी चपरासी नहीं गया था, बल्कि जो कान्स्टेबिल हवालातियों को लेकर गया था उसकी मार्फत वह आर्डर वहां पहुंचा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि वह नियम विरुद्ध आदेश किसकी गलती से हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन--आदेश तो नियम विरुद्ध नहीं था, वह तो सही था।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, सरकार की ओर से अभी बताया गया कि आदेश नियम विरुद्ध था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर जो आदेश जेल के गेट पर गया, कहीं उसकी जल में एंट्री है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जेल के अधिकारियों की यह ड्यूटी नहीं है कि जो कागज भी उनके पास आये, चाहे गलत हो, उसकी हर एक से शिकायत करें। एक कागज उनके पास पहुंचा, जोकि कहा जा सकता है कि किसी जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत से आया कि फलां कैदी छोड़ दिया जाय। एक पुलिस कान्स्टेबिल उसको लेकर गया था, सरकारी चपरासी लेकर नहीं गया और वह कागज शाम को पहुंचा जबकि उनकी ड्यूटी खत्म हो गयी। यह सही है कि या तो यह किसी पैरोकार की गलती रही होगी जिस से नहीं छोड़ा गया या किसी और की। यह २ तारीख की बात थी। ५ तारीख को वह कागज पहुंचा और जैसे ही वह पहुंचा, वह छोड़ दिया गया।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पैरोकार से सरकार का क्या मतलब है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह अक्सर होता रहता है और हम इस प्रथा को बन्द करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दस्तूर-सा जाने कब से चला हुआ था कि जिस आदमी का मुकदमा होता था उस की तरफ से जो पैरवी करता था उसको अदालत की तरफ से रिहाई का हुक्म मिल जाता था। ऐसा पहले बहुत दिनों से चला आता है, उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के यहां से उस कैदी का छुटकारा हुआ था उन्होंने वहां के एस० पी० के खिलाफ लिखा है कि उन्हें देर से छोड़ने की जिम्मेदारी एस० पी० की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसकी तो कोई इत्तला हमको है नहीं।

बस्ती जिले के कुछ थानों के क्षेत्रों में परिवर्तन करने का आश्वासन

*५५--श्री मथुराप्रसाद पांडेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले के बांसी, उस्का, चिल्हिया, लोटन थानों के जो क्षेत्र बने हैं उनमें ऐसी गड़बड़ी है कि कई गांवों के चारों तरफ दूसरे थाने के गांव हैं और बीच-बीच में दूसरे थाने के गांव हैं और एक थाने के क्षेत्र के ज्यादातर गांव दूसरे थाने के पुलिस स्टेशन से बहुत करीब हैं और अपने थाने के पुलिस स्टेशन से बहुत दूर हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इन थानों के क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, परन्तु ऐसा नहीं है कि एक थाने के क्षेत्र के अधिकतर ग्राम दूसरे थानों के बहुत निकट हैं तथा अपने थानों से बहुत दूर हैं।

*५६--श्री मथुराप्रसाद पांडेय--क्या सरकार उक्त थानों के क्षेत्रों को फिर से सुधारने का विचार करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां, इस मामले में उचित कार्यवाही हो रही है और आशा है कि शीघ्र ही क्षेत्रों में सुधार हो जायगा।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय--क्या सरकार को पता है कि बांसी थाने से करीब सोनखर आदि २५ गांव, जोकि उस्का थाने में हैं, वे उस्का से १६ मील पड़ते हैं और बांसी से करीब एक ही मील पड़ते हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत--मैंने अभी निवेदन किया है कि कुछ गांवों की बाबत ऐसा जरूर कहा जाता है और उसके लिये सुधार करने की कोशिश हो रही है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए वह प्रदेश के अन्य थानों के क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत--उसकी भी व्यवस्था हो रही है।

सहकारिता तथा कृषि विभाग के कामदारों का समान वेतन करने की मांग

*५७--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार सहकारिता विभाग के कामदारों का वेतन, महंगाई भत्ता तथा वार्षिक वेतन-वृद्धि कृषि विभाग के कामदारों के बराबर करने जा रही है?

वित्त मंत्री श्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जी नहीं। इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*५८--श्री राम नारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जिले में घटित वारदातों से सम्बन्धित कार्यवाहियां

*५९--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखनऊ जिला में सन् १९५५ में कितने कत्ल, डकैती और चोरी की घटनायें हुईं?

*६०--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन केसों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है?

श्री जगनप्रसाद रावत--मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २४८ पर)

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १,८०२ चोरियों में से १,२०५ का पता नहीं चला तो क्या इन चोरियों के सम्बन्ध में कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है या जांच अभी जारी है?

श्री जगनप्रसाद रावत--इस समय तो जांच जारी नहीं है, लेकिन ये मामले कभी समाप्त नहीं होते। कभी भी अगर उनकी बाबत कोई नयी इत्तला मिलती है तो फिर जांच शुरू हो जाती है।

श्री रामचन्द्र विकल--१,८०२ चोरियों में से १,७३२ की ही जांच कराई गयी, तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि शेष की जांच क्यों नहीं कराई गयी?

श्री जगनप्रसाद रावत--क्योंकि रिपोर्ट करने वालों ने कोई ऐसा मसाला नहीं दिया कि जिससे जांच प्रारम्भ हो सके।

*६१--६२--श्री यमुनासिंह--[२२ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ३१-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

फांसी के कैदी का चलती ट्रेन से कूद जाना

*६३--श्री कृष्णशरण आर्य (जिला मथुरा)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९५५ के प्रथम सप्ताह में एक कैदी दलपतपुर और मुरादाबाद स्टेशनों के बीच स्वयं को अपने रक्षकों से छुड़ा कर और अपनी हथकड़ी तोड़ कर चलती रेल से कूद कर भाग गया, जिसे कि मृत्यु दन्ड दिये जाने-निमित्त बरेली से सहारनपुर ले जाया जा रहा था?

श्री जगनप्रसाद रावत--८ अक्तूबर, सन् १९५५ को एक कैदी, जिसे मृत्यु दन्ड का निर्णय मिल चुका था, रेलगाड़ी द्वारा बरेली से सहारनपुर ले जाया जा रहा था। वह रेलवे स्टेशन मूंढापांडे और मुरादाबाद के बीच कहीं बेड़ियों सहित गाड़ी से उतर कर भाग गया और अपनी हथकड़ियों को ठीक दशा में उतार कर डिब्बे में छोड़ गया।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कैदी दोबारा पकड़ में आया या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--अभी तक तो उसके पकड़े जाने की सूचना नहीं है।

विलीन रियासतों तथा प्रदेश के राजनीतिक पीड़ितों को समान सुविधायें

*६४--श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में विलीन देशी रियासतों--रामपुर, टेहरी तथा बनारस में वहां की जनता के द्वारा सम्बन्धित शासनों के विरुद्ध जन-स्वातन्त्र्य निमित्त चलाये गये जन-आन्दोलनों के फलस्वरूप पीड़ित व्यक्तियों को प्रदेश के अन्य राजनैतिक के समकक्ष मानने के विषय में सरकार की क्या नीति है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उनको भी प्रदेश के अन्य राजनैतिक पीड़ितों के समकक्ष माना जाता है और उपयुक्त मामलों में आर्थिक सहायता दी जाती है।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर, टेहरी और बनारस के जिन जन आन्दोलनों को वह राष्ट्रीय स्वीकार करती है उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को वह राजनैतिक पीड़ित मानती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जितने भी आन्दोलन स्वतन्त्रता संग्राम के लिये जहां कहीं भी हुय, उनको राजनीतिक आन्दोलन मानती है।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार रामपुर के शिया-सुन्नी आन्दोलन को भी राष्ट्रीय आन्दोलन मानती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--प्रश्न से स्पष्ट ही है कि धार्मिक आन्दोलनों को राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं माना जाता है।

नीलामी के बाद पडरौना चीनी मिल की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने भेजा है। उन्हें फोन द्वारा यह सूचना मिली, जिसके आधार पर उन्होंने यह भेजा है। "इसमें कहा गया है कि पडरौना चीनी मिल के नीलाम खरीदने वालों को सरकार द्वारा चार्जेन दिखाने के कारण

लगभग १,६०० मजदूरों को नौकरी से अलग करने के लिये नोटिस दिया गया है और यह भी कहा गया है कि इस वर्ष मिल नहीं चलेगी। ऐसी हालत में लगभग २०,००० ईख उत्पादकों की ईख बरबाद हो रही है और होगी। अतः इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसको मैं अवैध इसलिये करार देता हूं कि यह अनिश्चित है। उन्होंने इसमें लिखा है कि फोन द्वारा सूचना मिली है। अब इसका साधारण रीति से मैं यह मतलब समझता हूं कि कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है कि ऐसी परिस्थिति है या नहीं। सिर्फ सूचना फोन से मिल जाने पर बात निश्चित हो जाती है ऐसा मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री जगन्नाथ मिश्र (जिला देवरिया)--मेरे पास अब सारी सूचना आ गई है।

श्री अध्यक्ष--आपको सूचना मिली है, ठीक है। आप इसको कल भी दे सकते थे सारी सामग्री इकट्ठा करके। लेकिन एक फोन आ जाय तो उस पर इस तरह का कामरोको प्रस्ताव आ जाय, मैं इस प्रथा को बन्द करना चाहता हूं। कल को एक शिकायत आ जाय और उसको निश्चित मान लिया जाय और उसके सम्बन्ध में कोई सामग्री इकट्ठी न करके यहां प्रश्न उपस्थित किया जाय। मैं इसको उचित नहीं समझता। मैंने इसीलिये आपको कोई तकलीफ नहीं दी कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालें।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, यदि आप इसके बाद मुझे आज्ञा देंगे तो मैं इस विषय में कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा जिससे कि ....

श्री अध्यक्ष--यह कार्य आप दफ्तर में करें उनको बुलाकर, तो ज्यादा अच्छा होगा।

कानपुर जिले में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में कथित अनियमितताओं विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री राज नारायण जी का है। कानपुर जिले में ग्राम पंचायतों के चुनाव में जो बेउन्मानियां वह समझते हैं, हो रही हैं, उस सिलसिले में वह कामरोको प्रस्ताव उस प्रश्न पर विचार करने के लिये दे रहे हैं और उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र उसमें किया है। मैं एक मर्तबा सदन में यह कह चुका हूं कि यह चुनाव का विषय बाद में एलेक्शन पिटीशन का विषय हो सकता है और इसलिये इस सदन में कामरोको प्रस्ताव के द्वारा उस पर बहस नहीं की जा सकती। यह तरीका बहस करने का इस विषय पर नहीं हो सकता। यह विषय ही कामरोको प्रस्ताव का नहीं है, इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--मैं एक निवेदन करना चाहता हूं इस विषय में। हमने जो प्रश्न उठाया था वह उस प्रस्ताव के अन्त के शब्दों में है कि उससे वहां पर अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है और ऐसी अव्यवस्था मारपीट की पैदा हो रही है, जिसका इन्तजाम होना चाहिये और उसी पर हम विचार करना चाहते हैं। जो वहां पर गलत बातें हो रही हैं उनके बारे में तो एलेक्शन पिटीशन होगा ही।

श्री अध्यक्ष--आपका जो प्रस्ताव है उसमें सब बातें लिखी हैं जो चुनाव के बारे में हो रही हैं। आपने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि फलां जगह कत्ल हुआ। आपने सब कुछ उसमें लिखा है और वे सब बातें पिटीशन में सामने आ जायेंगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--नियम ६८ के अनुसार क्या किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर, जिसके लिये कार्य स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त इस प्रकार के विषय पर सरकार से पत्र-व्यवहार होना आवश्यक है?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, इतना जरूर है कि यदि किसी प्रश्न का साधारण शासन से सम्बन्ध हो तो वह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता। लेकिन उससे ऊपर

[श्री अध्यक्ष]

उठना चाहिये उस विषय को जिससे कि सरकार का कोई न कोई सम्बन्ध आ जाय। चूंकि प्रस्ताव में स्थानीय शासन का प्रश्न आप ले लेते हैं तो आपको तो प्रश्न उठाने में सहूलियत हो जाती है। पर साधारण बातों पर कामरोको प्रस्ताव नहीं उठ सकता। यदि आप प्रश्न से सरकार का सम्बन्ध जोड़ते हैं, और वह जुड़ता हो तो मौका दूंगा, वैसे मैं यह समझकर कि साधारण शासन का प्रश्न है उसको यहां पर मैं पेश भी नहीं होने दूंगा। माननीय सदस्यों को सहूलियत देने की गरज से मैं प्रस्ताव पढ़कर पूछ लेता हूं, कुछ कर लेता हूं। वैसे मैं इन्कार कर सकता हूं यह कहकर कि यह साधारण शासन का प्रश्न है और ऐसे महत्व का नहीं है जोकि साधारण शासन से उसका निराकरण नहीं हो सकता। यह बात कह कर ही उसे मैं खत्म कर सकता हूं। यह भी मौका इसलिये देता हूं कि आप उसका सरकार से सम्बन्ध बता सकें, तो साधारण शासन से वह ऊपर उठ जाकर कामरोको प्रस्ताव का विषय संभव है कि बन जाय, इसलिये यह सहूलियत दे देता हूं। यह तरीका है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की अधिकता को रोकने की दृष्टि से अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिक सुविधायें देने का सुझाव

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमान्, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं और वह इस सिलसिले में है कि इस सदन में बहुत से कामरोको प्रस्ताव आ जाते हैं, जिससे कि हमारे कामरोको प्रस्ताव का महत्व कुछ कम होता जाता है। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों का ज्यादा मौका दें जो इस समय ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये कामरोको प्रस्ताव इस हाउस में आकर उन कामरोको प्रस्तावों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आते हैं, कम महत्व कर देते हैं। तो उनके लिये कुछ सहूलियत हो जायगी। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ सुविधा प्रदान करें जिससे यहां जो कामरोको प्रस्ताव आ जाते हैं और महत्व के होते हैं, और वह कम महत्व के प्रश्न समझे जाते हैं, क्योंकि रोज आते हैं उनका कुछ महत्व रह जाय और इस सदन की मर्यादा भी रह जावे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह सुझाव बहुत अच्छा है और इस तरफ सदन का ध्यान हमेशा ही मैंने दिलाया है। मैंने कभी-कभी बीच में यह कह दिया कि अगर महत्व का विषय किसी शासकीय विषय के सम्बन्ध में आता है तो अल्प सूचित प्रश्न आप कर दें। मैं समझता हूं कि सरकार भी इस विषय में सदन की जो भावना है उसका ख्याल करके ऐसे विषयों के ऊपर अल्प सूचित प्रश्न स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं उठायेगी। मैं जानता हूं कि वह जवाब देने के लिये तैयार होती है जितनी भी शीघ्रतापूर्वक वह दे सकती है, क्योंकि मुझसे और नेता सदन से इस विषय में बातचीत हो चुकी है। उनका कहना है कि ऐसे विषयों पर प्रश्न देकर पूछ लेना ठीक है और शार्ट नोटिस प्रश्न देने पर वह सूचना देने के लिये तैयार हैं। यों ऐसे प्रश्नों पर उत्तर में अधिक देर होना अच्छा नहीं है। कम से कम एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी स्वीकृत हो जाय तो महत्व के प्रश्न पर प्रकाश पड़ सकता है। उसके बाद सदस्यों को समाधान कारक जवाब नहीं मिले तो वे आधा घंटा बहस कर सकते हैं। कामरोको प्रस्ताव पर तो आप दूसरे तरीके से बहस नहीं कर सकते हैं, उसके लिये ३५-३६ सदस्यों की संख्या होना संभव भी नहीं है, यदि आप उसके लिये अनुमति पर जोर दें। अल्प सूचित प्रश्नों का तरीका अधिक अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि इस तरीके में जितनी सहूलियत मैं दे सकता हूं, दूंगा और सरकार को अगर उसके लिये मालूमात हासिल करने में देर लगना अनिवार्य हो तो लाचारी है, मगर साधारणतया शीघ्र जवाब दे सकती है तो ऐसे प्रश्नों को स्वीकृत करेगी। और उत्तर तत्काल दे सकती है तो किसी को भी ऐतराज बाकी नहीं रहेगा।

†श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात को पसन्द करता हूं कि कम से कम कामरोको प्रस्ताव इस सभा में आ सकें, लेकिन मजबूरी विरोधी दल की भी होती है और सरकार को उसे एप्रीशियेट करना चाहिये। ऐसे प्रश्न आते हैं कि जिनमें किसी भी हालत में हम इगनोर नहीं कर सकते और वैसी स्थिति में हमारे लिये कोई चारा नहीं रह जाता है अतिरिक्त इसके कि हम कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करें। भले ही वह व्यक्तियों को, सदस्यों की संख्या के अभाव में गिर जाय लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है और जनता के प्रति अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिये ही हम कामरोको प्रस्ताव लाते हैं। मैं आपसे यह शिकायत करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर देने में देरी की जाती है, जिनका उत्तर केवल कार्यालय की देखरेख से दिया जा सकता है उनका भी उत्तर नहीं दिया जाता है, इसके लिये मैं कोई नाम रखना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री के ऐसे उत्तरदायित्व पद पर रहते हुये भी, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि जिनमें उत्तर प्रदेश की सरकार निहित है, उन्होंने भी उत्तर देने से इंकार कर दिया। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे कृपा करके इस बात की व्यवस्था करें कि विरोधीदल भी अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह सके। अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकेंगे तो हम अवश्य इस बात की कोशिश करेंगे कि कम से कम कामरोको प्रस्ताव उपस्थित हों और केवल ऐसे ही कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करें जिनमें सदन को कोई कठिनाई न हो। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सारी कठिनाई सरकार के उत्तर न देने या देरी करने की वजह से ही पैदा होती है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जो बात अभी उपाध्याय जी ने उठाई वह सिद्धांत की बात है। जिस वक्त एक सिद्धांत अच्छा मालूम होता है और उसे सब स्वीकार करते हों तो उस वक्त शिकायत की कोई चीज बाकी नहीं रहती। ऐसे समय यह कहना कि सरकार ने जिम्मेदारी महसूस नहीं की, उत्तर नहीं दिया, इस कारण से अब तक ऐसा हुआ। इन प्रश्नों पर हम इस वक्त ज्यादा जोर नहीं दे सकते। यदि सदन ऐसा तरीका अख्तियार करे और विरोधीदल को भी उसमें असानी मालूम पड़े, तो सरकार को भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर सदन के सामने चर्चा करने में कोई कठिनाई न होनी चाहिये। यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस सुझाव के बारे में कुछ कहना हो तो कहें।

†मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपाध्याय जी के सुझाव का स्वागत करता हूं। जैसा माननीय गेंदासिंह जी ने कहा संभव है कभी किसी मौके पर ऐसा हो गया हो, किसी सवाल के जवाब देने में देरी हो गयी हो या जैसा कि आपने कहा इंकार कर दिया गया हो, मैं नहीं जानता कौन कौन सी ऐसी चीजें आपके सामने हैं परन्तु सिद्धान्ततः ऐसा नहीं होना चाहिये। ऐसे कोई माननीय मन्त्री नहीं हैं जो इस बात को पसन्द करते हों।

कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिनपर सरकार की ओर से भी यह इच्छा होती है कि वह जनता के सामने उसकी जानकारी रक्खे क्योंकि हर बार यह संभव नहीं होता कि सरकार अपनी ओर से कोई स्टेटमेंट दे। कामरोको प्रस्तावों के आने से वह चीज हाउस के सामने नहीं आ पाती क्योंकि उनमें कोई न कोई खराबी होती है और उसी आधार पर उसका विरोध होता है और इस प्रकार से वही चीज वहीं खत्म हो जाती है तथा उस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता। शार्ट नोटिस क्वेश्चन से सरकार को कुछ कहने का मौका मिल जायगा। जब तक कि कोई खास कारण न हो सरकार उसका कुछ न कुछ जवाब अवश्य देगी। यदि यह प्रयोग चल गया तो कार्य भी अधिक होगा और सदन की मर्यादा भी बढ़ेगी।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, इसमें दो विषय हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि माननीय मदन मोहन जी ने अपनी ओर से नयी उठायी हो, आपकी स्वयं की व्यवस्था पहले से ही ऐसी है। आप इस सदन से स्वतः अपनी ओर से कह चुके हैं

---

†वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

कि लोग शार्ट नोटिस क्वेश्चन दे दिया करें, लेकिन मैं अपने कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि ···

श्री अध्यक्ष---मैंने तो उस प्रस्ताव या सुझाव को मान लिया, अब कुछ अधिक कहने का मौका नहीं है ।

श्री राजनारायण---वह तो हम परिणत कर सकते हैं लेकिन जो कामरोको प्रस्ताव का अर्थ है उसको समझते हुये मैं चाहता हूं कि हमें यह अधिकार होना चाहिये ···

श्री अध्यक्ष---आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है, जो रास्ता आप नियमों के अनुसार अख्तयार करना चाहें वह अख्तयार कर सकते हैं । वह उन को भी बाध्य नहीं करता, अगर कोई भी सदस्य बाध्य नहीं होते तो इसक प्रयोग में जो रिस्क है उसे आप उठा लें ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह बाध्य होने का सवाल नहीं है, वैसे आपके निर्णय से हम बो डाउन होंगे लेकिन हमारा जो अधिकार है वह ···

श्री अध्यक्ष---हमको ऐसी चीज पर अमल करने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये, नियमों के अनुसार वैसे कोई सदस्य भी कोई प्रस्ताव लायेगा तो मैं उसे रोकूंगा नहीं ।

श्री राज नारायण---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ···

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठ जायं, १५ मिनट हो गये, अब आप कल इस प्रश्न को उठा सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

खण्ड ६ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---मैं इस विषय में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से जानना चाहूंगा कि खड ६ में प्रस्तावित धारा १० की जो उपधारा (२) है उसमें जो संशोधन आया है वह आप रखना चाहते हैं या नहीं ?

†नियोजन मन्त्री के सभा सचिव (**श्री बनारसीदास**)---श्रीमन्, यह संशोधन खंड ५ में मैं पेश करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---यह जो संशोधन है इसको आप स्वीकार करते हैं या नहीं ? वह वैसे ही कायम रहेगा ?

श्री बनारसीदास---वह तो मैं निवेदन कर चुका था कि यह जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन जिस तरह से पेश है वह मान्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---इस समय यह जो खंड ६ का (२) है इस पर बहस जारी रहे और उसके बाद में ६(१) ले लूंगा, भाषण समाप्त होने के बाद ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---अध्यक्ष महोदय, खंड ५ में जो स्थगित किया गया था उस का परिवर्तित स्वरूप यदि आ जाता तो हम उसके विषय में विचार कर लेते ।

श्री अध्यक्ष---अब श्री मौर्य जी का भाषण हो जाय उसके बाद वह ले लेंगे ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---(जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, एजेंडा की क्रम संख्या २२ पर जो संशोधन छपा है मैं उस पर कल अपने विचार व्यक्त कर रहा था और मैं यह कह रहा था कि इस संशोधन का किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं है जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने अपने कल के भाषण में कहा था कि सोशलिस्ट पार्टी का ऐसा मत है । यह एक विचारणीय बात है कि जो एक बार चेयरमैन नामिनेट हो जाय फिर उसको हटाने की प्रणाली क्या होगी । क्या यह मुनासिब है कि उस नामिनेटेड चेयरमैन को भी जिस समय चाहे हटाकर उसकी जगह दूसरा चेयरमैन नामिनेट कर दिया जाय ।

---

*२१ नवम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है ।

†१३ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है ।

या उसके हटाने के लिये कोई कारण उत्पन्न हो। इस संशोधन का जो अर्थ निकलता है वह यह है कि जब चैयरमैन हटाया जाय तब उसके खिलाफ जब बोर्ड का अविश्वास का प्रस्ताव पास हो तभी वह हटाया जाय। तो यह बात बिल्कुल मुनासिब मालूम होती है। जब तक वह बोर्ड का कान्फीडेन्स गेन किये हुये हैं तब तक वह नामिनेटेड चेयरमैन हटाया न जाय। अधिनियम में दिया हुआ है कि बोर्ड का प्रेसीडेन्ट तीन साल के लिये होगा। सरकार ने जब नामजद कर दिया तो वह तीन वर्ष तक बना रहेगा, लेकिन उसके बाद यह न रहे कि सरकार जब चाहे उसे हटा सके और दूसरा नामिनेट कर दे। इसलिये मेरा सूक्ष्म में इतना निवेदन है कि सरकार इस प्रकार का कोई संशोधन जो जरूरी समझे करे और यह संशोधन इसी आशय का मालूम होता है। इसमें कोई खामी नहीं मालूम होती। इसमें है कि बोर्ड का प्रेसीडेन्ट तभी हटाया जाय जब बोर्ड उसके प्रति अविश्वास प्रकट करे और जब तक वह प्रकट न हो तब तक वह बना रहे और फिर दूसरा सरकार तब तक उसकी जगह पर नामजद न करे जब तक उसे बोर्ड का विश्वास प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष---सदन में बातें बहुत हो रही हैं। कृपया माननीय सदस्य शान्ति रखें।

(एक क्षण के अनन्तर)

एक सुझाव मेरे पास आया है। माननीय मन्त्री जी ने खंड ५ को फिर से बदल कर और सुधार करके पेश करने का वादा किया था। मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि इसी वक्त क्योंकि ६ पर भी उसका असर पड़ेगा, इसलिये ५ को हम पहले ले लें और ६ को अभी स्थगित कर दें। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है ?

(एक क्षण ठहर कर)

तो कृपा करके माननीय मन्त्री जी उसे उपस्थित करें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अध्यक्ष महोदय, सदन में शोर बहुत हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---मैंने माननीय सदस्यों से शान्त रहने को कहा है। अभी सदन का कार्यक्रम जारी है। ऐसी अवस्था में वह आपस में बातचीत न करें। अगर किसी को बातें करनी हैं तो वह लाबी में जाकर हो सकती हैं।

खंड ५ (क्रमागत)

श्री बनारसी दास---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"5. (1) The Board shall consist of the following members (including the President) :

(i) A President to be nominated by the State Government,

(ii) Five members to be nominated by the State Government,

(iii) One member each from a University established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine, in the manner prescribed by the Faculty,

(iv) Two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh, to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board.

(v) One member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh, to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board, and

[श्री बनारसी दास]

(vi) Nine members (6 Vaids and 3 Hakims) to be elected, in the prescribed manner, by the registered Vaids and Hakims, respectively, of Uttar Pradesh:

Provided that the President and every member to be elected or nominated, as the case may be, under clauses (ii), (iv) and (v) shall be from amongst the registered practitioners.

(2) The Board shall elect one of its members to be the Vice-President."

श्री अध्यक्ष--उस रोज नवल किशोर जी का ५(१) के ऊपर संशोधन हो चुका था और अभी और संशोधन बाकी है। नवल किशोर जी का संशोधन जो ५ (१) पर था वह जारी रहेगा और वे चाहें तो उसे जारी रख सकते हैं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--मैं यह समझता हूं कि अभी सरकार की तरफ स जो संशोधित धारा ५ पेश की गई है उसमें वह चीज कवर हो जाती है। इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--यह जो अभी संशोधित रूप इस खंड का रक्खा है वह हमें मिला नहीं है।

श्री अध्यक्ष--पहले आप समझ लें। मैं बतलाये देता हूं फिर आपके पास आ जायगा। विधेयक में खंड ५ का जो रूप था पूरा का पूरा वही रूप रहा सिर्फ उस खंड ५ में सब-क्लाज (३) जो है उसके शब्द इस प्रकार हो जायेंगे--

"One member each from a University established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine, in the manner prescribed by the Faculty."

इस तरह से १, २, ४, ५ और ६ जैसे इसमें थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन चूंकि उस रोज सदन में यह इच्छा प्रकट की गयी थी कि सभी वैद्य या हकीम होने चाहिये, इसलिये यह ६ (१) के बाद प्रोवाइजो और लगा दिया गया है--

"Provided that the President and every member to be elected or nominated, as the case may be, under clauses (ii) to (v) shall be from amongst the registered practitioners."

सब-क्लाज (२) वैसा का वैसा ही रहा, जैसा कि अभी मौजूद है। इसलिये सदन को कुछ दिक्कत भी नहीं है। जितने संशोधन इसके बाद आये हैं वे एक एक करके मैं ले लेता हूं।

श्री तेज प्रताप सिंह--दूसरा प्रश्न यह था कि जैसा मैंने निवेदन किया था कि ५ को फिर से संशोधित किया जा रहा है। उसका रूप फिर से स्थिर किया जा रहा है। तो क्या फिर उसमें हम अमेंडमेंट रख सकेंगे। पूरे ५ खंड पर?

श्री अध्यक्ष--पूरा खंड चूंकि सब्सीटीट्यूट नहीं हुआ है, इसलिये नया संशोधन नहीं आयेगा। सब-क्लाज (१) ही समाप्त हुआ है और इस सब-क्लाज पर जितने अमेंडमेंट आ चुके हैं वे वैसे के वैसे ही रहेंगे उसके ऊपर नये अमेंडमेंट नहीं लिये जायेंगे।

श्री तेजप्रताप सिंह--लेकिन जिस वक्त डिस्कशन चल रहा था तभी उसका फिर से रूप स्थिर करने के लिये उसको स्थगित कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष--लेकिन उसका रूप तो वही का वही रहा।

श्री तेजप्रताप सिंह--रूप चाहे जो कुछ हो, लेकिन यह अधिकार होगा हर माननीय सदस्य को कि सब-क्लाज (१) में वह अमेंडमेंट दे सके।

श्री अध्यक्ष--अमेंडमेंट तो चल ही रहे हैं उसके ऊपर। आप और क्या अमेंडमेंट लाना चाहते हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह--मैं उसी पर आ रहा हूं। मैंने सब-क्लाज (१) में एक अमेंडमेंट दिया था "A President to be elected by the members of the Board."

श्री अध्यक्ष--इसमें तो आपको (सरकार को) आपत्ति नहीं होगी। आप पेश कर दें।

श्री बनारसी दास--एक बात मुझे निवेदन करनी है। उस रोज माननीय सदस्य ने जो ५वें क्लाज के बारे में अपना नया संशोधन पेश किया था उसमें शुरू में यह भी था "A President to be elected by the members of the Board" और सदन उसको रिजेक्ट कर चुका है।

श्री अध्यक्ष--यह उसका मतलब नहीं निकलता। जब कोई सब्सटीट्यूशन का संशोधन होता है उसके नामन्जूर होने के बाद भी सदन को एक एक सब क्लाज लेने का अधिकार बाकी रहता है और कोई भी सदस्य किसी सब-क्लाज का ही केवल संशोधन पृथक दे सकता है। इसलिये वह भी दे सकते हैं। चूंकि आपने संशोधन करके खंड को उपस्थित किया है शार्ट नोटिस पर, इसलिये वह यह चाहते हैं कि उन्हें भी अधिकार इस बात का होना चाहिये कि वे सब-क्लाज के संशोधन को प्रेस कर सकें। मैं समझता हूं कि आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिये। ऐसे संशोधन केवल एक ही दो होंगे ?

(श्री तेज प्रताप सिंह से) तो आप उपस्थित कर सकेंगे।

मैं और लोगों से पूंछ लूं जिन्होंने इस पर संशोधन दिये हैं कि वे पेश करना चाहते हैं या नहीं।

श्री नवल किशोर--मैं आपसे एक बात और कहना चाहता था। अभी जो सरकार की तरफ से संशोधन पेश हुआ है इसके अन्दर हम अपना संशोधन पेश कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--वही तो मैं कह रहा हूं। आप बराबर पेश कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

(श्री नवल किशोर से) आप अपना संशोधन नहीं प्रेस करना चाहते हैं ?

श्री नवल किशोर--जी नहीं। मैं उसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, जरा मेरे अमेंडमेंट में एक बात छूट गयी है आप की आज्ञा से मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--प्वाइन्ट आफ आर्डर। माननीय तेज प्रताप सिंह जी का जो संशोधन है वह पूरे खंड का है और जो आप संशोधन कर रहे हैं वह खंड के अन्त में कर रहे हैं। मेरी समझ में पहले जो शुरू से है पहले वह आना चाहिये। उसके बाद उनका संशोधन उपस्थित हो सकेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल--अगरचे उनका संशोधन मान लिया गया तो उसमें भी मुझको रखने का अख्तियार हो जायगा। इसलिये वह पहले पेश कर लें।

श्री अध्यक्ष--श्री जगन्नाथ मल्ल अंत में संशोधन करना चाहते हैं, उनका संशोधन पहले नहीं आयेगा। श्री तेज प्रताप सिंह पहले उपस्थित कर दें।

श्री तेज प्रताप सिंह--आदरणीय अध्यक्ष महोदय..... .....

श्री अध्यक्ष--(श्री जगन्नाथ मल्ल से) आपके संशोधन में है :

"President to be nominated by the State Government from the elected members."

श्री जगन्नाथ मल्ल—"amongst" छूट गया है ।

श्री तेज प्रताप सिंह—मैं आपकी आज्ञा से खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) का भाग (i) निम्नरूप में रखना चाहता हूं —

"a President to be elected by the members of the Board."

पिछले दिन में इस खंड ५ के पूरे रूप को बदलना चाहता था। उस पर बहस भी हुई थी। परन्तु कतिपय कारणों से हमारे मन्त्री जी उसको स्वीकार नहीं कर सके। अब मैं फिर चाहता हूं और केवल एक बात की ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है क्लाज (१) की तरफ जिसमें प्रेसीडेन्ट के नामजद करने की बात रखी गयी है और मैं आशा यही करूंगा कि मेरे कारणों को सुनकर मन्त्री जी जिस तरीके से उन्होंने खंड ५ के पूरे रूप को फिर से संशोधित कर दिया है। उसी प्रकार क्लाज (१) को भी संशोधित करने की कृपा करेंगे। मेरा मन्तव्य केवल अब इतना ही है कि बोर्ड के संगठन.....

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। श्रीमन्, माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है वह बोर्ड के मेम्बर्स द्वारा चुने जाने के विषय में है "A President to be elected by the members of the Board." और इस खंड को श्रीमन्, देखेंगे तो उसका ओपनिंग, गवर्निंग क्लाज जो है "The Board shall consist of the following members (including the President.)"

तो मेम्बर्स की बात कही जाती है और इस प्रकार से बोर्ड के मेम्बर्स चुने जायेंगे और पहले ही क्लाज इसका यह है कि एक प्रेसीडेन्ट होगा गवर्नमेंट का नामीनेट होगा। आप कह रहे हैं कि बोर्ड का निर्वाचन होगा। तो अभी बोर्ड कान्स्टीट्यूट हुआ ही नहीं.....

श्री अध्यक्ष—तो आप कान्स्टीट्यूट यहां थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री अब्दुल मुईज खां—नहीं, नहीं, अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो कहते हैं कि क्लाज (१) उसमें मेम्बर की बात कही जाती है और जब तक उस क्लाज (१) के मातहत जो मेम्बर आयेगा उस बोर्ड में वह आ नहीं जाता तब तक बोर्ड कम्पलीट नहीं होता, उसका चुनाव कम्पलीट नहीं हो सकेगा It will be putting the cart before the horse.

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री तेज प्रताप सिंह—तो मैं यह कह रहा था कि जिस प्रकार से सरकार ने इस खंड ५ के रूप को फिर से संशोधित करने की कृपा की है मैं समझता हूं उसी उदारता से इस क्लाज (१) को भी.....

श्री अध्यक्ष—आप अपना संशोधन दोहरा दें।

श्री तेज प्रताप सिंह—"A President to be elected by the members of the Board."

वैसे मैंने और भी कुछ शब्द रखे थे, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो छठवां क्लाज रखा हुआ है वह कवरअप कर लेता है और रजिस्टर्ड वैद्य और हकीम ही प्रेसीडेन्ट या मेम्बर हो सकेंगे, चाहे नामजदगी से हो या किसी तरह। इसलिये मैंने उसको हटा दिया है। तो मेरा निवेदन केवल मात्र इतना है कि जिस उदारता से हमारी सरकार ने सारे बोर्ड के संगठन को फिर से सुनिश्चित किया है, जिसमें कि केवल हकीम और वैद्य ही आ सकेंगे उसी उदारता से इस सिद्धांत को भी मानने की कृपा करेगी कि प्रेसीडेन्ट

जो बोर्ड का हो वह नामजद सरकार द्वारा न किया जाय बल्कि उन मेम्बर्स पर ही यह छोड़ दिया जाय कि वे अपने प्रेसीडेन्ट को चुन लें। इस सिद्धांत की चर्चा हो चुकी है, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता और उसके उत्तर में भी कहा जा चुका है, लेकिन जहां आप इस सिद्धांत को मान लेते हैं कि बोर्ड के सदस्य केवल वैद्य और हकीम हों क्योंकि वैद्य और हकीम ही ज्यादा अपनी इस पद्धति को समोन्नत बना सकते हैं, उसकी तरक्की कर सकते हैं। वहां पर उसी सिद्धांत के अनुसार उनका जो संचालक होगा, प्रेसीडेन्ट होगा वह भी अगर उन्हीं की राय से मनोनीत होगा तो वे और भी अच्छी तरह से अपनी पद्धति में सुधार कर सकेंगे और उसको अग्रसर कर सकेंगे। चुनाव के बारे में जैसा कि पिछली मर्तबा कहा गया था कि चुनाव से तमाम अनावश्यक लोग अपना प्रयास करेंगे कि वह बोर्ड के प्रेसीडेन्ट बन सकें तो वहां उसके उत्तर में यह भी कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट जब नामिनेशन का अख्तियार अपने में निहित करेगी तो फिर उसमें बहुत सी अनावश्यक बातें भी पैदा हो सकती हैं। लोग कोशिश करेंगे माननीय मन्त्री जी को और सरकार को परेशान करेंगे क्योंकि वैद्य हकीम भी आखिर अपनी इच्छायें रखते हैं, कोशिश करेंगे कि हमारी नामजदगी हो। तो मैं समझता हूं कि चुनाव में दलबन्दियां जो हो जाती हैं और आपस में कुछ मनोभाव और मनोमालिन्य पैदा होते हैं उससे ज्यादा खराबी इस पद्धति से होगी नामजदगी के दौरान में जो वह उपयोग में लायेंगे और इस बात को स्वीकार ही करना चाहिये। मैंने आगे भी एक संशोधन रखा है, जिसके द्वारा मैंने यह इच्छा प्रकट की है कि सरकार प्रेसीडेन्ट के टर्म को केवल एक ही बार रखे। मेम्बर का और प्रेसीडेन्ट का टर्म केवल तीन साल का है। मैंने आगे अपना एक सुझाव रखा है कि प्रेसीडेन्ट भी मानोपलाइज न कर सके। वह केवल एक ही टर्म तक रह सके। तो वह जब संशोधन आयेगा तो उसको पेश करूंगा ही। अभी केवल इतना ही निवेदन है कि इस बोर्ड के प्रेसीडेन्ट को भी मेम्बरों की इच्छा पर छोड़ दिया जाय। जो वैद्य और हकीम आयें वह अपना प्रेसीडेन्ट चुन सकें और इसी में उस बोर्ड का कल्याण होगा और इस भारतीय चिकित्सा पद्धति का भी कल्याण होगा। यह जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिये।

†**श्री अब्दुल मुईज खां**--माननीय अध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती से अपने प्वाइन्ट आफ आर्डर में जो बात कहने की कोशिश मैंने की थी शायद वह साफ न कह सका। मेरे कहने का आशय यह था कि.....

श्री अध्यक्ष--अब तो आप विरोध कर सकते हैं। प्वाइन्ट आफ आर्डर की सफाई नहीं दे सकते।

श्री अब्दुल मुईज खां--जी हां, वह तो मैंने रिफर किया। मैं विरोध में ही यह कह रहा था कि इस क्लाज का ओपनिंग सेंटेंस जो है वह यह है कि दि बोर्ड शैल कन्सिस्ट आफ दि फालोइंग मेम्बर्स (इंक्लूडिंग दि प्रेसीडेन्ट)। मतलब यह है कि प्रेसीडेन्ट भी एक मेम्बर होगा और नीचे दिये तरीकों से वह मेम्बर्स आयेंगे। अब यह है कि उसमें एक प्रेसीडेन्ट होगा जो नामिनेट हो या एलेक्ट हो, लेकिन वह भी एक मेम्बर होगा उस बोर्ड का और उसके बाद और बकीया मेम्बर्स क्लाज दो, तीन, चार के मातहत आयेंगे। इस तरह से आप मान लें कि १२ मेम्बर्स कुल होंगे, जिनमें से एक मेम्बर जो होगा वह बोर्ड का प्रेसीडेन्ट होगा। तो यह १२ मेम्बर्स जब कम्पलीट हो जाते हैं तब बोर्ड कान्स्टीट्यूट हुआ। जब तक यह १२ मेम्बर्स कम्पलीट नहीं हो जाते और उन्हीं में प्रेसीडेन्ट भी एक है तब तक बोर्ड कांस्टीच्यूट नहीं होता और जब तक बोर्ड कांस्टीच्यूट नहीं होता तब तक बोर्ड के मेम्बरों द्वारा चुनाव भी मुमकिन नहीं है। आपने कहा कि बोर्ड के मेम्बरों द्वारा चुना गया प्रेसीडेन्ट होगा। तो उसमें कांट्रेडिक्शन हो जाता है कि क्लाज वन जिस मेम्बर के विषय में कहता है कि वह प्रेसीडेन्ट भी होगा, वह चुना जायगा तो चुनने की बात पहले कैसे आ जाती है। जो विधेयक में है उससे तो साफ जाहिर है कि एक गवर्नमेंट द्वारा मनोनीत प्रेसीडेन्ट होगा और बकीया मेम्बर्स होंगे और वह प्रेसीडेन्ट भी मेम्बर्स की हैसियत रखेगा।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल मुईज खां]

तो १२ मेम्बर्स होंगे। वह १२ मिलकर तेरहवें का चुनाव करें तो यह तो समझ में आ सकता है लेकिन वह १२ मिलकर बारह में से एक का चुनाव करें तो यह संभव नहीं है। इसलिये जिन शब्दों के साथ आपने अपना यह रखा है संशोधन का प्रस्ताव यह मेरा ख्याल है उस बोर्ड के उद्देश्य के ही खिलाफ पड़ता है और मेरा ख्याल है इसे वापस करलें या परिवर्तित रूप में रखें तो ज्यादा अच्छा है।

*श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुईज खां साहब का एतराज है उसमें एक फैलेसी यह भी है कि यह नहीं है कि इस संशोधन में कि वह उनमें से ही होगा। अगर प्रेसीडेन्ट मेम्बर होगा तो यह हो सकता है कि नान मेम्बर चुना जाय प्रेसीडेंट और प्रेसीडेन्ट चुन जाने के बाद उसको मेम्बर की हैसियत भी हासिल हो जाय। इसलिये जरूरी नहीं है कि वह मेम्बर भी हो। अब दूसरी दिक्कत यह है कि इस वक्त यह संशोधन न लिया जाय तो बाद में तो आयेगा नहीं? अगर यह हिस्सा पास हो गया। इसलिये अगर यह हो और स्पीकर महोदय अगर आपकी यह राय हो कि पहले बोर्ड के मेम्बर आ जांय और उसके बाद प्रेसीडेन्ट को चुनने की बात आये। तो यह तो ऐजस्टमेंट की बात होगी, जिसको आप स्वयं कर देंगे और इसको आप छठवीं, सातवीं जगह पर रख दीजिये। यह तो ऐजस्टमेंट की बात है। बहस यह है कि प्रेसीडेंट नामिनटेड हो या एलेक्टेड हो। मैं बहुत अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह मसला जरूर ऐसा है जिस पर कि सरकार को और ज्यादा गौर करना चाहिये। क्योंकि जो दलीलें नामिनेशन के हक में दी गयी हैं वह सिर्फ यहीं तक नहीं रहतीं कि इंडियन बोर्ड आफ मेडिसिन का कांस्टीटयूशन क्या हो, बल्कि बहुत दूर तक जाती हैं। जहां कि खराबियां ऐसी जगह पर हैं जहां के चेयरमैन को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं हासिल है तो यह खराबियां कई गुना ज्यादा मिलेंगी जहां इस चेयरमैन को ज्यादा अधिकार दूसरी जगह है। हमने स्वराज्य मिलने के बाद पूरे तौर से जितने भी ज्यादा से ज्यादा प्रजातंत्रात्मक तरीके हो सकते थे अपनाये। हमने वह तरीका अपनाया जो बड़े बड़े मुल्कों में जहां कि डिमाक्रेसी की तारीफ होती है, उन्होंने सैकड़ों वर्ष बाद अपनाये। स्विटजरलैंड की तारीफ थी कि वहां की डिमाक्रेसी सब से अच्छी है, वहां औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। हमने शुरू से ही यह अधिकार औरतों को दिया। हमने जहां तक हुआ, सारी चीजों में एक डिमाक्रैटिक सेट-अप को पूरे तौर से लाने की कोशिश की। कांस्टीटयूशन बना, उसके बाद दूसरी चीजें संशोधित हुईं। म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट संशोधित हुआ, उसमें तीन आदमियों को नामिनेशन करने का अधिकार था, वह हटा दिया गया। उसी तरह से जगह जगह कोशिश की जा रही है। गांव सभाएं बना दी गयीं। पहले ३६ हजार थीं। अब ७५ हजार से ज्यादा हैं। इतनी गांव सभाओं के प्रेसीडेंट चुने हुए होंगे। यह सारा जो सेट-अप बना दिया गया, उन अनपढ़ गांव वालों को अधिकार दिया गया कि वह चुन लें। म्युनिसिपैलिटीज को अधिकार दिया कि उनमें से भी नामिनेशन हटा दिया गया, कांस्टीट्यूशन में पूरे तरीके से चुनने का अधिकार दिया गया। असेम्बली में एक आदमी नामजद किया है, इसलिए कि शायद वह इंटेरेस्ट सेफगार्ड न रहे अगर नामजदगी न हो। इसलिए हमने जहां जहां नामिनेशन की चीजें थीं स्वराज्य मिलने के बाद और विधान बनने पर चुनाव की तरफ हम चल रहे हैं। अब अगर सरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि चुनाव में खराबियां हैं और वह खराबियां गन्दगी पैदा करती हैं, इसलिए नामजदगी हो, तो यह चीज हमको कहां ले जायगी, यह विचार करने की बात है। क्या अगर ये खराबियां दूसरी जगह नजर आयें तो वहां नामजदगी शुरू हो जायगी? मैं अदब से कहना चाहता हूं कि मेरा ख्याल है कि जितनी असेम्बली के एलेक्शन में गन्दगी होती है उससे सौवां हिस्सा भी प्रसीडेंट के एलेक्शन में गन्दगी नहीं होगी। जितनी खराबियां असेम्बली के मेम्बरों के और पार्लियामेंट के मेम्बरों के चुनने के सिलसिले में होती है, जगह जगह म्युनिसिपैलिटीज में और लोकल बाडीज में होती हैं तो इस बेचारे चेयरमैन के चुन जाने में क्या गन्दगी होगी? क्या इन गन्दगियों के कारण उन चुनाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की पद्धतियों को हटाकर नामिनेशन की तरफ ले जायंगे या नहीं, इस मसले पर बहुत गौर करने की जरूरत है। मेरी राय है कि इस मुल्क ने सही या गलत और मैं कहता हूं कि सही एक तरीका अख्तियार किया है। डिमाक्रैटिक सेट-अप हम इस मुल्क में कायम रखना चाहते हैं। उसमें बहुत सी कमजोरियां हो सकती हैं, शुरू में खराबियां हो सकती हैं उनको दूर करने का भी हमने फैसला कर लिया है। इसलिए उस रास्ते को हटाकर दूसरे रास्ते पर इस पीछे के दरवाजे से इस विचारधारा को आगे न ले जाने दिया जाय, यह मेरी प्रार्थना है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नामिनेशन का तरीका गवर्नमेंट अपनाये नहीं, यह गलत होगा। क्योंकि अगर एक जगह शुरू कर दिया और हमने वह दलीलें सब गवर्नमेंट की मान लीं कि इसमें ये ये खराबियां होती हैं तो फिर हम कहां जायंगे? क्या इसको दूसरी जगह अमल में लायेंगे? इसलिए इस तरीके को मैं समझता हूं कि अख्तियार न किया जाय और नामिनेशन की जगह एलेक्शन रखा जाय।

एक तरीका इसमें और भी है। एक दिक्कत यह है कि अगर शुरू में नामिनेशन होता तो उसमें इतना नुकसान नहीं था। अब मुसीबत यह हो गयी है कि जो इस वक्त ला है उसमें एलेक्शन है। जो पहले नामिनेशन का स्टेज था वह खत्म हो चुका और एलेक्शन का जब स्टेज आया तो हम एलेक्शन को हटा कर नामिनेशन कर रहे हैं। यह नहीं कि एक नया बोर्ड बनने वाला है और उसमें हमने सोचा कि नामिनेशन रखा जाय बल्कि एक कानून बना हुआ है उसमें पहले टर्म में चेयरमैन का एलेक्शन हुआ और अब नय टर्म में हम कहते हैं कि नामिनेशन हो। मुझे याद नहीं है कि एलेक्टेड चेयरमैन की खराबियां कभी हमारे सामने आयी हों, मुझे याद नहीं है कि इसकी शिकायत हमारे सामने आयी हो कि वैद्यों में बहुत ज्यादा खराबी है, जोकि हम पोलिटिकल पार्टीज में हैं। उनकी खराबियां हमने देखीं नहीं। इसलिये एलेक्शन की जगह नामिनेशन रखने से लोगों में ज्यादा गलतफहमी होगी, ज्यादा लोग हमसे नाराज होंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरफ हम जाना चाहते हैं वह तरीका नहीं है, उसको रोका जाय और जिस तरह से एलेक्शन था वही रहे, नामिनेशन न हो। गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां पहले ही हैं और जिसकी जिम्मेदारी होती है उसकी बदनामी भी होती है, उसको लोग सही और गलत तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। अब हर जगह ही अगर हम नामिनेशन करने लगें तो हमारा बोझ बहुत बढ़ जायगा। इसलिये गवर्नमेंट इस जिम्मेदारी को न ले तो अच्छा है क्योंकि हमें बहुत से काम करने हैं और जब नामिनेशन करेंगे तो जरूर है कि लोग नुक्ताचीनी करेंगे। और फिर क्या गारंटी है कि हमेशा अच्छे ही आदमी गवर्नमेंट में रहेंगे। आज मिनिस्टर साहब अच्छे हैं, माकूल हैं, लेकिन अगर कभी गलत मिनिस्टर आ जायें, चाहे इस पार्टी के हों चाहे दूसरी पार्टी के इससे मेरा मतलब नहीं है, और वह गलत नामिनेशन करने लगें तो इसके लिये क्या रुकावट है, क्योंकि नामिनेटेड मेम्बर को फिर आगे चल कर आप यह कह रहे हैं कि उसको सिर्फ गवर्नमेंट ही रिमूव कर सकती है चाहे वह बोर्ड के तमाम मेम्बरों का विश्वास खो चुका हो, चाहे वे वैद्य यह देख रहे हों कि इसके कार्यकाल में कार्य ठीक तरह से नहीं चल सकता लेकिन फिर भी, वे उसको हटा नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट यह समझे कि वह आदमी माकूल है। तो सारे वैद्यों के नुमायन्दे एक तरफ और गवर्नमेंट का नामिनेटेड प्रेसीडेंट एक तरफ। नामिनेशन करने से जो हम यह एक ढांचा बना रहे हैं और चाहते हैं कि यह सिस्टम फले फूले वह नहीं हो सकेगा। इसको बहुत सी मुसीबतों का मुकाबला करना है। एलोपैथिक सिस्टम के पास पैसा काफी है, उसको अंग्रेजी सरकार ने बढ़ाया था, हम भी बढ़ा रहे हैं, हम भी उससे इलाज कराते हैं। इन तमाम दिक्कतों का मुकाबला करके यह आयुर्वेदिक सिस्टम कुछ जिन्दा रह पाया है और अब अगर और मुसीबतें पैदा होंगी तो यह सिस्टम बहुत कमजोर हो जायगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर गवर्नमेंट अच्छी तरह से विचार कर ले और नामिनेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, माननीय तेज प्रताप जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उस दिन नहीं था जब यहां नामिनेटेड प्रेसीडेंट के बारे में दलीलें दी गयी होंगी। इस सम्बन्ध में कि नामिनेशन से क्या खराबियां हो सकती हैं उसे माननीय गौतमजी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। यह बिल सन् ३९ में बना था और उस समय अंग्रेजी सरकार थी। (एक आवाज--कांग्रेस सरकार ही थी।) तब तो उस गवर्नमेंट ने जो काम किया उसको इस गवर्नमेंट को अपनाना चाहिये। उस समय के जो चेयरमैन थे वे एलेक्टेड होते थे और मैं समझता हूं कि उस समय की कुछ दिनों की गवर्नमेंट ने जो एक उदाहरण पेश किया उसको हमारी इस समय की गवर्नमेंट को जो कई साल एलेक्टेड प्रेसीडेंट के अनुभव को प्राप्त कर चुकी है मान लेना चाहिये। और यह कमेटी की रिपोर्ट जो इस संबंध में नियुक्त की गई थी और सम्भवतः जिसका चेयरमैन होने का सौभाग्य आप प्राप्त कर चुके हैं अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी ने सिफारिश की है कि चेयरमैन एलेक्टेड हो। अगर कमेटी नियुक्ति की जाती है और उन पर रुपया तथा समय बरबाद किया जाता है तो गवर्नमेंट के लिये यह अत्यावश्यक है कि जहां तक हो सके उनकी सिफारिशों को माना जाय। मैं और अधिक न कहकर इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली के परिपोषण के लिये यह आवश्यक है जहां तक नामिनेशन की प्रथा को हटाया जाय वह बहुत ही अच्छा है। इसलिये जो सुझाव माननीय सदस्य ने रखा है वह बहुत ही उचित है और स्वीकृत हो जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जो तेजप्रताप सिंह जी ने संशोधन रखा है मैं चाहता था कि तेजप्रताप जी और गौतम जी के सुनने के बाद मंत्री जी स्वतः खड़े होकर कहें कि हम इसको स्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष--आपके सुनने के बाद तक शायद वह रास्ता देखें।

श्री राज नारायण--अब मैं गोसांई तुलसीदास जी की वाणी को दुहराता हूं कि "रसरी आवत जातते सिल पर होत निशान।" यानी अगर किसी बात को ठीक तरह से बराबर कहा जाय तो सख्त से सख्त आदमी भी सोचने के लिये बाध्य होगा तो मैं गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि इसमें इतना वजन है कि इसको ठुकराया नहीं जाना चाहिये। माननीय मोईज खां ने जो तर्क रखा, मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई सैद्धान्तिक बात नहीं रखी बल्कि एक कानूनी बारीकी को सामने रखा तो वह बारीकी कहीं रास्ते में सामने नहीं आती है और अगर आती तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित होने के बाद वह स्वतः संशोधन करने की बात कहते। यह जो :--

"The Board shall consist of the following members (including the President) to be elected by the Board"

अगर यह संशोधन हो जाता है बाई दी स्टेट गवर्नमेंट तो यह समझ में नहीं आया कि कहां से मोईज खां को भ्रम पैदा हो गया कि इसमें व्यतिक्रम हो जाता है, कहीं नहीं है। यह बिल्कुल ठीक संशोधन है तो हमें इसके सैद्धान्तिक पहलू पर जोर देना चाहिये। आया सरकार सही माने में--अब हम तो इन शब्दों के प्रयोग में ऐसे अभ्यस्त हैं कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है और भरसक कोशिश करता रहा और कभी कभी तो अध्यक्ष जी की भी भृकुटि टेढ़ी हो जाती है और मैं उनके क्रोध का भाजन भी होता हूं, लेकिन मैं अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिये बाध्य होता हूं। मैं कहता हूं कि हमें शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। अगर सरकार सही माने में जनतंत्र मानती है और जनतंत्र का जो विकेन्द्रीयकरण का उसूल है उसको सरकार चाहती है या नहीं, यदि नहीं चाहती है तो हमेशा के लिये सदन के वाद-विवाद की परिस्थिति बंद कर दी जाय और सरकार की ओर से कह दिया जाय कि हम विकेन्द्रीयकरण की ओर काम करेंगे तो केन्द्रीयकरण का मामला हो जाता है और हम लोग सोचेंगे कि जब जनमत तैयार नहीं होगा और जन-चेतना नहीं होगी और सिवाय इसके सरकार

के हटाये बिना काम नहीं चलने वाला है। अब मैं ऐसा समझता हूं जैसा कि मैंने कल भी संकेत किया। आज एक तो अच्छी बात माननीय गौतम जी ने कही कि विधान सभा के सस्दयों के निर्वाचन और उप निर्वाचन में भी बड़ी धांधली होती है और धांधली ज्यादातर बढ़ती जाती है सरकारी पक्ष की ओर से। यही वाक्य है जो कि माननीय गौतम जी ने कहा। हां, एक बात माननीय गौतम जी ने और संकेत में कही कि कांग्रेस के खिलाफ भी धांधली होती है। अगर कांग्रेस के खिलाफ धांधली करने वाले वहीं होंगे जो कांग्रेस से हटे होंगे।

श्री अयध्क्ष--यहां आप असंगत हो रहे हैं।

श्री राज नारायण--ठीक है, मैं उधर जाना नहीं चाहता था। ागर श्रीमन्, एक सैद्धांतिक प्रश्न उठता है कि धांधली कौन कर सकता है? धांधली वही करेगा श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। धांधली कह दें तो ठीक है, लेकिन धांधली क्यों होती है, वह कौन करता ह, यह सब कहना हजार दास्तान है।

श्री राज नारायण--श्रीमन्, मैं यही कह रहा हूं कि धांधली वही करेगा कि जिसके पास सत्ता होगी। अब सत्ता अपने हाथ में रख कर सरकार को जब नामिनेशन करने की बात आयेगी तो सरकार की ओर से धांधली होगी और अगर सत्ता में मदांध सरकार है तो उस धांधली की मात्रा और बढ़ती जायगी और अब मैं बिल्कुल अबाध और निर्भीकता के साथ कहना चाहता हूं, यद्यपि मुझ को डर छू नहीं गया है, निर्भीकता का शब्द तो केवल परिपाटी के लिये कहता हूं, कि सरकार हर मर्यादा को तोड़ रही है। तो जब सरकार की ओर से जनतांत्रिक मर्यादायों को तोड़ा जा रहा है तो ऐसी हालत में सरकार के हाथ में नामिनेशन का अधिकार दिया जाय बोर्ड के प्रेसीडेंट का, क्योंकि प्रेसीडेंट का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मैं उचित नहीं समझता। प्रेसीडेंट बहुत कार्यवाहियों को चलाता है और अब तो श्रीमन्, ऐसे ऐसे भी प्रेसीडेंट हम को देखने में मिले हैं कि जो बिल्कुल ही गलत रूलिंग दिया करते हैं और जब एक बार वह गलत रूलिंग दे देंगे तो हम चाहे उसके लिये लड़ें या और कोई व्यवस्था करें उससे पचीसों तरह की अव्यवस्थायें पैदा होंगी। तो मैं हर तरह से निवेदन करूंगा माननीय गुप्त जी से। अगर वह यह बात कह दें कि अब हमारा विश्वास नहीं रह गया है जनतांत्रिक प्रणाली में, सरकार का विश्वास नहीं रह गया है सत्ता के विकेन्द्रीयकरण में, तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन वैसे सरकार के ऊपर प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार के ऊपर प्रान्त के लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने की जिम्मेदारी है। सरकार जिस तरह से चाहेगी बोर्ड को बनायेगी, जिस तरह से चाहेगी जनता के स्वास्थ्य को सुधरवायेगी, चाहे सारे प्रान्त की जनता का स्वास्थ्य जहन्नुम में चला जाय; यह सही है कि वह नामिनेशन की जिम्मेदारी ले ले, लेकिन इसके साथ ही लोगों को मालूम हो जाना चाहिये और जनता को यह समझ लेना चाहिये कि सरकार की मंशा क्या है। माननीय गुप्त जी से ही मैं निवेदन करूंगा और दूसरे सदस्यों को कष्ट नहीं दूंगा कि जो पहले का यूनाइटेड प्राविंसेज इंडियन मेडीसिन ऐक्ट है उसमें एलेक्टेड मेम्बर की व्यवस्था थी कि चेयरमैन शैल बी एलेक्टेड बाई दि मेम्बर्स आफ दि बोर्ड। जो चेयरमैन होगा बोर्ड का वह बोर्ड के सस्दयों द्वारा चुना जायगा। इस व्यवस्था को आज परिवर्तित करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है सरकार को। सरकार की ओर से हमारे सामने, इस सदन के सामने कोई ऐसी बात आनी चाहिये थी जिससे कि सदन यह समझ सकता कि एलेक्टेड मेम्बर और नामिनेटेड मेम्बर के कर्त्तव्य में इतना बड़ा अन्तर होगा कि जिससे अब यह सुविधा होगी और यह असुविधा होगी। मैं कल भी निवेदन कर चुका हूं और आज भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय गुप्त जी से कि वह तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन को मान लें। नामिनेशन की कानून के अंदर गुन्जाइश होने से, चाहे सरकार कितनी ही साधू हो, गड़बड़ होगी इसलिये वह अधिकार ही इतना निरंकुश और अनियंत्रित है। इससे बाधा होगी, दिक्कत होगी और जिस तरह से सरकार चाहेगी बोर्ड को अपने ढंग पर और अपने तरीके पर काम करने के लिये बाध्य करेगी। अपन नामिनेटेड मेम्बरों के जरिये और अपने नामिनेटेड प्रेसिडेंट के जरिये सरकार मनमानी कराना चाहती है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, मगर यहां पर संकेत

[श्री राज नारायण]

कर देता हूं कि पहले भी बहुत गड़बड़ी हुई है और वह गड़बड़ी इसलिये हुई है कि व्यक्ति विशेष सरकार के नजदीक रहते हैं और वह सत्ता के करीब रहते हैं। तो जब एलेक्टेड होने पर व्यक्ति विशेष सत्ता के नजदीक रहने पर मनमाने तरीके पर काम करता है तो जब नामिनेशन का अधिकार सरकार को हो जायगा तब तो वह और सत्ता बिलकुल एक में मिल जायंगे और वह धांधली करेंगे। माननीय मंत्री जी उदारता बरत सकते हैं और सदन को यह आश्वासन दे सकते हैं यदि उनके सामने प्रेसिडेंट की शिकायत करें तो वह कह सकते हैं कि हम जांच करेंगे। मगर यह अधिकार ही क्यों दिया जाय। हमें बराबर यह सरकार की तरफ से बताया जाता है कि जनता भी अपने कर्त्तव्य का पालन करे किन्तु मेरा कहना यह है कि जनता के कर्त्तव्य और अधिकार दोनों होते हैं। जब जनता से सरकार कर्त्तव्य पालन की बात करती है तो सरकार को अधिकार भी जनता को देना चाहिये। जब सरकार अधिकार नहीं रखती है तो उस सरकार से अधिकार लेने के लिये जनता का काम केवल कर्त्तव्य पालन करना नहीं है बल्कि अधिकार प्राप्त करना भी है। इसलिये इस इंडियन मेडिसिन बोर्ड का जो गठन हो रहा है जिस तरह से सरकार व्यवस्था कर रही है मैं उसका सख्त विरोधी हूं कि किसी तरह से भी सरकार प्रेसीडेंट या चेयरमैन को नामिनेट करे। प्रेसिडेंट का एक बोर्ड होगा जिसमें करीब २० सदस्य होंगे। उसमें चेयरमैन को मिलाकर २१ सदस्य होंगे। उस बोर्ड में वैद्य चुनकर आयेंगे जो कि अच्छे अच्छे वैद्य होंगे। उनको यह अधिकार क्यों न दिया जाय कि जो उनमें प्रतिभा-शाली हो उसको वह चेयरमैन बना दें। यह अधिकार उनको न देना जनतन्त्र के अधिकारों का हनन करना है।

इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अपना निवेदन करना चाहता हूं कि तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन को आप अवश्य स्वीकार करें और यदि इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो जनतन्त्र प्रणाली पर चलनेवाली इस सरकार को कहना बिलकुल निरर्थक है। जनता को भी अधिकार देने की जरूरत है जिससे वह लाभ उठाये। २१ आदमियों के हाथ में इस अधिकार को देने की जरूरत है। अपने सदर का चुनाव करने का अधिकार देने की सुविधा पूरी पूरी उनको होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक की धारा का विरोध करता हूं और तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

†श्री चन्द्रभानु गुप्त (नियोजन मंत्री)—मुझे दुख है कि जो तरीका इस सदन में हमारे साथियों ने सभापति के चुनने के विषय में रखा है मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इसलिये नहीं कि मैं चाहता हूं कि सरकार के हाथ में सत्ता रहे बल्कि इसलिये कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो आयुर्वेद और तिब्ब को देश में और प्रदेश में उसका स्थान प्रदान कराना चाहते हैं। १९३९ से १९५५ की यदि तुलना की जाय तो मैं यह कह सकता हूं कि कदाचित सन् १९३९ से जहां तक आयुर्वेद और तिब्ब का सम्बन्ध था और जिस वातावरण में हम उसको रखना चाहते थे आज १९५५ में वह वातावरण बदला है। ५-६ वर्षों में जो प्रगति उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद और तिब्ब ने की है, आज सदन का कोई माननीय सदस्य ऐसा न होगा जो उस प्रगति को मानने के लिये तैयार न हो। वह संभव कैसे हुआ? वह संभव तभी हुआ जब इस सरकार ने इन पद्धतियों को आदर और मान्यता प्रदान करने के लिये वे सब कार्य किये जिससे उनका उत्तरोत्तर आदर और मान्यता बढ़ने लगी। जब सरकार आज इस विधेयक में कोई संशोधन उपस्थित करती है तो यह अनुमान लगाना कि सरकार आयुर्वेद और तिब्ब का विरोध करती है, इसलिये वह संशोधन उपस्थित कर रही है, यह भ्रान्ति किन्हीं सदस्यों के मन में है तो मैं बहुत ही नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि वह भ्रान्ति माननीय सदस्यों को अपने मन से दूर कर देनी चाहिये और एक अच्छी चीज के गलत माने न लगाने चाहिये। मैंने कल यह निवेदन किया था कि हमारा उद्देश्य इन तीनों पद्धतियों में, जो आज हमारे प्रदेश में चालू हैं, समानता लाने का है तथा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करना है कि जिससे उत्तरोत्तर विभिन्न पद्धतियों की मान्यता बढ़ती जाय। अपने

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपस्थित किये हैं वे भी इसी मंशा से भरे हुए हैं। उसी प्रवृत्ति के पीछे हमें ले जाने वाले हैं। प्रदेश में इस सदन के द्वारा एलोपैथी के सिलसिले में एक कौंसिल की स्थापना की गयी है जिसमें एलोपेथ्स के अतिरिक्त डायरेक्टर आफ हेल्थ सर्विसेज उसके सभापति हैं लेकिन फिर भी वहां से आज तक कोई शिकायत इस बात की नहीं आयी कि सरकार ने उस मेडिकल कौंसिल के साथ कोई दुर्व्यवहार, ज्यादती या अनधिकार चेष्टा की हो या उसके कार्य में हस्तक्षेप किया हो। हां, अगर आवश्यकता पड़ती है तो सरकार स्वतः अपने उस सभापति के द्वारा अपने सुझावों को कौंसिल तक पहुंचा देती है। इसी प्रकार होमियोपैथी के बोर्ड का भी निर्माण अभी थोड़े दिन ही हुए हुआ है यद्यपि अभी अपने प्रदेश में होमियोपैथी का विकास भली प्रकार से नहीं हो पाया जितना कि आयुर्वेद और तिब्ब का हो रहा है। इसलिये अगर हमने उसके विकास के लिये भी वही पद्धति अपनाई है तो क्या ज्यादती की जा रही है। इससे कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि हम कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं कि जिससे आयुर्वेद के विकास में कोई रुकावट उत्पन्न होगी। आज जो भी कुछ यह सरकार कर रही है वह इसी दृष्टिकोण से कर रही है कि आयुर्वेद और तिब्ब के लिये उत्तरोत्तर मान्यता विज्ञान के क्षेत्र में बढ़े। यह सत्य है कि आयुर्वेद और तिब्ब का आज वह स्थान नहीं है जो आयुर्वेद और तिब्ब के जानने वाले उसको दिलाना चाहते हैं। आज उस स्थान को दिलाने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि हम यह कार्य करें जिसकी मखौल मेडीकल कौंसिल आफ इंडिया न उड़ा सके जिससे वैज्ञानिक कहाने वाले लोग मजाक न उड़ा सकें और इस प्रकार से हम उसकी उत्तरोत्तर प्रगति करना चाहते हैं। यह बात सही नहीं है कि वह आज चुनाव के झमेले में पड़ जांय और प्रत्येक जगह जनतंत्र शासन की पद्धति को चलाया जाय। मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नियुक्त होता है सारे देश के लिए यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रचना होती है और उन में लोग मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए नहीं कि जो लोग आज शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत करना चाहते हैं, जो उसका विकास करना चाहते हैं .....

श्री अध्यक्ष--अभी आप क्या अधिक समय लेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, अभी तो थोड़ा समय और लूंगा।

श्री अध्यक्ष--तो अब हम उठते हैं, सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आधुनिक ट्रेन्ड ऐसी संस्थाओं में जिनका शिक्षा से संबंध रहता है, जिनका संबंध उसके इम्तिहान से और उसके स्टैन्डर्ड इत्यादि से रहता है, उसमें बहुत ज्यादा चुनाव की पद्धति को रखने की तरफ नहीं है। मैं अभी जिक्र कर रहा था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के विषय में अभी केन्द्रीय सरकार ने एक विधेयक के द्वारा ग्रांट्स कमीशन की नियुक्ति के संबंध में पार्लियामेंट के समक्ष यह उपस्थित किया कि उसमें जो उस कमीशन का अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति उसके हाथ में ही रहे यद्यपि यह ग्रांट्स कमीशन ऐटानामस बाड़ी होगा, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं और अन्वेषण और अनुसंधान करने वाली संस्थाओं को वह सहायता प्रदान करेगा। इसी तरह से यह भी जो संस्था हमारे बीच में निर्मित होने जा रही है और उत्तरोत्तर हम उसके स्तर को ऊंचा करने के निमित्त ऐसी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिसमें इसके हाथ में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के विषय में निर्णय करने और सलाह देने की बातें हों और इम्तिहान इत्यादि की बातें जो अब तक भी थी, लेकिन उसके स्तर को ऊंचा करने के लिये ऐसे व्यक्ति को यदि हम आज उस ऊंचे स्थान पर बैठावें जब कि एक तरफ इस पद्धति का बाल्यकाल है तो हमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिये जिससे उसके स्तर को ऊंचा करने में कोई रुकावट पैदा हो जाय। आप चुने हुये सभापति के लिये कहते हैं कि सदस्यगण सभापति को चुनें। अब इस संस्था को इम्तिहान लेना होगा, शिक्षकों को और इम्तिहान लेनेवालों को नियुक्त करना होगा। ऐसा व्यक्ति जो चुनकर आये उसे बहुत से साथियों को कभी कभी सहायता देनी पड़ती है, उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ता है तो हम समझते हैं कि इसके प्रारम्भिक काल में हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

चाहिये जिससे इसमें कोई बुरी बात उत्पन्न हो जाय। हम जब जैसा कि हम विदित कर चुके हैं यह चाहते हैं कि आयुर्वेद और तिब्ब का विकास हो तो हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं हो सकती है जिससे कि ऐसा करने में कोई बाधा पड़े। इसीलिये हमने नम्रता से निवेदन किया कि हम उसी प्रकार से कार्य करना चाहते हैं जिस प्रकार से अब तक बीस पचीस वर्ष से मेडिकल कौंसिल जो एलोपैथ्स के लिये नियुक्त किया गया है उसमें कार्य करते हैं। उसमें बहुत ऐसी बातें हैं जिनका सम्बन्ध प्रशिक्षण से होता है और इस संस्था का भी सम्बन्ध आयुर्वेद और तिब्ब के प्रशिक्षण से होगा तो कोई कारण नहीं है कि अगर वहां डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अच्छा कार्य कर सकता है तो अपने यहां जो डिप्टी डाइरेक्टर आयुर्वेद जो एक वैद्य होगा उसको यदि नियुक्त कर देगा तो क्या उससे नुकसान हो जायगा। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मंशा तो विदित है उन बातों से जो अब तक हम पांच वर्षों से अयुर्वेद के सम्बन्ध में इस प्रदेश में करते रहे हैं या जिन्हें उत्तरोत्तर हम करना चाहते हैं। आखिर को, हमारे वैद्य लोग चाहते हैं और यह स्वाभाविक है कि उनका स्तर भी अन्य पद्धतियों के बराबर हो जाय। तो जब ऐसी बातें हैं तो किसी इन्फीरियारिटी कम्प्लैक्स में नहीं आना चाहिये और ऐसे विषय में लम्बे लम्बे भाषण जनतंत्रात्मक पद्धति इत्यादि के विषय में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विकास के लिये उसकी प्रगति के लिये हमें यदि कोई ऐसा कदम उठाना पड़ा है तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं करना चाहिये।

मुझे इस बात का दुख है कि माननीय गौतम जी ने चुनाव पद्धति के सम्बन्ध में कुछ अपने सुझाव यहां उपस्थित किये और अपने विचार प्रस्तुत किये, यद्यपि एक मंत्री के नाते उनके समक्ष ऐसे अवसर आये हैं जबकि उन्हें ऐसे कार्य करने पड़े जिसमें उन्होंने चुनाव पद्धति को तोड़ कर अपने प्रदेश में नियुक्तियां भी कीं, ऐडमिनिस्ट्रेटर्स भी नियुक्त किये। इसलिये नहीं कि वे सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे बल्कि इसलिये कि समय की मांग थी, कार्य करने की ओर प्रगति की मांग थी। हमारे प्रदेश में बहुत से कबाल टाउन्स हैं, जहां कि आज ऐडमिनिस्ट्रेटर्स कार्य का संचालन कर रहे हैं। इसलिये कार्य कर रहे हैं कि वहां उनके द्वारा हम अधिक मात्रा में इस विकास के कार्य को कर लें जिससे जनता को अधिक लाभ पहुंचे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब हम इस पद्धति को कि सभापति सरकार द्वारा मनोनीत किया जाय मंजूर कर रहे हैं तो कदाचित् इस भावना से मंजूर कर रहे हैं कि डिप्टी डायरेक्टर आफ आयुर्वेद–जिस प्रकार कि डायरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ सर्विसेज की नियुक्ति करते हैं–उसी प्रकार नियुक्त कर दें तो जो जिम्मेदारियां इन संस्थाओं पर डाल रहे हैं कदाचित् वे अच्छी तरह से निभाई जा सकेंगी और आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो यह कहने को उद्यत हो कि आज आयुर्वेद या तिब का विकास बिना सरकार की मदद के हो सकता है, बिना सरकार के अनुदानों के हो सकता है, बिना सरकार की सलाह के हो सकता है। सरकार के पास ही ऐसे साधन हैं, सरकार के पास ही वे विशेषज्ञ आसानी से मुहइया हो सकते हैं जो इन तमाम कार्यों का संचालन ठीक तरह से कर सकते हैं। इसके ये मानी नहीं हैं कि सरकार के बाहर हमारे जो आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वे उत्तरोत्तर प्रगति नहीं करते जा रहे हैं। मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जनतंत्रात्मक प्रणाली के विषय को उठा देना कोई बहुत दूरदर्शिता की बात नहीं है और न कोई आवश्यकता की बात है। जरूरत का आज तकाजा यह है कि हम इस तरह से इस संस्था को निर्मित करें जिससे कोई कुरीति उत्पन्न न होने पाये, जिससे कार्यभार और कार्य संचालन सुगमता से चलता रहे। इसीलिये हमने इसमें सभापति के मनोनीत करने की नीति को अपनाने की बात रक्खी है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ऐसी कार्यवाहियों में जिनका सम्बन्ध आयुर्वेद के विकास से है, उसकी प्रगति से है, जब तक कि वह कार्य उस पद्धति में रोड़ा अटकाने वाला नहीं है न कोई हस्तक्षेप करना चाहती है, न आयन्दा करेगी और न कभी किया है। उसका एक ही ध्यान इन ५–७ वर्षों में रहा है कि हम इस विज्ञान को किसी न किसी प्रकार उस समता तक पहुंचाने में समर्थ हो सकें जिस समता का प्रदर्शन वे व्यक्ति करते हैं जो इस विज्ञान से थोड़ा बहुत परिचित हैं, जो इसी सिस्टम के हैं और जो इसको विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। मेरी सारी मंशा इस विधेयक को इस सदन के समक्ष उपस्थित करने की यही है। यदि हमने भिन्न-भिन्न संशोधन

उपस्थित किये हैं वे भी इसी मंशा से भरे हुए हैं। उसी प्रवृत्ति के पीछे हमें ले जाने वाले हैं। मैं इसलिये नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव की पद्धति के सिलसिले में जो प्रश्न उठाया गया है, वह यहां न उठाया जाय और जो सरकार ने विधेयक में संशोधन करके विचार करने के हेतु चीज रक्खी है उसे सदन को स्वीकार करनी चाहिये क्योंकि उसी के द्वारा हम कदाचित् आयुर्वेद का विकास कर सकेंगे और उसको उस स्तर तक पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे, जहां हम में से हर एक उसे पहुंचाने की चेष्टा करना चाहता है। मैं इन चन्द शब्दों के साथ उस संशोधन का विरोध करता हूं जो श्री तेज प्रताप सिंह जी ने सदन के विचारार्थ उपस्थित किया है।

श्री तेज प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय गौतम जी ने और माननीय राजनारायण सिंह जी ने और हमारे भाई जोरावर जी वर्मा ने काफी प्रकाश डाल दिया है और काफी इस चुनाव पद्धति के बारे में समझाने की चेष्टा की है। मैं इस विषय में ज्यादा समय इस सदन का लेना नहीं चाहता हूं।

हमारे अब्दुल मोईज साहब ने एक प्रश्न उठाया था कि हमारा यह संशोधन तो लाया ही नहीं जा सकता है क्योंकि बोर्ड को जिस तरीके से संगठित किया गया है उसमें प्रेसीडेंट को अलग से हम चुनाव के द्वारा नहीं ला सकते हैं। मेरी समझ में उनकी दलील नहीं आयी क्योंकि जैसी कि व्यवस्था चुनाव द्वारा होने जा रही है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि बोर्ड के तमाम सदस्य अपने उस प्रेसीडेंट को न चुन सकें। वह प्रेसीडेंट बाहर का भी हो सकता है और मेम्बरों में से भी एक हो सकता है। इसलिए बोर्ड के संगठन में कोई त्रुटि नहीं पैदा होती है। रहा, जहां तक सिद्धांत की बात है माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि ग्रांट्स कमेटी और भी भिन्न कमेटियां, जैसे मेडिकल काउंसिल है, उन सब में पद्धति जो रखी गयी है वह नामजदगी की रखी गयी है और केवल इसीलिए इस बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन में भी इसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। दूसरी यह बात कही कि एलोपैथ्स या जो पाश्चात्य पद्धति पर चिकित्सा करते हैं, वे लोग हमारे वैद्यों और हकीमों का मखौल उड़ाते हैं। मेरा ख्याल है कि मखौल तो उड़ाते हैं यों कह कर कि यह पद्धति अनसाइंटफिक है। पुराने ढर्रे पर चली आ रही है। इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी यह पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक है और हमारे सभी माननीय मित्र स्वीकार करते हैं कि हमारी पद्धति चाहे वह यूनानी हो या आयुर्वेदिक हो वह वैज्ञानिक आधार पर ही आधारित है। हां, एक बात जरूर है जैसा कि मंत्री जी कहते हैं कि हमने इस पद्धति को समुन्नत करने के लिए काफी कदम उठाये हैं। १९४७ से आज तक बराबर ऐसे कदम उठाते रहे हैं जिससे यह सम्मुनत हो सके और प्रतिष्ठा पा सके। मैं समझता हूं कि केवल विधेयक लाकर या बोर्ड के संगठन को एक खास रूप दे कर के हम इस पद्धति की कोई विशेष उन्नति नहीं कर सकते हैं। उसकी उन्नति के लिए तो हमें एक अच्छे ढंग से उसमें पैसा लगाना होगा। आप देखते हैं कि पाश्चात्य पद्धति, यानी एलोपैथिक पद्धति साइंटफिक इसलिए है कि उसके अन्वेषण चलते हैं। क्या आयुर्वेद और यूनानी पद्धति के लिए आपने पैसा खर्च करके कोई रिसर्च इंस्टीटयूट खोला है। इसका उत्तर है--नहीं खोला गया है। इसकी बहुत आवश्यकता थी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बहुत बड़ा खोला है। सारी इंडियन मेडिसिन्स पर रिसर्च कर रहा है।

श्री तेज प्रताप सिंह--वह तो ड्रग्स के लिए है। उसमें जड़ी बूटियों की रिसर्च की जाती है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह बहुत बड़ी चीज है।

श्री तेज प्रताप सिंह--वह बड़ी चीज जरूर है। लेकिन साथ साथ इसकी महत्ता नहीं घटती है, जिस प्रकार किंग जार्जेज मेडिकल कालेज के साथ में असोशिएटेड हास्पिटल है, उस प्रकार से आपको आयुर्वेद का कालेज खोलना चाहिए था और उसके साथ-साथ एक हास्पिटल भी एसोसिएट करना चाहिये था, जिसमें कि मरीजों पर वैद्यक और

[श्री तेज प्रताप सिंह]

हिकमत के जरिये से उन पर अन्वेषण किये जाते और छानबीन की जाती कि कौन सी दवा किस प्रकार से कारगर होती है। यह चीज अभी तक नहीं खोली गयी .....।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आयुर्वेद का एक कालेज खोला गया है।

श्री तेज प्रताप सिंह--वह जो कालेज खोला गया है उसकी ऐसी दुर्दशा है कि उसके शिक्षार्थी एम० बी०, बी० एस० ज्वाइन करना चाहते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब इसका हम क्या करें। यह तो विद्यार्थियों पर निर्भर करता है।

श्री तेज प्रताप सिंह--यह तो नेताओं का मैं समझता हूं दोष है, नवजवानों का नहीं है अगर मुझे इजाजत दी जाय। आपने उस प्रणाली यानी एलोपैथिक को इतनी महत्ता दे रखी है, उनका मान है, प्रतिष्ठा है। लेकिन जो हमारे ऐसे नवयुवक हैं वे वास्तव में नहीं समझ पाते हैं, हम मान किस तरह पायेंगे। आयुर्वेदाचार्य हो जायें तो उनकी कोई प्रष्ठिा नहीं होती है। माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि कुछ गजटेड पोस्ट कर दी गई। इससे पद्धति को क्या फायदा हो गया। तो मैं समझता हूं कि खेर कमेटी ने जो तमाम बातें रखीं थीं, इस पद्धति की उन्नति के लिये उनमें से हम केवल इतना संशोधन लाये हैं कि हम बोर्ड को रीकांस्टीट्यूट कर दें और फैकल्टी क्रीयेट कर दें। सिर्फ यह दो संशोधन उसमें आये खास तौर से। बाकी उसके लिये फंड्स का कोई एलाटमेंट अलग से नहीं है, इस मात्रा में जिससे कि उसकी तरक्की अच्छे तरीके से हो सके।

अब रहा इस संशोधन की ओर मैं ध्यान जरूर दिलाना चाहता हूं फिर से कि हम प्रेसीडेन्ट को नामजदगी के द्वारा न करें, नामीनेट न करें, बल्कि उसे बोर्ड के सदस्यों के ऊपर छोड़ दें ताकि वे अपना प्रेसीडेन्ट चुन सकें जिस पर उनका विश्वास है, जिसको वे समझते हैं कि वह इस पद्धति के बारे में अच्छा ज्ञान रखता है और उसको भली भांति आगे बढ़ा सकता है। आजकल सभी चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार हम सत्ता को प्राप्त कर सकें, जबकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमने स्वीकार कर लिया है तो सभी की इच्छा स्वभावतः हो जाती है कि वह अधिकार प्राप्त कर सके। आप मनोनीत जब करेंगे तो उससे यह दिक्कत पैदा होगी, लोग जब किसी प्रकार से उस पद पर नहीं पहुंच सकेंगे तो चाहेंगे कि सरकार ही बदल दी जाय और बराबर उनका यह प्रयास रहेगा कि केवल लेजिस्लेचर में पहुंच करके ही हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। उचित यह था कि छोटे छोटे दायरे में ऐसी जो संस्थायें हैं, जो बोर्ड्स हैं, उनको चुनाव के द्वारा ही संगठित करने की बात छोड़ देनी चाहिये थी, उनका दायरा भी सीमित हो जाता, वह अपना चुनाव करतीं और उनका दायरा सीमित हो जाता और उनकी दिलचस्पी इस ओर न जाती कि इस बड़ी सत्ता को हम हथिया लें। आप इन सब चीजों को नामजदगी के द्वारा करेंगे तो लोग एक ही इलाज ढूढ़ेंगे, सारे प्रदेश में यह भावना फैलेगी कि हम अब केवल मूल सत्ता पर पहुंचे। जब तक हम उस असली सत्ता को प्राप्त नहीं करते हैं.....

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उसमें कमी नहीं है वह आज भी है।

श्री तेज प्रताप सिंह--नहीं। छोटे छोटे बोर्डों में, जिनका दायरा सीमित है, चाहे होम्योपैथी का बोर्ड हो, चाहे आयुर्वेद का हो, इनमें क्यों हम राजनीति को पहुंचायें। वे लोग सन्तुष्ट हो सकते थे, अपना काम ठीक तरह से चलाते। उसमें गवर्नमेंट इन्टरफीयर न करे। लेकिन जब इन्टरफीयर करने लगेगी तो बराबर उनका ध्यान इस ओर जायगा कि जा करके हम लेजिस्लेचर में अपना बहुमत प्राप्त करें और तभी हम आयुर्वेद या यूनानी पद्धति को बढ़ा सकते हैं, समुन्नत कर सकते हैं। यह एक विशेष कारण है जिससे मैं समझता हूं कि हमें इस बोर्ड के प्रेसीडेन्ट को चुनाव द्वारा ही मनोनीत करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि हमारे मन्त्री जी इन सब बातों को सुन करके अवश्य ही हमारे तर्क स्वीकार करेंगे और जैसा कि मैंने संशोधन रखा है उसको जरूर स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसी दास--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है इस सम्बन्ध में, और न माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने कोई नयी दलील ही दी है, सिवाय इसके कि पुनरावृत्ति की हो। सवाल यहां कोई डेमोक्रेसी का नहीं है, यह मान लिया जावे फिर तो हाई कोर्ट का भी चुनाव हो, बोर्ड आफ रेवेन्यू का भी चुनाव हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी चुनाव हो, यह तो नहीं हो सकता। बहरहाल, विधान के अन्दर भी कुछ सीमा रखी गयी है, चुनाव कमीशन होगा। जुडिशियरी होगी। इस तरह से चुनाव का एक अपना महत्व है। एक रिडकुलस एन्ड तक उसको खींचना मुनासिब नहीं मालूम होता। डेमोक्रेसी कोई मजहब नहीं है कि उसको हर जगह खीचने की कोशिश की जाय। तो जैसा कि अभी स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बतलाया कि अगर कोई विशेषज्ञ है और उसकी वहां जरूरत है तो उसको नामिनेट कर दिया प्रेसीडेन्ट। इस तरह से इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मुझे खेद है कि माननीय तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के भाग (i) को निम्नरूप में रख दिया जाय :--

"a President to be elected by the members of the Board",

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री नारायण दत्त तिवारी--(जिला नैनीताल)--श्रीमन्, एक संशोधन मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। और वह यह कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य में "to be elected or nominated as the case may be" के स्थान पर शब्द "to be nominated under clauses (ii), (iv) and (v)." रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--यह सूचना आप दे चुके हैं या नहीं।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--इस प्रस्ताव पर सूचना मेरे नाम से है।

एक सदस्य--यह तो संशोधन पर संशोधन है।

श्री जगन्नाथ भल्ल--इस वक्त तो क्लाज ५ चल रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--तो खंड ५ ही में तो मैं भी रख रहा हूं। श्रीमन्, आप व्यवस्था कर दें तो ज्यादा उपयुक्त हो।

श्री उपाध्यक्ष--आप एक बार उसको और पढ़ दें जरा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह आपके पास उसकी एक कापी तो है। क्यों नहीं उसे ले कर पढ़ लेते।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मुझे आज्ञा दी जाय इस प्रस्ताव को पेश करने की।

श्री उपाध्यक्ष--बनारसी दास जी के नाम से कुछ संशोधन आये हैं और उनके बाद में शायद यह लिया जा सकता है ?

श्री बनारसी दास--यह पांचवें खंड के बारे में मैं तो संशोधन पेश कर चुका हूं। माननीय नारायण दत्त जी का संशोधन तो उसी पर है और वह संशोधन जो उन्होंने पेश किया है, वह उसी सिलसिले में है। मैं समझता हूं उसको तो लिया जाना चाहिये था ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय नारायण दत्त जी पेश करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्,

(कई आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय बनारसी दास जी, क्या अपना संशोधन पेश कर चुके हैं ?

श्री बनारसी दास---जी हां, मैं तो पहले ही पेश कर चुका हूं, अध्यक्ष महोदय के सामने । उस पर तो माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने अपना संशोधन पेश किया । अब माननीय नारायण दत्त जी पेश कर रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मुझे एक चीज कहनी है । आप बिल को देखें तो जो संशोधन चल रहा था, वह उपखंड (१) में चल रहा था, प्रेसीडेन्ट के बारे में । जब वह खत्म हो जायगा, तो यह आ सकता है । अभी प्रेसीडेन्ट वाला तो खत्म ही नहीं हुआ, श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष---इस तरह तो आपका संशोधन आना चाहिये ।

श्री बनारसी दास---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जबकि सदन ने अभी तेज प्रताप जी के संशोधन को नहीं माना है तो जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन पर यहां बहस नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह उसको दूसरे शब्दों में रखकर पेश करना चाहते हैं । यह लिखा है, "फ्राम दि एलेक्टेड मेम्बर्स" ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैं समझता हूं कि उसमें एक शब्द छूट गया है "एमंग" अब, यह इस तरह है कि "फ्राम एमंग दि एलेक्टेड मेम्बर्स" । मैं यह कहां कहता हूं कि चुना जायगा बल्कि जो चुनकर आयें उनमें से नामिनेट करें ।

श्री उपाध्यक्ष---आप पेश कीजिये ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैं पेश करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के भाग (i) के अन्त में शब्द "from amongst the elected members" बढ़ा दिये जायं ।

श्रीमन्, मेरा यह जो संशोधन है, यह तो हाउस ने रिजेक्ट कर दिया । मैं तो इस राय का था कि जो चेयरमैन या प्रेसीडेंट होना चाहिये वह चुना हुआ होना चाहिये, लेकिन इस सदन ने उसको नामन्जूर कर दिया और अब सदन सरकार को यह अख्तियार देने जा रहा है कि नहीं वह नामिनेटेड हो । तो ठीक है, नामिनेटेड हो, लेकिन सरकार जो लोग चुनकर आवें, जैसे कि ३, ४, ५, ६ जो इसकी उपधारायें हैं, उनमें से जो लोग चुनकर आवें, उन्हीं में से नामिनेट करे, किसी बाहरी व्यक्ति को नामिनेट न करे । इससे मतलब यह है कि जितने लोग आयें उन्हीं में से लिया जाय तो कम से कम चुना हुआ व्यक्ति तो रहे । उसमें सब लोग होशियार रहेंगे, कोई यूनिवर्सिटी से आयेगा, कोई किसी मेडिकल संस्था से आयेगा, अच्छे-अच्छे वैद्यों और हकीमों में से आयेंगे, तो इसमें सरकार को न मानने की कोई बात समझ में नहीं आती । और अगर सरकार इसको मान लेगी तो एक चीज यह हो जायगी कि वहां लोगों को सन्तोष रहेगा कि हम में से जो कि चुनकर आये हैं, चेयरमैन बनाया गया । दूसरी बात यह है कि सरकार ने इस सिद्धांत को अपने अधिनियम में मान लिया कि जब पांच सभाओं के मेम्बर चुन लिये जायेंगे तो सरकार की तरफ से जो न्याय पंचायत बनेगी वह उन्हीं चुने हुओं में से नामिनेट किये हुये लोगों की होगी । तो मैं नहीं समझता कि इसके मानने में क्या हर्ज होगा । मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरे इस संशोधन को जरूर मान लेंगे ।

श्री बनारसी दास---उपाध्यक्ष महोदय, जबकि पहले इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि ५ सदस्यों को सरकार भी नामिनेट करेगी, तो उसमें यह कहना कि एलेक्टेड सदस्यों में से सरकार किसी को प्रेसीडेंट नामिनेट करे, तो यह कोई न्यायसंगत नहीं मालूम पड़ता है ।

तो पहले ही इस विषय पर काफी विस्तार के साथ कहा जा चुका है कि यहां कोई अधिकारों के लेने का प्रश्न नहीं है। देखना यह है कि इस पद्धति की प्रगति किस प्रकार से हो सकती है। तो यदि किसी नामिनेटेड व्यक्ति के द्वारा इस विज्ञान की प्रगति हो सकती है तो इस समय इस विधेयक में इसको सीमित करना ज्यादा उचित नहीं मालूम पड़ता है। इसलिये मुझे बड़ा खेद है कि इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थता मालूम होती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि सरकार इस संशोधन को भी नहीं मानती। श्रीमन् आप देखें कि एक संशोधन आया हुआ है, वहां सरकार क्लियर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। तो मैंने कहा कि शायद सरकार की यह पालिसी हो तो चलो हम भी डिस्क्रिमिनेशन कर दें, यहां। अगला मेरा संशोधन पेश हो चुका है, इस सदन के समक्ष .....

श्री बनारसी दास--श्रीमन्, माननीय सदस्य से आशा यह की जाती है कि जो मैंने कहा उसका वह उत्तर दें। क्या अगला संशोधन है उस पर फिर विवाद चलेगा इस समय उस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं जवाब ही तो दे रहा हूं और मैं कर क्या रहा हूं। उन्होंने तर्क यह पेश किया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिये। ठीक है, हम भी नहीं चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो। लेकिन यह सरकार ही डिस्क्रिमिनेशन करती है और करती कैसे है कि आगे चल कर जो कि एक मेरा संशोधन उपस्थित किया गया है उसमें सरकार यह चाहती है कि जो एलेक्टेड मम्बर हों, उनको तो बोर्ड अलाहिदा करे और जो नामिनेटेड मेम्बर हों, उनको सरकार अलाहिदा करे। तो यह डिस्क्रिमिनेशन तो सरकार ही करती है। अगर आप ऐसा कह दें कि "from amongst its members elected or nominated" तो हमको उसको भी मानने में कोई एतराज नहीं है, हम तैयार हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम एक सिद्धांत पर तो चले। वह तो जहां जैसा हिसाब बैठ रहा है वहां वैसा सिद्धांत खट से बना लेती है। कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत बना लेती है और कहीं कहती है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि जरा इसकी सफाई माननीय मन्त्री जी करें। अगर सरकार एलेक्टेड और नामिनेटेड दोनों चाहती है तो यह उन्हीं मेम्बर्स में से होना चाहिये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको सोचेगी और मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री बनारसी दास--जैसा मैंने कहा आगे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन का सवाल नहीं है। जब उस खंड पर विचार होगा उस वक्त मैं निवेदन करूंगा। जहां तक माननीय मल्ल साहब इसको मानने के लिये तयार हैं कि इसमें नामिनेटेड या एलेक्टेड रख दिया जाय तो उससे उनका प्वाइंट पूरा नहीं होता। मान लीजिये अगर सरकार किसी को बनाना चाहती है तो नामिनेटेड में उनको रख सकती है। तो इससे तो बोर्ड और सीमित हो जायगा। इसलिये ज्यादा उचित यही मालूम पड़ता है कि जिस प्रकार से सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, प्रेसीडेंट की नियुक्ति के बारे में उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के भाग (i) के अन्त में शब्द "from amongst the elected members" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदन गोपाल वैद्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द "Under clauses (ii) to (v)" के स्थान पर "Under clauses (ii), (iv) and (v)" रख दिया जाय।

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

जो संशोधन माननीय मन्त्री जी की ओर से आया है मैं उसका स्वागत करता हूं कि उन्होंने सिद्धांत मान लिया है कि बोर्ड में हकीम या वैद्य ही आने चाहिये। लेकिन कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के आधार पर मैं यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं। जिन यूनिवर्सिटीज के अन्दर आयुर्वेद की फैकल्टी है, उसमें से दो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जो केन्द्रीय सरकार के मातहत हैं और प्रांत का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है और कहीं-कहीं यूनिवर्सिटीज में ऐसी परम्परा है कि वहां हर एक फैकल्टी के नुमाइन्दे चुनते हैं और जब रिप्रेजेन्ट करना होता है तो वे करते हैं। इस तरीके से उसमें और उनमें असंगति आ जाती है।

इसके अलावा यूनिफारमिटी की बात है और जो नुमाइन्दे बोर्ड आफ मेडिसिन में जाते हैं उनका फैकल्टी से चुनाव न होकर कौंसिल से होता है। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि वह डाक्टर ही हों। इसी प्रकार से इंडियन मेडिकल ऐक्ट में जो नुमाइन्दे जाते हैं उसमें प्रतिबन्ध नहीं है इसलिये एकरूपता लाने के लिये और व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं।

श्री बनारसी दास--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द "under clauses (ii) to (v)" के स्थान पर "under clauses (ii), (iv) and (v)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास--उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन पेश कर चुका हूं और इसके बारे में निवेदन भी कर चुका हूं। अब मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"5. (1) The Board shall consist of the following members (including the President):—

(i) A President to be nominated by the State Government,

(ii) Five members to be nominated by the State Government,

(iii) One member each from a University established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani Tibbi System of Medicine, in the manner prescribed by the Faculty,

(iv) Two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh, to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board,

(v) One member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh, to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such institutions as are affiliated to the Board, and

(vi) Nine members (6 Vaids and 3 Hakims) to be elected, in the prescribed manner, by the registered Vaids and Hakims respectively of Uttar Pradesh:

Provided that the President and every member to be elected or nominated, as the case may be, under clauses (ii), (iv) and (v) shall be from amongst the registered practitioners.

(2) The Board shall elect one of its members to be the Vice-President."

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, इस खंड ५ में अभी बहुत से अमेंडमेंट हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह तो पास हो गया।

श्री बनारसी दास--इसमें जो अमेंडमेंट थे, वह पहली धारा पर थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब यह संशोधित धारा ५ पेश कर दी गई तो उस संशोधित धारा ५ में जो अमेंडमट आ सकते थे, वही लिये जा सकते थे और पुरानी धारा ५ पर, जो अमडमेंट थे वह तो अपने आप उस धारा के नये सिरे पर पेश हो जाने की वजह से खत्म हो गये। अब चूंकि नई संशोधित धारा ५ इस विधेयक का अंग बन गई है, इसलिये किसी संशोधन को लेने की आवश्यकता नहीं रही।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूं। धारा ५ पास हो गयी ह तो ठीक है लेकिन हम लोगों के संशोधन कहां जायेंगे। हूबहू वही चीज हुई है और खाली प्राविजो बढ़ा दिया गया है। सारे पहले के संशोधन इसमें आ सकते हैं और वह सब इस धारा के मातहत हैं। माननीय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जी बतला दें कि कौन ऐसा अमेंडमट है कि जो इसमें फिट नहीं करता।

श्री बनारसी दास--यदि कोई ऐसी आपत्ति माननीय सदस्य को थी तो जिस समय प्रश्न उपस्थित किया जा रहा था उसी समय उसको उपस्थित किया जाना चाहिये था। लेकिन अब तो वह खंड ले लिया गया और इसलिये अब कोई संशोधन नहीं आ सकता। माननीय सदस्यों को इस प्रकार की आपत्ति उठाने का ख्याल खंड पास हो जाने के बाद आया।

श्री उपाध्यक्ष--चूंकि यह खंड अब पास हो चुका है इसलिये अब इसमें किसी संशोधन के लिये स्थान नहीं है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**--मैं आपसे इतनी ही दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप ध्यान पूर्वक आदेश देने की कृपा करें, तो अच्छा होगा। जब हमारा संशोधन था तो आपने कह दिया कि नया खंड ५ आ जाना चाहिये और जब नया खंड आ गया तो आपने व्यवस्था दी कि हमारे सारे संशोधन समाप्त कर दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष--पहले मुझे कहा गया कि संशोधन उपस्थित नहीं किया गया है। जब मुझे मालूम हुआ कि यह संशोधन आ गया है तो मैं आपके संशोधन की इजाजत कैसे दे सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आपने हमारे संशोधन की इजाजत नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष--आपने कहा था कि माननीय मदनगोपाल जी का और मेरा संशोधन एक है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं यह जानना चाहता हूं कि जो संशोधन मैंने पेश नहीं किया वह कैसे पेश हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष--ऐसा समझा गया कि उससे यह ठीक हो जायगा और इसलिये उसकी इजाजत दे दी गयी थी और उसके लिये कोई एतराज नहीं लिया गया।

श्री बनारसी दास--मैं खंड ६ में अपना एक संशोधन पेश करना चाहता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, इसमें मेरा संशोधन पेश किया जा चुका है। यह उसके बाद ही आना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरा एक संशोधन खंड ५ में है ।

श्री उपाध्यक्ष---वह तो समाप्त हो चुका है ।

श्रीमती चंद्रवती---मेरा संशोधन बड़ी अहमियत का था और उसको आपने एलाउ नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---अब क्या किया जा सकता है । आपने पहले कोई एतराज नहीं किया ।

खंड ६ (क्रमागत)

श्री बनारसी दास---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड .....

श्री जगन्नाथ मल्ल---प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। जब मेरा संशोधन पेश हो चुका है तो पहले उस पर बहस होनी चाहिये। खंड ६ में मेरा संशोधन जो पेश है उस पर बिना बहस हुय और बिना उस पर वोट लिये नये संशोधन को आप कैसे ले सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---पहले उसका लेना निश्चय हो चुका है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मेरे संशोधन पर बहस जारी है, उस पर बहस खत्म हो जाय तो दूसरा लिया जा सकता है ।

श्री बनारसी दास---पहले यह आदेश दिया गया था आज नया खंड ५ पेश होगा और उसके बाद जो दूसरे कांसिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं, वह पेश किये जायेंगे। सुबह जिस समय माननीय मौर्य जी बोल रहे थे तो, उनके दौरान तकरीर में माननीय अध्यक्ष ने यह आदेश दिया था कि पहले ५वां खंड पेश होगा और उसके बाद जो कांसिक्वेंशियल अमेंडमेंट होंगे वह पेश होंगे। इसलिये मैं इसको पेश कर रहा हूं। इसके बाद जो ६ का हिस्सा है वह पेश होगा, तब उस पर बहस हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष---जो अमेंडमेंट जगन्नाथ मल्ल जी का है उस पर बाद को विचार हो जायगा। इस अमेंडमेंट के आ जाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अध्यक्ष महोदय इस व्यवस्था को कर चुके हैं ।

श्री बनारसी दास---यह व्यवस्था कल की जा चुकी है और आज भी यह व्यवस्था हुई है, जबकि ५ पर विचार हो रहा था। अगर ५ खंड पास हो गया तो उसके बाद कांसिक्वेंशियल अमेंडमेंट नहीं आ सकते। तो यह ५वीं धारा का कांसिक्वेंशियल अमेंडमेंट है जो आ नहीं सकता है। उसके बाद दूसरा संशोधन जिस पर मौर्य जी बोल रहे थे, उसके लिये कहा था कि इसको बाद में लिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय दे चुके हैं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---प्वाइन्ट आफ आर्डर, मेरा यह कहना है कि आपका जो संशोधन है वह ६-ए में है और मेरा संशोधन ६ में है, तो जब तक ६ खत्म नहीं होगा, तब तक ६-ए नहीं आ सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं जिस प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है, उसका पालन करना ठीक होगा। उनको इजाजत दे दी गयी है तो पहले उनका संशोधन पेश होगा ।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**---सहूलियत के लिये दोनों संशोधन पर बहस न हो तो मेरा निवेदन यह है कि पहले आपका संशोधन आ जाय और उस पर बहस हो जाय और उसके बाद बनारसी दास जी के संशोधन पर बहस हो जाय। दोनों साथ-साथ तो नहीं लिये जा सकते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बनारसी दास--उनको संशोधन पेश करने में दिक्कत होगी। पहले यह संशोधन पेश हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय का निर्णय हो चुका है, जबकि मौर्य जी बोल रहे थे। ५ खंड पर उनका निर्णय हो चुका है। तो वही ६-ए के विषय में भी लागू है। पहले यह हो जाय तो बाद को मल्ल जी के ६ पर बहस हो सकती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या दोनों पर साथ-साथ बहस हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--दोनों पर नहीं हो सकती है।

श्री बनारसी दास--फिर भी इसके लिहाज से पहले इसको लेना आवश्यक है, क्योंकि इसके संशोधन बाद को आयगे। ऐसा निर्णय हो चुका है कि कांसिक्वेंशियल जो होंगे वह बाद को आयगे। सबेरे यह निर्णय हो गया है। मौर्य जी की बहस भी उस पर पूरी नहीं हुई थी। तो उसी क्रम से आना चाहिये। पहले मैं पेश कर देता हूं फिर वही बहस का सिलसिला जारी रह सकता है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**--मैं माननीय बनारसी दास जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस समय चेअर के हाथ मजबूत करें और अपने संशोधन को थोड़ी देर के बाद प्रस्तुत करें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं माननीय सदस्य को इसके पेश किये जाने में कोई आपत्ति न होगी और जैसा पहले से चल रहा है वैसा ही चले।

श्री बनारसी दास--जैसा आपका आदेश हो।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, इस पर बोलते हुये माननीय मन्त्री जी ने केवल एक सिद्धांत रक्खा ....

श्री बनारसी दास--उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य अपना जवाब दे रहे हैं?

श्री जगन्नाथ मल्ल--जी हां, जब कोई बोलने खड़ा नहीं हुआ तो मैं जवाब दे रहा हूं।

श्रीमन्, उन्होंने एक ही सिद्धांत रक्खा कि जो जिसके द्वारा चुना जाता है वह उसी के द्वारा हटाया जाना चाहिये। तो सरकार का जो अमेंडमेंट है वह इस प्रकार है कि प्रसीडेन्ट केवल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही हटाया जाना चाहिये। और इसमें जो मेरा संशोधन है वह इस प्रकार से है कि प्रेसीडेन्ट के खिलाफ नो कानफीडेन्स का मोशन पास होना चाहिये और वह भी इस प्रकार से होना चाहिये कि उसके पक्ष में आधे से अधिक मेम्बर हों। उसी समय तो कान्फीडेन्स का मोशन पास हुआ माना जायगा। लेकिन सरकार ने केवल एक ही चीज और एक ही सिद्धांत बताया। सरकार की ऐसी हमेशा से आदत है कि जैसा वह चाहती है उसी प्रकार से सिद्धांत को बताती है। तो इस समय एक ही सिद्धांत पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो जिसके द्वारा चुना जाय उसी को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसको हटाये। अगर वे इस सिद्धांत को हमेशा के लिये ऐसे ही मान लें तो मैं अपने संशोधन को वापिस लेने के लिये तैयार हूं और सरकार के संशोधन को मैं मान लूंगा, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल ऐक्ट में सरकार ने प्रेसीडेन्ट या बोर्ड को हटाने के लिये अपने ही हाथ में पावर ले रक्खी है। क्यों साहब, उनको यह पावर कहां से आ गयी? उनको चुनने वाली तो जनता है फिर हटाने वाले वे कौन हो गये। वहां पर क्यों वे इस सिद्धांत को मानते हैं? हर कानून में सरकार अपने हाथ में पावर लेने की सोचती है और जहां जैसा बैठता है वैसा ही सिद्धांत खड़ा कर देती है। पिछले ऐक्ट में भी यह साबित हो चुका है कि जो लोग चुनते हैं उन्हीं को हटाने का अधिकार नहीं है। पिछला जो ओरीजनल ऐक्ट है अगर आप उसको देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें चेयरमैन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

चुना जाता था और हटाने का अधिकार सरकार को था। उस समय माननीय मन्त्री जी का सिद्धांत कहा गया ? श्रीमन्, इसी तरह से उनके दो किस्म के सिद्धांत हैं। ओरीजनल ऐक्ट में दिया हुआ है कि बोर्ड के चुने हुये प्रेसीडेन्ट को हटाने का अधिकार सरकार को होगा यहां पर उसी पुराने ऐक्ट में दिया है। यहां तो सरकार हमेशा अपने सिद्धांत को मनवाने का प्रयत्न करती है और एक-एक बात करती है। मैं समझता हूं कि अगर बोर्ड की मर्यादा को रखना है और अगर यह आशा वह करते हैं कि उससे काम लिया जाय तो आप यह अधिकार उसको दें वर्ना मेम्बरों का चेयरमैन कोई ख्याल ही न करेगा और मनमानी करेंगे और तमाम झगड़े फिसाद पैदा होंगे। जब उसको भी मेम्बरों का डर होता है तो काम ठीक होता है और और जब डर नहीं होता है तो वह जो चाहे करेगा और मेम्बर उसका कुछ नहीं कर सकेंगे, जैसे यहां पर सरकार है, उसको डर नहीं है। उसकी इतनी मेजारिटी है वह समझते हैं कि ४ मेम्बर अगर नाराज हो गये तो हो जाने दो, जैसे चले हांके जाओ। यहां भी यही होगा। इसलिये मैं कहता हूं कि मन्त्री जी ख्याल करें कि अगर उन्हें बोर्ड को ठीक से चलाना है तो यह पावर आप उनको दीजिये। अगर उनके द्वारा नो कान्फिडेन्स मोशन आये तो आप हटा सकते हैं, लेकिन उसके बिना ही सरकार द्वारा हटाना उचित न होगा। इन बातों में मैं समझता हूं कि मन्त्री जी के दिमाग की सफाई हो गई होगी और मैं समझता हूं कि वह हमारी बात मान लेंगे।

श्री बनारसी दास--उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मल्ल जी ने इस बिल को और मूल ऐक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा। सरकार ने इस खंड द्वारा कोई ताकत अपने हाथ में मेम्बर्स और प्रेसीडेन्ट को रिमूव करने की नहीं रखी है, बल्कि इस क्लाज़ के द्वारा जो मूल अधिनियम की धारा है उसमें जो कुछ बातें दी हुई हैं जिनमें प्रेसीडेन्ट हटाया जाता है या मेम्बर हटा सकते हैं जैसे वह गैर हाजिर हो जाय या कोई डिसक्वालिफिकेशन धारा ७ में हो जाय, या वह लीगल प्रैक्टिशनर हो या नौकरी कर ले आदि बातें उसमें हैं तो इनके लिये उसमें लिखा है कि "बोर्ड सदस्यता से प्रथक कर सकता है।" पहले भी इस प्रकार का प्रतिबन्ध था कि इन तमाम डिसक्वालिफिकेशन्स के बावजूद भी चेयरमैन को बिना सरकार की स्वीकृति के नहीं हटाया जा सकता, तो इसमें अब सरकार को नई शक्ति दी जा रही है, ऐसी बात नहीं है। यह जो प्रतिबन्ध है कि यदि १०-७ में यह स्थित पैदा हो जाय तो बोर्ड उस समय भी नहीं हटा सकता था और सरकार ही हटा सकती थी। अगर माननीय मल्ल जी धारा ११ को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि--

"Any member removed by the Board under the provisions of section 10, may within ninety days from the date of his removal appeal to the Provincial Government and the order of the Provincial Government on any such appeal shall be final."

इस धारा के अनुसार कोई मेम्बर अलग भी हो जाय तो भी सरकार के पास अपील आवेगी और सरकार का ही निर्णय अन्तिम होगा। हमने केवल इतना बढ़ाया है कि सरकार के नामिनेटेड जो मेम्बर्स हैं उनको बोर्ड न हटाये और सरकार ही हटावे। वह अपील तो कर ही सकता है और सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। इसलिये यह अच्छा न होगा कि बोर्ड उनको हटा दे और फिर सरकार उनको रिइन्सटेट कर दे। इसलिये बोर्ड की प्रेसटीज रखने के लिये और समय को बचाने की गर्ज से ऐसा किया गया है। इसलिये यह बात कहना ठीक नहीं है कि हम डिसक्रिमिनेशन करना चाहते हैं और सरकार का यह एस्टिबलिश्ड उसूल है कि सरकार जिसको नियुक्त करती है उसको वही हटा सकती है, इसलिये सरकार द्वारा नामिनेटेड मेम्बर्स को अगर उसकी कोई सबार्डिनेट अथारिटी हटा दे तो यह सरकार की नीति और माने हुये सिद्धांत के विरुद्ध है ? और यह कहना कि डेमोक्रेसी में यह नहीं। और साहब, आपके लेजिस्लेचर का भंग कर सकता है प्रेसीडेन्ट, पार्लियामेंट को भंग कर सकता है प्रेसीडेन्ट, तो इसमें जब लोकतन्त्र का नाश नहीं होता और फिर जब इस सिद्धांत को मान लिया कि राज्य सरकार भंग कर

सकती है इस तरीके से, यदि लोकल बाडीज़ को और अपने मातहत बाडीज़ को आपने कौन सी किताब से पढ़ लिया जो जनतन्त्र का जनाजा निकल गया। यह तो आपके विधान म मौजूद है। इसलिये यह संशोधन जो माननीय मल्ल साहब ने पेश किया है वह किसी भ्रांति की वजह से है और मैं आशा करता हूं कि वे अपने संशोधन को वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the President shall only be removed when a vote of no-confidence has been passed against him by the Board:

Provided that the no-confidence motion is carried by more than half the members of the Board."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खंड ६ में.....

श्री जगन्नाथ मल्ल--इसकी सूचना नहीं थी, मैं इसका विरोध करता हूं कि यह पेश हो।

श्री बनारसी दास--इसके लिये तो पहले ही परसों माननीय अध्यक्ष महोदय से इजाजत मिल चुकी थी।

श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, होना यह नहीं चाहिये, अभी जब पांचवां खंड रखा गया था उसमें संशोधन भी हो सकते थे और आपने संशोधन पेश नहीं करने दिया और यह सबेरे निर्णय हो चुका था, लेकिन वह नहीं आ सका, इसलिये उसी आधार पर यह भी नहीं होना चाहिये क्योंकि यह नया रखा गया है।

श्री बनारसी दास--श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय की रूलिंग के बाद यह विवाद तो नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जब रूलिंग हो चुकी तो उसके लिये स्वीकृति देनी ही पड़ेगी।

श्री बनारसी दास--तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संशोधन पेश कर रहा था। खंड ६ में एक नया उपखंड ६-ए निम्नलिखित जोड़ा जाय और वर्तमान खंड ६ को उपखंड ६-बी में परिवर्तित कर दिया जाय :--

"६-ए--मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) का खंड (c) निकाल दिया जाय।"

श्रीमन्, चूंकि पहले मान लिया गया कि हकीम और वैद्य हो सकते हैं, इसलिये यह उसका कांसीक्वेंशनल है। इसके अन्दर (सी) में लिखा हुआ है :--

(c) being a legal practitioner, appears in any suit or proceeding, civil or criminal, against the Board; or"

यह आवश्यक नहीं है। इस वजह से इसको निकाला जा रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन का मैं विरोध करता हूं और इस कारण विरोध करता हूं कि इसमें है कि कोई लीगल प्रैक्टिशनर जो कि बोर्ड के खिलाफ किसी सूट में ऐपियर हो सके उसको हटाया जा रहा है। यह ठीक है कि यह सिद्धांत मान लिया गया है कि वैद्य ही रहेंगे, लेकिन क्या कोई लीगल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड वैद्य नहीं हो सकता है। इस बोर्ड में कोई वकील हो सकता है, जो लीगल प्रैक्टिशनर हो और साथ-साथ वैद्य भी हो, रजिस्टर्ड।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह तो ला है कि लीगल प्रैक्टिशनर दूसरा प्रोफशन नहीं कर सकता है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--प्रोफेशन का सवाल नहीं है, वैद्य वह हो सकता है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वकालत चाहे पास उसने कर लिया हो, लेकिन लीगल प्रक्टिशनर तो वही होगा जो प्रैक्टिश करता हो ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं जानता हूं कि बहुत से लीगल प्रैक्टिशनर हैं, जो होम्योपथी की दवायें बांटते हैं तो मैं इसलिये कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इसको ऐसा ही रहने दें, शायद कोई कमी आ जाय तो उसके खिलाफ न रखें ।

श्री बनारसी दास--श्रीमन्, माननीय मल्ल साहब जो कह रहे हैं कोई विरोध नहीं है । वह समझने की बात है जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोई आदमी वकला हो और दवाइयां होम्योपैथी की बेचता है, इसके मानी यह हैं कि कानून का वह उल्लंघन करता है और जब कोई आदमी जो लीगल प्रैक्टिशनर है, वह वैद्य नहीं हो सकता, ऐसी हालत में इसको हटाना आवश्यक हो गया है ।

श्री मदनगोपाल वैद्य--जो संशोधन उपस्थित हुआ था उसके अनुसार मूल अधिनियम की धारा १० (सी) निकाल दी जाय लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, देखेंगे कि मूल अधिनियम की धारा १० में डिसएबिलिटीज का भी वर्णन है । १० (सी) में यह है कि अगर बोर्ड का कोई मेम्बर बोर्ड पर दावा करता है तो वह डिसएबिलिटी मानी जायगी । लिहाजा सिर्फ इसमें से लीगल शब्द निकल जाना चाहिये और बाकी ज्यों का त्यों रहना चाहिये, क्योंकि बोर्ड का कोई मेम्बर बोर्ड पर दावा कर दे तो मेम्बर नहीं रह सकता । इसका इलाज सिर्फ यह है कि लीगल निकल जाना चाहिये और प्रैक्टिशनर के क्या मानी हैं, इसकी डेफिनीशन इसमें दी हुई है । इसलिये लीगल शब्द निकल जाना चाहिये ।

श्री बनारसी दास--माननीय मदनगोपाल जी ने इसे गलत समझा । यह १० (सी) जो है, उसके यह मानी नहीं है कि वह दावा करे, बल्कि यह है कि कोई बोर्ड का दावा हो, उसमें कोई कोई मेम्बर वकील की हैसियत से सिविल या क्रिमिनल हो, उसमें एपियर होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी ।

*__श्री चन्द्रभानु गुप्त__--उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब आपने विश्वविद्यालयों में इस बात की इजाजत दे दी है कि विश्वविद्यालय जो फैकल्टीज हैं उनमें किन्हीं व्यक्तियों को भेज सकते हैं तो हो सकता है कि उस फैकल्टी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आयुर्वेद में बहुत दिलचस्पी रखता हो और अगर उसे विश्वविद्यालय ने चुन कर भेज दिया और वह उसका सदस्य बन गया तो मैं समझता हूं कि यह जो मौजूदा चीज है वह बनी रहे, तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है और माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो बात रक्खी है उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये कि जैसा है वैसा ही रहे और जो संशोधन इधर से उपस्थित किया गया है उसको न माना जाय । मैं समझता हूं कि संशोधन को वापस ले लिया जायगा और माननीय मल्ल जी जो कह रहे हैं, उसे मान लिया जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

*__श्री व्रजभूषण मिश्र__ (जिला मिर्जापुर)--मैं आपकी अनुमति से यह जो संशोधन दिया गया है इसको इस रूप में रखना चाहता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा २ की पंक्ति ३ में अंक "५" के बाद "shall" और "be" के बीच में "after such notice as may be prescribed" रख दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको लिख कर ठीक से पढ़ें।

श्री जगन्नाथ मल्ल--कोई नया संशोधन है ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं नहीं जानता कि नया है या क्या है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को ठीक से लिख कर पढ़ तो अच्छा होगा।

श्री जोरावर वर्मा--प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अभी आपके सामने प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने मुझसे श्री रामलखन मिश्र के प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत मांगी। मैं नहीं जानता कि किस रूप में वह दे रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता था, हालांकि आप मुझे माफ करेंगे, पूछना तो आपको चाहिए था कि उनका यह संशोधन नहीं है, वह कैसे पेश कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--मैंने आपको बतलाया कि मैंने श्री रामलखन मिश्र का नाम पुकारा। उसके बदले में उन्होंने इस संशोधन को पेश करने की आज्ञा मांगी और मैंने उनको आज्ञा दे दी। लेकिन जो रामलखन मिश्र जी का प्रस्ताव है उसमें वह कुछ हेर-फेर करना चाहते हैं। मैंने इसलिए उनसे कहा कि वह अपने शब्द पूरे तौर से लिख कर पढ़ें ताकि मैं निश्चित कर सकूं कि प्रस्ताव नया है या नहीं।

*श्री व्रजभूषण मिश्र--मैं इस रूप में इसको पेश करना चाहता हूं--

खंड ६ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में अंक और शब्द "5 shall" के बाद और "be" के पहले "after such notice as may be prescribed" बढ़ा दिये जायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--६ नहीं ६ (बी) कहिए। वह बदल गया है।

श्री बनारसीदास--यह संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में अंक और शब्द "5 shall" के बाद और "be" के पहले " after such notice as may be prescribed." बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--(श्री रामेश्वरलाल से) आपका संशोधन यह नहीं माना जायगा कि खंड ६ निकाल दिया जाय। आप इसका विरोध कर सकते हैं।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, यदि आप मूल अधिनियम को ध्यान से देखें तो मूल अधिनियम में जो पावर्स बोर्ड को मिले हुए थे यह संशोधन रखने के बाद सरकार उस पावर को छीनने जा रही है। मूल अधिनियम में था कि जो चेयरमैन था उसको निकालने का अधिकार था प्रोविन्शियल गवर्नमेंट को और जो नामिनेटेड मेम्बर्स नियुक्त होते थे या जो होंगे उनको निकालने का अधिकार बोर्ड को था कि चाहे नामिनेटड हो या इलेक्टेड हो अगर वह मेम्बर किसी भी तरह ३ मीटिंगों में नहीं आता है या और कोई मालप्रैक्टिस करता है, गबन होता है, इस पर बोर्ड को अधिकार था कि उन तमाम मेम्बर्स को नो कानफीडेंस मोशन द्वारा निकाल सकता था। लेकिन अब सरकार यह अपने हाथ में ताकत लेने जा रही है कि वह जो प्रेसीडेंट होगा और जो नामिनेटेड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

५ मेम्बर्स होंगे, इन ५ को बोर्ड नहीं निकाल सकेगा, बल्कि सरकार निकालेगी। मैं यह समझता हूं कि यह एक काम जो है, सफाई कितनी भी माननीय मंत्री जी की ओर से दी जाय, ठीक नहीं है। श्रीमन्, यदि विधान आप देखेंगे कि जो पालता है वह मारता नहीं। बिल्कुल एक विधान सा है चाहे उसको आप दैनिक जीवनचर्या में प्रतिवादित कीजिये, चाहे विस्तार कर देखिये। आप यही पायेंगे कि जो पालता है उसे मारने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो फिर सरकार जिन लोगों को नामिनेट करेगी, यह सही है कि सरकार के वे खास आदमी होंगे, चाहे सरकार उनको क्वालिफिकेशन्स की वजह से खास आदमी समझे या बहुत नजदीक होने की वजह से, जैसे भी हों, मैं उस पर कोई बहुत शंका प्रकट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यह सर्वमान्य है कि उन्हीं को नामिनेट करेगी जिनको वह समझेगी कि सरकार के हितों की रक्षा करेंगे। अब प्रश्न यह है कि किन हितों की रक्षा के लिये ये लोग भेजे जायंगे। पूरे विधान के पढ़ जाने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बोर्ड जो बनेगा उसके बन जाने के बाद रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी और फिर कुछ सर्वेन्ट्स नियुक्त होंगे। तो नामिनेटेड मेम्बर्स और प्रेसीडेंट जिनकी कल्पना इस अधिनियम द्वारा सरकार ने की है वे सिर्फ सरकार के हितों की रक्षा के लिये जायंगे जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में बताया कि वे विकास चाहते हैं, आयुर्वेद का। और इसलिये वे चाहते हैं कि कुछ अधिकार उनके हाथ में जायं। मान्यवर, यह शंका की बात है। सरकार के हाथ में यह ताकत जा रही है प्रेसीडेंट के निकालने की, यह पास हो चुका है। लेकिन अब उसके बाद जैसा पुराने ऐक्ट में था कि नामिनेटेड मेम्बर्स भी बोर्ड द्वारा निकाले जा सकते हैं तो उसको बना रहने देना चाहिये। उसमें कोई जनता के हितों की रक्षा की बात नहीं हो रही है। इसलिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ६ की आवश्यकता नहीं, इसको निकाल दिया जाय।

श्री बनारसी दास--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पहले ही मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसमें थोड़ा भ्रम मालूम पड़ता है। सरकार ने इस खंड के द्वारा कोई पावर अपने हाथ में चेयरमैन या सदस्यों को हटाने की नहीं ली। केवल इतनी बात कही है कि खंड १० के अनुसार यदि कोई अयोग्यता किसी सदस्य पर जो नामिनेटेड है या प्रेसीडेंट है, आती है तो बोर्ड उसको निकाल नहीं पायेगा, केवल सरकार ही निकालेगी। तो माननीय सदस्य ने इसका अर्थ यह लगा लिया कि सरकार ने निकालने का अधिकार ले लिया। मैं कहता हूं कि बोर्ड के निकालने के अधिकार को केवल इस खंड के द्वारा सीमित कर दिया गया है, चेयरमैन का पहले ही था और जैसा मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि मूल अधिनियम की धारा ११ के अनुसार प्रत्येक सदस्य को अधिकार था कि तीन महीने के अन्दर अपील कर सके। सरकार का निर्णय अंतिम होता था। तो इसलिये उस देरी से बचने के लिये यह किया गया। मूल अधिनियम में दी हुई शक्ति को कम कर दिया गया। यह तो कहीं भी बात फिट नहीं होती। मूल अधिनियम में जो शक्ति दी गई, उसको बिल्कुल कम नहीं किया गया, अक्षुण किया गया। केवल उसमें जो प्रोसीजर में डिले होती, उसको ही केवल हटा दिया गया है। तो इसलिए जो माननीय सदस्य का विरोध है वह तो समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १२ का संशोधन

"12. Resignation of a member or President.

(1) Any elected member may at any time resign his office by a letter addressed to the President. Such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Board.

(2) A President or a member nominated under sub-section (1) of section 5 wishing to resign may tender his resignation to the State Government under intimation to the Board. Such resignation when accepted shall be published in the official *Gazette* and shall take effect from the date notified therein."

*श्री व्रजभूषण मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १२ (१) की पंक्ति ३ में शब्द "resignation" के बाद शब्द "after due verification" बढ़ा दिये जायं।

यह एक साधारण सा संशोधन है जोकि भाव की पुष्टि करता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, यह स्वीकार है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, हमें भी यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १२ (१) की पंक्ति ३ में शब्द "resignation" के बाद शब्द "after due verification" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, खंड ७ का जब हम अध्ययन करते हैं और नई धारा १२ का विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हम दो प्रकार के वर्गों को बोर्ड के अन्दर यहां पर प्रभुत्व दे रहे हैं। एक तो बोर्ड के सदस्यों का वह वर्ग है जो कि चुना हुआ है और उसके त्यागपत्र को केवल बोर्ड ही स्वीकार कर सकती है और दूसरा वह वर्ग है जिसके सदस्यों के त्यागपत्र को केवल सरकार स्वीकार कर सकती है। इस प्रकार के दो वर्ग बोर्ड में बना देने से अत्यन्त विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था पहले चेयरमैन के लिए थी, लेकिन अब सभापति और सदस्य दोनों के लिए हो गई। इस प्रकार की स्थिति अगर रहने दी गई तो उसका अन्ततोगत्वा यह नतीजा होगा कि जब बोर्ड में ऐसे सदस्य हैं, जिनका केवल सरकार इस्तीफा मंजूर कर सकती है वह एक प्रकार से अर्थ का अनर्थ कर अपने को कुछ विशिष्ट या कुछ अधिक महत्वपूर्ण समझ कर मनोवैज्ञानिक रूप से या वैधानिक रूप से जो दूसरे सदस्य हैं बोर्ड के जो कि चुने हुए हैं उन पर दबाव डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं तो माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वह जरा इस पर पुनर्विचार करें। या अगर उनकी इच्छा हो सभापति के सम्बन्ध में तो सभापति के लिए यह अधिकार रह सकता है लेकिन सदस्यों में भी एक अनैतिक विभाजन कर देना, अनावश्यक विभाजन कर देना, अनीतिपूर्ण विभाजन कर देना, यह युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता। मैं तो यह चाहता हूं कि सभापति बोर्ड के ही प्रति उत्तरदायी रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

और बोर्ड को ही यह अधिकार हो कि वह उसका इस्तीफा मंजूर करे। लेकिन अगर सभापति के बारे में पुरानी व्यवस्था रहने भी दी जाती है तो कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि नामजद सदस्यों के लिए इस्तीफा सरकार मंजूर करे और चुने हुए के लिए बोर्ड इस्तीफा मंजूर करे। इसलिए बेकार का एक द्वेष खड़ा होगा, बेकार का मतभेद खड़ा होगा। मैं माननीय गुप्ता जी से विशेष रूप से निवेदन करूंगा जिस प्रकार उन्होंने माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के कहने पर इस पर पुनर्विचार किया इसी प्रकार वह इस खंड ७ के सम्बन्ध में भी पुनर्विचार करें और इसको अधिक न्यायसंगत बनाने की चेष्टा करें।

श्री बनारसी दास--उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इसको इतना निर्दोष समझता था कि नारायणदत्त जी को आपत्ति का मौका नहीं होगा। इसमें लिखा यह है कि यदि कोई नामिनेटेड मेम्बर रिजाइन करना चाहे तो इसमें क्या बात हो गयी कि वह रेजिग्नेशन बोर्ड को न देकर सरकार को दे दे, जबकि फिर सरकार को ही नामिनेट करना है। तो बजाय इसके कि बोर्ड उसको ऐक्सेप्ट करे, फिर सरकार को सूचना दे कि स्थान रिक्त हो गया तो वह तो चाहते हैं कि कार्य में रेडटेपिज्म न हो, सीधा अगर सरकार के पास आ जाय तो इसमें क्या हानि है? रेजिग्नेशन देने को तो कोई मजबूर नहीं करता है। तो यह तो केवल प्रोसीडचोर की बात थी, कोई सिद्धान्त का सवाल नहीं था। इसलिए मुझे बड़ा खेद है कि श्री नारायण दत्त जी ने इस निर्दोष खंड का भी विरोध किया।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

यू०पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १४ का संशोधन

८--मूल अधिनियम की धारा १४ का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--क्या श्री जगन्नाथ मल्ल इस खंड ८ के विरोध में बोलना चाहेंगे?

श्री जगन्नाथ मल्ल--जी नहीं, मैं सदन का टाइम बरबाद नहीं करूंगा।

श्री मदनगोपाल वैद्य--इसमें जो प्रतिबन्धात्मक खंड लिखा है यह द्वितीय नहीं है तृतीय है। आखिर मंत्री महोदय का अभिप्राय किससे है?

श्री बनारसीदास--जबकि लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं रखे तो उसी के सम्बन्ध में यह भी है। यह तो अपने आप ही हो जाता है, इसीलिए जगन्नाथ मल्ल जी ने विरोध नहीं किया।

श्री मदनगोपाल वैद्य--फरवरी, १९५५ में जो संशोधन हुआ है, उसके अनुसार यह तृतीय हो जाता है।

श्री बनारसी दास---मैं तो पहले निवेदन कर चुका हूं, धारा १४ का दूसरा प्रतिबन्धात्मक यही है, मैं समझ नहीं पाया कि श्री मदनगोपाल वैद्य का क्या मतलब है?

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

९--मूल अधिनियम की धारा १५ का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय ।

यू०पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १५ का संशोधन

श्री तेज प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ९ को निम्न रूप में रख दिया जाय--

"९--मूल अधिनियम की धारा १५ के प्रतिबन्धात्मक खंड को हटा कर निम्न रूप में रख दिया जाय --

"Provided that no person shall hold office as President of the Board for more than one term."

आगे के शब्द हट जायंगे ।

अब इससे अर्थ यह हो जाता है कि प्रेसीडेंट को जब नामिनेटेड आदमी में रखा तो उस पर बन्धन टर्म का भी रखिये । जो प्रतिबन्धात्मक वाक्य था, मूल अधिनियम, जिसके द्वारा दो टर्म तक ही प्रेसीडेंट रह सकता था, उसको भी आप हटाना चाहते हैं । तो इसका अर्थ यह है कि आप प्रेसीडेंट को नामजद करना चाहते हैं, और नामजद ही नहीं उसको अनादि काल तक, अनन्त काल तक, जब तक उसकी जीवनी हो, जीवन-पर्यन्त उसको प्रेसीडेंट रखना चाहते हैं । तो सन् १९३९ वाले ऐक्ट में जो प्रतिबन्ध था वह अच्छा था कि ज्यादा से ज्यादा दो टर्म के लिए प्रेसीडेंट रह सकेगा । परन्तु अब नामिनटेड प्रेसीडेंट की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि उसका टर्म एक ही रखा जाय । एक टर्म से ज्यादा प्रेसीडेंट न रह सके । एक टर्म तीन साल की होती है, तीन साल ही वह प्रेसीडेंट रह सके, इतना बन्धन तो स्वीकार कर लें । मैं समझता हूं कि मेरा जो अभिप्राय है उसे माननीय मंत्री जी मान लेंगे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, कदाचित माननीय सदस्य मेरे उस भाषण के तात्पर्य को समझ न सके जो मने इससे पूर्व प्रेसीडेंट के विषय में दिया था । कदाचित् मैंने ऐसा संकेत किया था कि ऐसा सम्भव हो सकता है कि जो आयुर्वेद के अध्यक्ष प्रदेशीय सरकार द्वारा नियुक्त किये हुये व्यक्ति प्रदेश में कार्य करते हों वही इसके सभापति रहें, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे व्यक्ति के लिये तीन वर्ष के प्रतिबन्ध की बात अभी रखी जाय । हो सकता है आगे चल कर तजुर्बा यह बताये तो हम ऐसे व्यक्ति को हटा कर दूसरे व्यक्ति को रख सकते हैं । इसका जो मैं विरोध करता हूं उसके पीछे यह भावना छिपी हुई है कि जो सरकारी विभाग का अध्यक्ष होगा जिसको आयुर्वेद का संचालन करना होगा वह तीन वर्ष से अधिक भी रह सकता है और दो मर्तबा भी वह सभापति का कार्य कर सकता है । इस कारण से मैं मुनासिब नहीं समझता कि कोई इस प्रकार का प्रतिबन्ध इस चीज में इस समय लगाया जाय । इन कारणों से मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यदि उन्होंने मेरे भाषण के अभिप्राय को समझ लिया है तो वे इस पर आग्रह न करेंगे कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध रखा जाय ।

श्री जोरावर वर्मा--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मूल अधिनियम की जिस धारा को बदला जा रहा है, वह इस प्रकार है :

"Provided that no person shall hold office as Chairman of the Board consecutively for more than two terms."

इसके अनुसार ६ साल तक इस बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है । लेकिन इसको हटाया जा रहा है जिसका तात्पर्य यह हो सकता है कि वह किसी भी टाइम हटाया जा सकता है और कभी नहीं हटाया जा सकता है । तो इस प्रकार विधान में समय की कोई अवधि न रखना मैं

[श्री जोरावर वर्मा]

समझता हूं, अभी तक जितने विधेयक इस सदन में आये सम्भवतः किसी भी विधेयक में एसी कोई धारा नहीं रखी गयी है। इसलिये मैं कहूंगा कि जो संशोधन रखा गया है वह बहुत ही उचित है। या तो पुराना रहे क्योंकि उसमें दो ही टर्म के लिये हो सकता है, लेकिन उसके निकाल देने से तो समय की कोई सीमा ही नहीं रहती है। ऐसा किसी कानून में रखना उचित नहीं है क्योंकि टर्म आफ आफिस सब में दिया हुआ है। इस प्रकार का विधेयक लाना म समझता हूं कि वैसे ही है जैसे किंगशिप की थ्योरी कि जो पैदा राजा हुआ है, वह राजा रहेगा ही चाहे कुछ हो। मैं समझता हूं कि यह प्रजातांत्रिक प्रणाली के बहुत ही विपरीत है। इसलिये तेज प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा है, यह बहुत उचित है और इसे मान लेना चाहिये।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं माननीय तेज प्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं? मुझे श्रीमन्, यह जान कर जरा दुःख हुआ कि माननीय मंत्री जी ने अभी से यह निश्चित कर लिया है कि इस बोर्ड के प्रेसीडेंट विभाग के अध्यक्ष होंगे।

मेरे विचार से बोर्ड आफ मेडिसिन के निर्माण की यह मंशा केवल नहीं है कि विभाग के अधीन वह कार्य करे। मेरे विचार से जो विभाग के अध्यक्ष हैं जो सीधे गवर्नमेंट के एक्जीक्यूटिव कंट्रोल में जो आयुर्वेद के डायरेक्टर होंगे अगर वही इस बोर्ड के अध्यक्ष हो जायंगे तो फिर बोर्ड किसी प्रकार से अपने को सरकार से मुक्त नहीं रह सकता। आखिर जो विभिन्न प्रकार के बोर्ड होते हैं, चाहे एलोपैथी के हों, चाहे होम्योपैथी के हों, चाहे आयुर्वेद के हों या और कोई भी बोर्ड हों, कुछ मानी में उनको आटोनामी होती है, कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं। अगर बोर्ड का काम केवल रजिस्ट्रेशन करने का है, तब तो डायरेक्टर आफ आयुर्वेद खुद कर सकते हैं या फिर डिप्टी डायरेक्टर चार क्लर्क रख लें और रजिस्ट्रेशन होता रहे। अगर यह बोर्ड केवल रजिस्ट्रेशन करने के लिये, कुछ संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये या डिप्लोमा बांटने के लिये बनाये जा रहे हैं और डायरेक्टर आफ आयुर्वेद उसके अध्यक्ष बनाये जा रहे हैं तो फिर खेर कमेटी की मंशा पूरी होने वाली नहीं है।

इसलिये मैं माननीय तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। अगर इस ऐक्ट को पास करने का यही मंशा है कि इस बोर्ड के अध्यक्ष डायरेक्टर हों तो इसको पास करने से कोई फायदा नहीं है। स्पष्टतः मैं उस समय उपस्थित नहीं था, बाहर था नहीं तो म पहले ही इसका विरोध करता कि यह नहीं होना चाहिये। इस लिये जहां एक ओर डायरेक्टर अध्यक्ष न हो और दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि तेज प्रताप सिंह जी का संशोधन आ जाय, एक बार से अधिक कोई प्रेसीडेंट दुबारा चुना न जाय और अगर उसके दुबारा या तिबारा चुने जाने की गुंजायश है तो फिर वह गुटबाजी की चेष्टा करता है और अपने आपको सरकार के गुडबुक में रखने की चेष्टा करता है या दफ्तर के कहने के मुताबिक चल सकता है।

अगर प्रेसीडेंट को यह मालूम हो जायगा कि मैं दुबारा चुनकर नहीं आ सकता तो फिर वह इन बातों की चेष्टा नहीं करेगा और स्वतंत्र मस्तक से कार्य सम्पन्न करेगा। जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में हमने कुलपति के लिये रखा है या और जगह व्यवस्था की है उसी प्रकार से इसमें भी होना चाहिये नहीं तो निष्कंटक रूप में इसका कार्य सम्पन्न होने में बाधा पड़ेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी अपने निर्णय पर पुनः विचार करें और डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद इसके अध्यक्ष न हों और इसी के साथ तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन को भी स्वीकार करें।

श्री तेज प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी अपना भाव प्रगट कर दिया कि डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। अब तो उनका एसा अभिप्राय मालूम पड़ता है कि यह जो बोर्ड है बिल्कुल एक गवर्नमेंट बाडी होगा। सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसा चाहेगी वैसा बोर्ड से करायेगी । अभी तक इस धारा से यद्यपि यह बात सुनिश्चित नहीं है कि डिप्टी डाइरेक्टर ही इसका अध्यक्ष होगा, सरकार जिसको चाहे उसको नामजद कर सकती है । ऐसा मान भी लें कि किसी एक नान आफिशल को नामजद सरकार करती है तो कुछ आशा थी कि वह इस पद्धति की उन्नति के लिये गवर्नमेंट से सलाह किया करता और उसकी उन्नति के लिये कार्य कर सकता था, लेकिन अब तो अभिप्राय ऐसा मालूम होता है कि एक आफिशल ही इस बोर्ड का अध्यक्ष रखा जायगा और उसका भी कोई कार्यकाल नहीं होगा । अगर मेरा संशोधन आप मान लेते हैं कि तीन साल से ज्यादा कोई अध्यक्ष रहेगा ही नहीं तब भी इस बंधन में आ जाती है, सरकार कि कोई आफिशल भी तीन साल से ज्यादा नहीं रह सकता है । लेकिन आपका मंशा तो हमेशा डिप्टी डाइरेक्टर को ही इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का है । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही घातक है । यह बोर्ड एक खिलौना मात्र बन जायगा, रबर स्टाम्प लगाने वाला होगा और बोर्ड अपना काम ठीक से नहीं कर सकेगा । आपका यह आयुर्वेद का विभाग गवनमेंट के नीचे काम करता है, ऐसा होने पर जो आपकी रीति नीति होगी वह उसी को प्रतिपादित करेगा और चलायेगा और आपकी जो यह भावना है कि यह पद्धति सम्मानित हो, इसकी तरक्की हो यह तो अच्छी है लेकिन उसके लिये आप जो व्यवस्था करने जा रहे हैं उसकी तरक्की के लिये वह ठीक से चल नहीं सकती । इसलिये मैं फिर अनुरोध करूंगा मंत्री जी से कि इस संशोधन को उनको मान लेना चाहिये अपने इस विचार को बिल्कुल ही बदल देना चाहिये कि डिप्टी डाइरेक्टर इस बोर्ड का प्रेसीडेंट नियुक्त किया जाय ।

श्री बनारसीदास---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में और कुछ नहीं कहना है, इसलिये कि उन्होंने कोई नई दलील नहीं दी है और उसी बात को दोहराया है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ को निम्न रूप में रख दिया जाय :--

९---मूल अधिनियम की धारा १५ के प्रतिबन्धात्मक खंड को हटा कर निम्न रूप में रख दिया जाय :--

"Provided that no person shall hold office as President of the Board for more than one term."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०

१०---मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १८ का संशोधन

Quorum for a meeting of the Board.

"18. The quorum of the Board shall be 8 members, but subject thereto the Board may act notwithstanding any vacancy in their number :

Provided that at an adjourned meeting all business postponed at the original meeting for want of quorum may be transacted if not less than five members are present."

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ११

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २१ का संशोधन।

११--मूल अधिनियम की धारा २१ निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २२ का संशोधन

१२--मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) से शब्द "not exceeding the allowances payable to the members of the State Legislature" "निकाल दिय जायं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा२५ का संशोधन।

१३--मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "Board" के स्थान पर शब्द "Registrar" और "Vaidyas" शब्द के बाद के कामा के स्थान पर शब्द "and" रख दिया जाय

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा२७ का संशोधन।

१४--वर्तमान धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

persons entitled to be registered

"27. (1) Every person possessing the qualifications mentioned in the Schedule shall, subject to the provisions contained in or made under this Act and upon payment of such fees, whether in a lump sum or periodically, as may be preseribed, be entitled on an application made to the Registrar, to have his name entered in the register. When the name of a person has been registered in accordance with the provision aforesaid he shall be granted a certificate in the prescribed form.

(2) Any person aggrieved by the order of the Registrar refusing to enter his name in the register or to make any entry therein may, within ninety days of such refusal, appeal to the Board.

(3) The appeal shall be heard and decided by the Board in the prescribed manner.

(4) The Board may, on its own motion or on the application of any person cancel or alter any entry in the register or order any entry in the register if in the opinion of the Board such an entry was fraudulently or incorrectly made or obtained or an application was wrongly refused."

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा २७ की उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :--

"Provided that an application for entry in the register made by a person whose case is not clearly governed by the provisions of this Act or by the rules and regulations made thereunder shall be referred to the Board for such decision as it may deem fit."

श्रीमन्, यह जो पहले का ऐक्ट था उसमें यह प्राविजन था कि जो लोग ऐक्ट के मातहत बने नियमों के मुताबिक योग्यता न रखते हों यानी जिस योग्यता की हैसियत से नाम रजिस्टर में दर्ज होना चाहिये और अगरचे वह अच्छे लोग हैं तो उनके प्रार्थना-पत्र को बोर्ड के पास भेजा जाय। बोर्ड अगर ठीक समझे तो उन वैद्य या हकीम को वह रजिस्टर्ड कर ले। यह एक ऐसी धारा पुराने ऐक्ट में थी जिसके कारण बहुतसे पुराने वैद्य लोग हैं और जो डिग्री होल्डर वैद्य से भी ज्यादा होशियार हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाता था। लेकिन इस विधेयक में उस अधिकार को छीन लेना कि उनको रजिस्टर्ड नहीं किया, जादया कुछ अच्छा नहीं है। इसलिये यह प्राविजन रहना चाहिये कि बोर्ड अगर ठीक समझे कि वह आदमी बहुत काबिल है और इसके पास ऐक्ट के मुताबिक जो डिग्री होनी चाहिये वह नहीं है और बोर्ड ठीक समझता है तो उसको रजिस्टर्ड कर ले। यह ऐसी धारा थी जिससे बहुत से लोगों का फायदा होता था, खासतौर से उन लोगों का जो अपने घर पर पढ़ते थे और इम्तहान नहीं देते थे, लेकिन डिग्री होल्डर से काबिल होते थे तो उनको रजिस्टर्ड पहले करने का हक था, वह अब भी होना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसको कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे काफी लोगों का फायदा होगा।

श्री मदन गोपाल वैद्य--मैं जगन्नाथ मल्ल जी के प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि कल जो हम आयुर्वेद के लिये प्रगति करने जा रहे हैं, उसमें किस प्रकार के वैद्यों को प्रोत्साहन दें। एक समय था जब कि आयुर्वेद के लिये परीक्षा या शिक्षा का प्रबन्ध नहीं था। उस समय हमारे समाज के अन्दर बहुत वैद्य थे, जो अपनी प्रक्टिस अच्छे तरीके से आज तक करते चले आ रहे थे। उनका रजिस्ट्रेशन ३९ से ५५ तक १६ वर्ष तक होता रहा। लेकिन अब सरकार ने वैज्ञानिक कदम उठाया है तो उस वैज्ञानिक कदम में ऐसे वैद्यों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए जिनको विधिवत् शिक्षा प्राप्त न हो तो उनको भी रजिस्टर्ड किया जाय। जब सरकार वैज्ञानिक कदम उठाने जा रही है और जब हमने उन वैद्यों को १६ वर्ष का समय दिया और जो चिकित्सा करने वाले थे, उन्होंने इन पिछले १६ वर्षों में अपने को रजिस्टर्ड करा लिया है तो आगे अब ऐसे वैद्यों को अवसर नहीं देना चाहिये, जिनके पास कोई प्रमाणपत्र नहीं है। इसलिये हम जगन्नाथ मल्ल जी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने इसको बदला है कि प्रमाणित शिक्षित और योग्य वैद्यों को रजिस्टर्ड किया जाय तो उनको ही रजिस्टर्ड होना चाहिये। लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव किया गया है जो कि प्रस्तावित धारा २७ में २ और ३ उपखंड रखे गये हैं, वह अब आवश्यक नहीं रह गये हैं। इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

*श्री रामेश्वर लाल--मान्यवर, प्रश्न बहुत विवाद का है। वैद्य जी के भाषण को सुनने के बाद मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दो हितों का प्रश्न है। एक तो वैद्य समाज के हित का और दूसरा राज्य में रहने वाली जनता के हित का। वैद्य समाज के हित के बारे में तो वैद्य जी ने बताया कि १६ वर्ष से सरकार ने उनको मौका दे रक्खा था, जिन लोगों ने रजिस्टर्ड करा लिया, ठीक है, लेकिन अब आगे मौका नहीं होना चाहिये। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अंग्रेजों के बराबर प्रयास के बावजूद और एलोपैथी के युग में अगर किसी ने आयुर्वेद की रक्षा की है तो वह परम्परा से काम करने वाले वैद्य लोगों ने ही की है। और मान्यवर भी इससे अवश्य सहमत होंगे कि यह सरकार जो वैद्यक को उठाना चाहती है वह सन् ३९ से है लेकिन अभी तो उसने इस ओर कोई कदम उठाया है, दिखायी नहीं पड़ता। जो कमेटी इस सम्बन्ध में सन् ३९ में डिप्यूट की गयी थी उसने सजस्ट किया था कि क्षय रोग के सम्बन्ध में वैद्यक अन्वेशणशालायें और चिकित्सालय खोले जाने चाहिये लेकिन उसका प्रतिपादन भी नहीं हुआ है। अब सरकार प्रयत्न करने का वायदा करती है तो यह सदन देखेगा कि सरकार के प्रयत्न कितने सफल होते हैं। लेकिन इन लोगों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में भी उस वैद्यक की रक्षा की है, उन परम्परा से पेशा करने वालों को अवश्य ही सहूलियत दी जानी चाहिये।

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आज भी, जैसा कि जगन्नाथ भल्ल जी ने बताया बहुत से ऐसे वैद्य भी पड़े हुये हैं जो क्वालीफाइड लोगों से बहुत अच्छे हैं तथा जिनकी नालेज वास्ट है, लेकिन वे रजिस्टर्ड वैद्य नहीं हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को वे अवश्य सुविधा दें जो परम्परा से इस काम को करते आते हैं तथा वैसी योग्यता वे रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री बनारसीदास--अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मदन गोपाल जी ने कहा कि आज प्रश्न यह है कि किस प्रकार से वैद्यक के स्तर को ऊंचा किया जाय। मूल अधिनियम में शिड्यूल ४ इसलिये रक्खा गया था कि अनुभव के आधार पर जो लोग अभी तक हिकमत या वैद्यक कर रहे हैं वे अपने को रजिस्टर करा सकें। खंड ३ में लिखा हुआ है कि खंड १ और २ के रहते हुये भी किसी समय भी खंड ३ लागू किया जा सकता है और इस समय भी स्थिति यह है कि खंड ३ अमल में है और उसके अमल में होने की वजह से अनुसूची का खंड ४ आज भी अमल में नहीं है। यदि हम उसको वैसे ही मान लें तो इस वक्त जो हमारे प्रदेश में अमल है वह भी खत्म हो जायगा और तमाम उन लोगों को जो पसारी आदि का काम करते हैं, उनके हाथ में जनता की जानों को खेलने का मौका हम दे देंगे और कोई आदमी जो यह सर्टीफिकेट ले लेगा कि वह ५ साल से हिकमत करता है, उसको हकीम बना दिया जायगा और श्रीमन्, यह स्थिति कभी खत्म न होगी और आयुर्वेद और हिकमत कभी भी विज्ञान के सामने खड़े न हो पायेंगे। और यदि वही लोग यह कहें कि उनको सर्टिफिकेट देने का अधिकार न दिया जाय तो मैं समझता हूं कि उनको इस एतराज को रोकना नामुमकिन हो जायगा, यदि वह योग्यता का सर्टीफिकेट दें, तो उनको उसका स्टैन्डर्ड ऊंचा करना होगा। अब भी २६,००० वैद्यों की तादाद है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनमें से काफी ऐसे लोगों की संख्या भी है यद्यपि उन का रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन उनको सही मानों में वैद्य नहीं कहा जा सकता है। हम तो आशा करते हैं कि वह इसमें सरकार का साथ देंगे और अच्छा होता कि वह यह प्रतिबन्ध न लाते क्योंकि इसका न होना ही जनता और वैद्य समाज के हित में है। जनता का हित इसी में है कि अच्छे सर्टीफाइड रजिस्टर्ड वैद्यों द्वारा उसकी सेवा हो, इसलिये मुझे यह कहते हुये खेद है कि ऐसा प्रतिबन्ध रखना जनता के स्वास्थ्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये घातक और हानिकारक होगा और वह आयुर्वेद की ही उन्नति में रोड़ा बनेगा और अहितकर होगा। इसलिये मुझे खेद है कि सरकार इसको स्वीकार करने में असमर्थ है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, जो दलील उस तरफ से पेश की गई है, मैं उसमें कोई तत्व नहीं पाता हूं और वह इसलिये कि जो बोर्ड बनेगा वह बेवकूफों का नहीं बनेगा, वह तो जो काफी अच्छे केलिबर के वैद्य हकीम होंगे, रजिस्टर्ड होंगे और यूनिवर्सिटीज और इन्स्टीट्यूशन से आवेंगे, उसके द्वारा यह बोर्ड बनाया जायगा तो फिर यह दलील देना कि अगर यह प्राविजोर हेगा तो बहुत से ऐसे लोग आ जायेंगे जोकि जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, न मालूम पंसारी कैसे उसमें चले आवेंगे। प्राविजो में तो कहा ही गया है कि ऐसे लोगों की जो अर्जियां आवेंगी वह बोर्ड के सामने पेश होंगी, वह उन पर विचार करेगा और जैसा उचित समझेगा वह उन पर आज्ञा देगा, तो मैं नहीं समझता कि अगर सरकार को उस बोर्ड पर विश्वास है तो वह कैसे ऐसे पंसारियों को सर्टिफिकेट दे देगा अगर विश्वास नहीं है तो हटाइये बोर्ड ऐसे को फिर उसका क्या लाभ। आप अपने बनाये हुये ही बोर्ड पर विश्वास न करें और कहें कि वह अच्छे लोग नहीं भेजेगा, उसमें भी आपने संशोधन के अनुसार रखा है कि हकीम वैद्य आ सकते हैं, अगर कोई अर्जी आवेगी तो वह उसकी परीक्षा ले सकते हैं और जानकारी करा सकते हैं कि वह पंसारी ही तो नहीं है और जनता के जीवन से खिलवाड़ करने वाला तो नहीं है। यह सब देखकर ही तो बोर्ड रजिस्टरी करेगा, अगर ऐसा होगा तो कैसे आयुर्वेद रसातल को चला जायगा और यूनानी वाले लोग रसातल को चले जायगे और न जाने क्या क्या हो जायगा। इसलिये जैसा डर मन्त्री जी ने बताया इस तरह की कोई बात नहीं है। हम बोर्ड को ही तो अधिकार दे रहे हैं कि वह ऐसी अर्जियों पर विचार करके आज्ञा दें और इसमें मैं समझता हूं कि यूनानी या आयुर्वेद को किसी प्रकार के खतरे का प्रश्न नहीं है और न जनता के जीवन के खतरे की कोई बात इससे आती है। बोर्ड में अच्छे होशियार, अच्छे केलिबर के लोग ही तो होंगे, उनको अधिकार होगा कि अगर कोई कैन्डीडेट ठीक नहीं है तो वह नियमों के अनुसार उसको रिजेक्ट कर दे। इसलिये मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह पुनः इस पर विचार करें और मेरे संशोधन को मान लें।

श्री बनारसी दास--श्रीमन्, मुझे केवल यही कहना है कि यह तो ठीक है कि बोर्ड निर्णय करेगा, लेकिन वह नियम बनायेगा और वह प्रतिबन्ध रखेगा, उसके अनुसार प्रार्थना-पत्र भी आवेंगे और अवधि भी उसमें ठीक होगी तो जब सब ठीक होगा तो बोर्ड के सामने सिवाय सर्टिफिकेट देने के कोई चारा न होगा। इसके अलावा जिनकी रजिस्ट्री न भी हुई होगी, उनको हम प्रैक्टिस से रोक नहीं रहे हैं, इसलिये उनके अनरजिस्टर्ड रहने से इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अतः हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा २७ की उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय:--

"Provided that an application for entry in the register made by a person whose case is not clearly governed by the provisions of this Act or by the rules and regulations made thereunder shall be referred to the Board for such decision as it may deem fit."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५, १६ तथा १७

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २८ का संशोधन।

१५--मूल अधिनियम की धारा २८ के खंड (a) में शब्द "medicine, surgery or mid-wifery or" के स्थान पर शब्द Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine, or" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३० का संशोधन।

१६--मूल अधिनियम की धारा ३० में शब्द "Board" के स्थान पर शब्द "Registrar" और शब्द "Vaidyas" के बाद के कामो के स्थान पर शब्द "or" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३३ का संशोधन।

१७--मूल अधिनियम की धारा ३३ में शब्द "With fine which may extend to two hundred rupees" के स्थान पर शब्द "with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५, १६ तथा १७ इस विधेयक के अग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी और माननीय बालेन्दु शाह जी की रजामन्दी से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि कल जो नान आफिशियल डे है उसका बजाय आफिशियल डे उसको मानकर इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--कल जो नान आफिशियल डे है वह जो नान आफिशियल डे पहले कट गया था, उसके एवज में सरकार से पूछकर रखा गया था। अगर सदन की न रखने की राय है, तो नहीं रखा जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल--इस पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातचीत हुई थी, उसका एक अंश माननीय मन्त्री जी भूल गये कि हमको इसकी जगह पर एक दूसरा असरकारी दिन मिल जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त --हां, मैं वह कहना चाहता था।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, यह बात सही है कि आप दूसरा रोज दे देंगे। तो कल असरकारी दिन नहीं रहेगा और सरकारी दिन रहेगा।

नया खंड १७-अ

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के बाद एक नया खंड १७-अ इस प्रकार बढ़ा दिया जाय :--

"१७--अ--मूल अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिये जायं।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धारा ३५ मूल अधिनियम की जो है, उसको कहीं इस अधिनयम में टच नहीं किया गया है, इसलिये यह संशोधन नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष--देखना यह कि यह कनेक्टेड है या नहीं? यह उस दायरे में आता है या नहीं?

श्री बनारसीदास—यह कनेक्टेड है और संशोधन में समझता हूं कि स्वीकार कर लिया जाय, तो ठीक होगा।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है तो मैं देख तो लूं, समझ तो लूं, उसके बाद आप जो कमेंट करना चाहें कर सकते हैं।

(थोड़ी देर के बाद)

†**श्री नारायण दत्त तिवारी**—श्रीमन्, आप देखें जो अभी हमने खंड १४ पास किया है उसमें हमने धारा २७ को बदल दिया है। जो नई धारा २७ है इसकी उपधारा (१) के अन्त में आप देखेंगे कि एक लाइन है।

"When the name of a person has been registered in accordance with the provision aforesaid he shall be granted a certificate in the prescribed form."

पहले जो अधिनियम था उसके अनुसार केवल रजिस्टर में इंट्री होती थी, सर्टीफिकेट नहीं मिलता था, लेकिन नई धारा के अनुसार प्रत्येक इंट्री के होते हुये एक सर्टीफिकेट मिल जायगा। प्रतिबन्धात्मक वाक्य में संशोधन करने का जो मंशा है, उसके अनुसार जब लिस्ट गजट में पब्लिश हो जायगी, तो उसके मुताबिक भी सर्टीफिकेट इश्यू किया जायगा। तो यह कांसिक्वेंशल है, क्योंकि हर एक केस में सर्टीफिकेट इश्यू होगा।

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन इन आर्डर है। आप जारी रक्खें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—खंड १७ में प्रत्येक इंट्री जो रजिस्टर में होगी, वैद्यों या हकीमों के बारे में उसके लिये सर्टीफिकेट इश्यू होगा। अब नया सर्टीफिकेट इश्यू करना बेकार होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह मेरा संशोधन, जो धारा ३५ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य को निकालने का है, मन्जूर कर लिया जाय।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ के बाद नया खंड १७-अ निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय:—

"१७—(अ)—मूल अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड १७ अ—विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

१८—मूल अधिनियम की धारा ३६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३६ का संशोधन।

"36. The Board shall have the following powers and duties, namely:—

Powers and duties of the Board.

(1) to advise the State Government in matters relating to Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine including research and post-graduate education;

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(2) to accord, suspend or withdraw recognition or affiliation to Ayurvedic or Unani Educational Institutions of the State on the recommendations of the Faculty ;

(3) to publish the results of the examinations conducted by the Faculty ;

(4) to grant degrees or diplomas to candidates who are successful at the Board's examination ;

(5) to levy fees laid down in regulations for admission to Board's examinations;

(6) to allot adequate funds to the Faculty for carrying out its duties;

(7) to perform such other functions for the development of Ayurvedic and Unani Education as may be consistent with the provisions of the Act; and

(8) to exercise such other powers as may be specified by or under this Act."

†श्री नवल किशोर--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (२) की पंक्ति २ में से शब्द "of the State" निकाल दिये जायं। इस संशोधन के बाद उपधारा (२) इस प्रकार हो जायगी :--

"to accord, suspend or withdraw recognition or affiliation to Ayurvedic or Unani Educational Institutions on the recommendations of the Faculty."

यह बहुत छोटा सा संशोधन है। इसका अभिप्राय यह है कि अगर 'आफ दी स्टेट" रहता था तो जो संस्थायें प्रदेश क बाहर थीं, उन पर कोई अधिकार नहीं रहता था। इसलिये यह संशोधन मने रक्खा है 'आफ दी स्टट' अगर निकाल दिया जायगा, तो उन इन्स्टीट्यूशन्स क बारे में भी अधिकार हो जायेंगे जो स्टेट के बाहर हैं।

श्री बनारसी दास--श्रीमन्, यह भी स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (२) की पंक्ति २ म स शब्द "of the State" निकाल दिय जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

"Provided that no such action shall be taken without affording the Committee of Management of such institution an opportunity of making such representation as it may deem fit."

केवल आशय यह है कि जब बोर्ड किसी इन्स्टीट्यूशन का रिकग्नीशन सस्पेन्ड करे तो जिस इन्स्टीट्यूशन को सस्पेन्ड किया जाय, उसको रिप्रेजेन्टेशन करने का अधिकार होना चाहिये। अगर माननीय मन्त्री जो इस बात का आश्वासन दे दें कि उनको किसी नियम से या किसी रेगुलेशन से यह अधिकार रहेगा कि बिना उनके रिप्रेजेन्टेशन को सुने उनके एफिलियेशन को सस्पेन्ड या कैंसिल न किया जाय, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी, लेकिन उनको अधिकार मिलना चाहिये अपनी बात को रिप्रेजेन्ट करने का तब फायनल आर्डर हो।

श्री जगन्नाथ मल्ल--सदन में कोरम नहीं है।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बनारसी दास--- श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें बोर्ड को अधिकार दिया गया है मूल अधिनियम की धारा ३७ में कि रूल्स और रगूलेशन्स को बनाने का और सरकार को भी अधिकार है। मूल अधिनियम की धारा ४२ में. रूल्स बनाने का। तो किसी को मान्यता देना या मान्यता छीनना यह आर्बिट्रेरिली तो होता नहीं। उसके लिये नियम होते हैं। इसलिये नियम के अनुसार यह सारा कार्य होगा। इसलिये ऐक्ट में यहां बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय मौर्य जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जो आश्वासन दिया गया है उसको देखते हुये मैं समझता हूं कि आप आज्ञा दें कि मैं इस संशोधन को वापस ले लूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

†श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (४) के बाद निम्न वाक्य-समूह बढ़ा दिया जाय---

"And to grant scholarships and medals to such students of institutions affiliated to recognised by the Board who may be poor and deserving or industrious, and with the sanction of Government to grant to students domiciled in this Province scholarship for research or special study in any medical institution that the Board may think fit whether in India or abroad, and to endow chairs of Ayurvedic and Unani Tibbi system of medicine in institutions affiliated to the Board."

श्रीमन्, जो नयी धारा ३६ है, खंड १८ के द्वारा जो बनायी जा रही है, इसमें आयुर्वेदिक और यनानी शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने या उनको सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में अधिकार बोर्ड को दिया गया है। साथ साथ जो परीक्षायें होती हैं, उनका नतीजा प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया है, और डिग्री, डिप्लोमा ग्रांट करने का, चेयर एंडाऊ करने का भी अधिकार दिया गया है। आगे चलकर जो फैकल्टी को अधिकार दिये गये हैं, उनमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, जिसके अनुसार स्कालरशिप या मेडल देने के सम्बन्ध में वह रखी गयी हो। मूल अधिनियम की धारा ३६(४) में पहले जो शब्दावली थी, उसको श्रीमन्, देख लें, उसकी भाषा को मैंने शुद्ध कर दिया है अपने दृष्टिकोण से और उपधारा (४) का फिर समावेश खंड १८ में इस प्रकार किया है। मुझे आशा है कि चूंकि बोर्ड को एक शक्ति होनी चाहिये स्कालरशिप देने की, मेडल देने की और चेयर एंडाऊ करने की ताकि कुछ रिसर्च वर्क हो सके या विशेष शिक्षा के लिये बाहर विद्यार्थियों को भेजना पड़े, इसलिये यह संशोधन अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---श्रीमन्, नं० ४१ पर मेरा एक संशोधन है। उसका भी यही आशय है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसको पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष---आप उपस्थित कर दें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (६) के बाद निम्न नये भाग जोड़ दिये जायं :---

"(*a*) to grant scholarship and medals to such students of institutions affiliated to the Board who may be poor and deserving or meritorious and with the sanction of State Government, to grant to

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]
students domiciled in this Province scholarship, for research or special study in any medical institution that the Board may think fit, whether in India or abroad, and to endow chairs of Indian medicine and Surgery in institution affiliated to the Board;

(*b*) to establish and finance dispensaries, hospitals and educational institutions of Indian systems of medicine and subject to rules framed by Government to distribute grants out of the funds at the disposal of the Board to such dispensaries, hospitals and educational institution in the State;

(*c*) to suspend or withdraw the grants to a dispensary or educational institution of Indian system of medicine, provided that no such action will be taken without affording the institution an opportunity to explain."

सिर्फ मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे अधिकार बोर्ड को पहले के ऐक्ट में दिये गये थे। मौजूदा विधेयक में जितने अधिकार दिये गये हैं उनमें यह नहीं रखा गया है, हालां कि यह आवश्यक है। और माननीय नारायण दत्त जी ने जो संशोधन किया है वह मेरे संशोधन के केवल एक अंश से सम्बन्धित है, यानी (a) से, लेकिन मेरे संशोधन में थोड़े से लफ्जों का अन्तर है, जैसे कि मैंने आखिर में 'मेडिसिन' और 'सर्जरी' भी रखे तो सर्जरी भी वैद्य और हकीम का काम है ही। नारायण दत्त जी ने नहीं रखा है। मैं समझता हूं मेरा (a) बिल्कुल उनके आशय से तो मिलता-जुलता है, शब्दों में पुराने ऐक्ट के अनुरूप है। (b) (c) भी बोर्ड के ही पहले फंक्शन्स में थे और यह तीनों फंक्शन्स बोर्ड के जरूरी हैं, उसको मिलने चाहिये। तो मैं समझता हूं कि यह जो मेरा संशोधन है स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष----(माननीय नारायण दत्त जी से) आप भी अपना संशोधन जो क्रम संख्या ४० पर है उसको पेश कर दें तो एकदम सब पर विचार हो जाय क्योंकि द्वारका प्रसाद जी ने अपना क्रम संख्या ४१ पर दिया हुआ संशोधन पेश कर दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है माननीय मन्त्री जी को मानने में दिक्कत हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--मैं अलग-अलग वोट ले लूंगा।

†श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (.) के अन्त में सेमीकोलन (;) के बाद निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं --

"and to appoint, with the previous sanction of the Provincial Government inspectors for the inspection of recognised or affiliated institutions."

श्रीमन्, आप देखेंगे कि जो फैकल्टी आगे चलकर बनायी गई है उसके अधिकार देने के सम्बन्ध में जो उपधारा (.) है ३६ (b) की "to cause inspection of affiliated institutions of the Board; and" तो इंसपेक्शन करने के लिये इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति आवश्यक है और बोर्ड इस बात की कामना कर सकता है कि बोर्ड की ओर से आयुर्वेदिक डिसपेन्सरीज के इन्स्पेक्शन हों, इन्स्टीट्यूशन्स का इन्स्पेक्शन हो। पहले भी इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपधारा (१०) थी। अब मैंने जो पहले आयुर्वेद, यूनानी डिस्पेंसरीज शब्द रखे थे, उसे हटा दिया क्योंकि खेर कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि डायरेक्टर आयुर्वेद अगर बना दिया जायगा तो यह

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम डायरेक्टर आयुर्वेद को ट्रान्सफर कर दिया जाना चाहिये। लेकिन अब मन्त्री जी कहते हैं कि डायरेक्टर आयुर्वेद को ही बोर्ड का अध्यक्ष बनायेंगे। तो अगर डायरेक्टर अध्यक्ष हो जायगा तो इन्सपेक्टर का बोर्ड के अधीन रहना अधिक अच्छा होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि इन्सपेक्टर की नियुक्ति प्रान्तीय सरकार की सहमति से बोर्ड के ही द्वारा होनी चाहिये। तो मैं आशा करूंगा कि मन्त्री जी इस महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकार करेंगे। विशेषकर जबकि फैकल्टी को अधिकार नहीं दिया गया है इन्स्पेक्टर नियुक्त करने का तो बोर्ड इन्सपेक्टर नियुक्त करे और बोर्ड और फैकल्टी जब उचित समझें तो इन्स्पेक्टर के द्वारा इन्स्पेक्शन करायें।

श्री बनारसीदास--श्रीमन्, अभी जो संशोधन नारायण दत्त जी ने पेश किया और श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ने अपना संशोधन पेश किया, उसमें अगर वे मेरा यह संशोधन मान लें तो मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। जैसा मौर्य जी ने कहा "to grant scholarship and medals to such students" तो "such" को हटा दिया जाय और यहां "deserving" बढ़ा दिया जाय और 'who may be poor and deserving or meritorious" निकाल दिया जाय। तो मेरा मंशा यह है कि मैं चाहता हूं कि 'पूअर' 'मैरीटोरियस' जब एक साथ रखेंगे तो अगर कोई गरीब लड़का है 'मैरीटोरियस' और 'डिजर्विंग' नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। 'डिजर्विंग' जरा कम्प्रीहेन्सिव है, उसमें सब आ जाते हैं, तो इसलिये मुझे इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं, अगर "such" को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "deserving" रख दिया जाय और "who may be poor and deserving or meritorious" निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--"institutions affiliated to the Board" ये शब्द रहेंगे।

श्री बनारसीदास--"to grant scholarship and medals to deserving students of institutions affiliated to the Board and with the sanction of State Government, to grant to students domiciled in this province scholarship, for research or special study in any Medical Institution that the Board may think fit, whether in India or abroad, and to endow chairs of Indian Medicine and Surgery in Institution affiliated to the Board."

श्री नारायण दत्त तिवारी--और इंडियन मेडिसिन ऐन्ड सर्जरी के स्थान पर आयुर्वेदिक ऐन्ड यूनानी तिब्बी सिस्टम भी कर दीजिये।

श्री बनारसीदास--वह तो आ जायगा सभी जगह।

श्री नारायण दत्त तिवारी--माननीय मन्त्री जी ने मुझे जो सुझाव अभी दिया है उनको मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक ही सुझाव और देना चाहता हूं कि 'एफिलिएटेड टु ऐन्ड रिकग्नाइज्ड बाई" भी जोड़ लें तो क्या बुराई है?

श्री बनारसी दास--यह तो शाब्दिक है? माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, यह शाब्दिक नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मान लीजिये न, एफिलियेटेड टु ऐन्ड रिकग्नाइज्ड बाई?

श्री बनारसी दास--श्रीमन्, इसमें जब एफिलियेटेड शब्द है तो मैं समझता हूं कि इससे मंशा पूरी हो जाती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--ऐसे भी हो सकते हैं जो रिकग्जनाइज्ड हों, लेकिन एफिलियटेड न हों। इसलिये ऐसी व्यवस्था कर दें, तो अच्छा है। पहले ऐसी व्यवस्था थी।

श्री बनारसी दास---उसकी अध्यक्ष महोदय, मंशा बिल्कुल साफ है। एफिलियेटेड औररिकग्नाइज्ड दोनों में अन्तर है। लेकिन हम चाहते हैं उसके क्षेत्र को केवल एफिलियेटेड तक ही सीमित रखना ताकि जो एफिलियेटेड इन्स्टीट्यूशन्स हों, उन्हीं के लड़कों को बोर्ड स्कालरशिप दे।

श्री नारायण दत्त तिवारी---खैर, जो भी शब्द हों। मैं एफिलियेटेड वालों को भी वंचित नहीं रखना चाहता।

श्री अध्यक्ष---आपने 'बी' और 'सी' क बारे में नहीं बतलाया।

श्री बनारसी दास---जहां तक 'बी' और 'सी' का सवाल है तो 'बी' के बारे में पहले ही मैं निवेदन कर चुका हूं कि जहां तक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज का सवाल है तो उनके बारे म तो मैंने बताया अभी भी केवल ३६ हजार रुपया दिया जाता था, कुछ गवर्नमेंट एड दे देती थी, कुछ उनसे मिलता था। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता था। इसलिये 'बी' को मानने में असमर्थता है और जहां तक 'सी' का सवाल है "टु सस्पेंड आर विथड्रा दी ग्रान्ट्स टु ए डिस्पेंसरी आर एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स," तो यह तो उससे सम्बन्धित है। डिस्पेंसरीज का तो सवाल नहीं होता। अब एजूकेशनल इन्स्टीटयूशन्स का सवाल है तो उनको भी सरकार सहायता देती है और देगी तो जब 'बी' को नहीं मानते तो 'सी' का पोर्शन भी निकल जाता है। इसलिये नारायण दत्त जी के संशोधन का जहां तक सवाल है--

"and to appoint, with the previous sanction of the Provincial Government inspectors for the inspection of recognized or affiliated institutions."

श्रीमन्, आप जानते हैं यूनिवर्सिटी किसी कालेज को मान्यता देती है तो इन्सपेक्टर्स तो रखे जाते नहीं। उसके लिये स्वयं यूनिवर्सिटी सदस्यों को नियुक्त कर देती है और अभी भी जिनको मान्यता दी जाती है इन्सपेक्टर्स की जरूरत अब भी नहीं होती। बोर्ड अपन सदस्य मुकर्रर करती है और फिर आप देखेंग मूल अधिनियम की धारा २४ में उसकी उपधारा (३) के अन्दर दिया हुआ है--

"The Board may appoint such other officers as may be necessary for carrying out the purposes of the Act."

तो आवश्यकता होगी तो मूल अधिनियम की धारा २४ के अनुसार बोर्ड अपन कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा। इसलिये श्री नारायणदत्त जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं समझता हूं कि वह अनावश्यक है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, जो संशोधन माननीय नारायणदत्त जी और माननीय मौर्य जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है मैं उन दोनों का समर्थन करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने एक संशोधन मान लिया, जिसमें कि जो डिजर्विंग कैन्डीडेट होंगे उनको स्कालरशिप या मेडल वगैरह देने की व्यवस्था है। लेकिन उसमें भी खाली एक ही अंश उन्होंन माना। वह सोचते हैं कि जो एफिलियटेड इन्स्टीच्यूशन्स हैं उन्हीं के लड़के तेज होंगे और जो रिकग्नाइज्ड हैं उनमें लड़के तेज नहीं निकलेंगे। यह उनका सोचना भ्रम है। अगर्चे वहां भी कोई लड़का अच्छा निकलता है तो कोई वजह नहीं माननीय मन्त्री जी ने बतायी कि उनको भी स्कालरशिप या मेडल क्यों न दिया जाय। तो इस तरह से विधाता ऐसा व्यवहार करना यह कुछ ठीक शायद नहीं जंचता है। मैं तो कहूंगा कि उधर माननीय मन्त्री जी ध्यान दें और हो सकता है कि जो लड़के उसमें डिजर्विंग हों, जो बहुत हाई कैलिवर क हों उनको भी मडल या स्कालरशिप इस किस्म की चीजें दी जायं ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिल सके और एसे लड़के जो किसी रिकग्नाइज्ड इन्स्टीच्यूशन में पढ़ते हैं तो उ को भी यह महसूस हो सके कि हमको भी यह मिल सकता है। तो इसका

अर्थ यह होगा कि रिकग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन में इस कारण कि वहां स्कालरशिप वगैरा नहीं मिल सकते हैं, वहां लड़के नहीं जायंगे और माननीय मन्त्री जी के अफिलियेटेड जो इन्स्टीट्यूशन्स होंगे वहां जितनी सीटें होंगी वह सब भर जायगी। तो इस किस्म के जो लड़के होंगे उनके लिये बड़ी दिक्कत हो जायगी। इसलिये मैं सोचता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको चाहेंगे, जो होशियार और डिजर्विंग होगा उसको बोर्ड देगा।

श्री अध्यक्ष---आपको मालूम है कि अफिलिएशन और रिकग्नीशन के लिये कोई डेफिनीशन बिल में है? जरा आप उस पर भी प्रकाश डाल दीजिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल---बाद में बतला दूंगा। तो ये बातें थीं जिनको उन्होंने मान लिया। जहां तक नारायण दत्त जी का दूसरा संशोधन है, बोर्ड को यह भी पावर होनी चाहिये कि वह इन्सपेक्टर मुकर्रर कर सके ताकि जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनका इन्सपेक्शन हो सके। मैं समझता हूं कि जब आफिसर मुकर्रर कर सकता है और इस ऐक्ट में भी वह बात रखी गयी थी तो यहां रख देने से मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत होगी और उसमें किसी किस्म की शक्ल बदल जायगी।

दूसरी चीज यह है कि जो माननीय मौर्य जी का संशोधन है कि गवर्नमेंट जो है वह उन इन्स्टीट्यूशन्स को बोर्ड के डिस्पोजल पर देगी और वह उन लोगों को एड वगैरा दिया करेंगे, तो उनको भी रहने दीजिये। आप यह न सोचिये कि हम ही एड दिया करें। बोर्ड को भी अख्तियार दीजिये एड देने का ताकि वह भी अपनी रेस्पांसिबिलिटी समझें कि हम भी इन्स्टीट्यूशन्स को ग्रांट इन एड देते हैं। इससे बोर्ड की मर्यादा बढ़ेगी। आप तो सबको एड देते ही हैं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि आप इसको स्वीकार करेंगे और इसको मन्जूर करने की कृपा करेंगे।

†श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ने जो यह मन्जूर किया है कि डिजर्विंग कन्डीडेट को स्कालरशिप देंगे, लेकिन रिकग्नाइज्ड और अफिलियेटेड में यह अन्तर है कि अफिलियेटेड में तो रेगुलर स्टूडेन्ट्स होंगे और कायदे से पढ़ेंगे, इन्स्टीट्यूशन्स नियन्त्रण में रहेंगे और जिनको रिकग्नीशन देंगे तो उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं होगा, किसी को दे सकते हैं। वह हमारे अन्दर नहीं होंगे, वह अपने यहां रखे रहेंगे, उनका हक मारा जायगा जोकि यूनिवर्सिटी में हमारे लड़के आयें और मेहनत करें। इसलिये मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने जो 'पूअर' शब्द तो निकाल दिया है, लेकिन 'डिजर्विंग' रखा है, उससे यह सिद्ध होता है कि सरकार की नीयत दुरुस्त है और वह उन विद्यार्थियों की मददगार है और उन विद्यार्थियों और उनकी इच्छाओं में कोई अन्तर नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सरकार ने जो रखा है उसको मान लेना चाहिये और यह संशोधन वापस होना चाहिये।

†श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने मेरे प्रथम संशोधन को तो स्वीकार किया है, लेकिन उसमें उन्होंने एक शर्त लगा दी कि जो स्कालरशिप या मडल दिये जायंगे वह केवल अफिलियेटेड इन्स्टीट्यूशन्स से संबन्धित संस्थाओं के विद्यार्थियों को दिये जायेंगे। आपने जो प्रश्न उठाया था उसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नयी धारा ३६, जो कि खंड १८ के द्वारा बनायी गयी उसकी उपधारा (२) की ओर दिलाना चाहता हूं।

"to accord, suspend or withdraw recognition or affiliation to Ayurvedic or Unani Educational Institutions of the State on the recommendations of the Faculty."

यह तो रिकग्नीशन और अफीलियेशन को अलग कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो शब्दावली थी, मैं इधर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धारा ३६ को नकल कर दी है कि :---

The Board shall have the following powers, namely :

(1) to establish or recognise educational or instructional institutions of Indian system of medicines for purposes of affiliation."

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पहले रिकग्नीशन अफीलियशन होने के लिये होता था। इसमें कोई फर्क नहीं था। इसलिये प्रत्येक विद्यार्थी को स्कालरशिप मिल सकता था। लेकिन अब नई धारा के अनुसार फर्क कर दिया गया है। इसलिये मैं चाहता था कि रिकग्नाइज्ड और अफीलियेटेड दोनों के विद्यार्थियों को पुराने दृष्टिकोण के अनुसार स्कालरशिप मिल जाय। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी दुबारा इस पर विचार करेंगे और इसको स्वीकार कर लेंगे और स्वीकार किये हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधित रूप मन्त्री जी ने उपस्थित किया है वह मुझे स्वीकार है और मैं समझता हूं कि मेरा जो संशोधन था उसमें जो (ए) म सरजरी है वह भी ठीक है, बाकी 'बी' और 'सी' को मैं वापस लेना चाहता हूं। है।

श्री अध्यक्ष--अब तो वह समय नहीं है। बात यह है कि जवाब हो चुका है।

श्री बनारसी दास--श्रीमन्, नारायण दत्त जी ने कहा है उसके लिये मैं उनका ध्यान मूल अधिनियम की धारा ३६ (४) की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि:--

"(4) to grant scholarships and medals to such students, or institutions affiliated to the Board who may be poor and deserving, or meritorious; and with the sanction of Government, to grant to students domiciled in this Province, scholarships, for research or special study in any medical institution that the Board may think fit, whether in India or abroad, and to endow Chairs of Indian Medicine and surgery in institutions affiliated to the Board."

लिहाजा यहां इसमें यह भी लिखा है कि जहां परपज आफ अफीलियेशन है तो यह नहीं है कि रिकग्नीशन अफीलियेशन भी हो गया। बहुत से ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स हैं जैसे साहित्य-सम्मेलन आदि जो इम्तहान कंडक्ट करते हैं। हमने उनको रिकग्नाइज कर लिया है, लेकिन अफीलियेटेड नहीं हैं। इसलिये जैसा कि माननीय मौर्य जी ने माना है, मैं समझता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी भी उसको मान लेंगे। जहां तक मल्ल जी कह रहे थे कि ३६ के मातहत यह क्यों नहीं रखा। कि बोर्ड को अख्तियार होगा और कैसे कार्यान्वित किया जायगा, इसके लिये विधेयक में अधिनियम में धारा मौजूद है। इसलिये इन्सपेक्टर्स को मुकर्रर करना संगत नहीं है। जैसा मैं कह चुका हूं कि बोर्ड कर्मचारी रख सकता है जो ताकत उसको दी गई है उसको कार्यान्वित करने के लिये और वह रेगूलेशन भी बना सकता है। इन्सपेक्टर्स को मुकर्रर किया जाना उचित नहीं होगा और यह बोर्ड की प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा। इसलिये मौर्य जी की तरह श्री नारायण दत्त जी भी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--इसको आप ४ के बाद बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री बनारसी दास--अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि शब्द 'Such' निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर इसको (*a*) के बजाय उपधारा (९) कर दिया जाय, उपधारा (८) के बाद, तो ठीक होगा।

(कुछ ठहर कर) अब मैं एक एक को ले लेता हूं। पहले मैं श्री नारायणदत्त जी के संशोधन को लूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं अपना संशोधन जो आइटम ३९ पर है, वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--दूसरा संशोधन नारायणदत्त जी का यह है आइटम ४० पर।

प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (५) के अन्त में सेमीकोलन (;) के बाद निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं--

"and to appoint, with the previous sanction of the Provincial Government inspectors for the inspection of recognised or affiliated institutions."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री द्वारका प्रसाद जी द्वारा उपस्थित संशोधन को कि निम्न भाग (*b*) और (*c*) जोड़े जांय, वापस लेने की अनुमति दी जाय।

"(*b*) to establish and finance dispensaries, hospitals and educational institutions of Indian systems of medicine and subject to rules framed by Government to distribute grants out of the funds at the disposal of the Board to such dispensaries, hospitals and educational institution in the State;

(*c*) to suspend or withdraw the grants to a dispensary or educational institution of Indian system of medicine, provided that no such action will be taken without affording the institution an opportunity to explain."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा ८ के बाद निम्न नई उपधारा (९) जोड़ दी जाय --

"(९) to grant scholarship and medals to deserving students of institutions affiliated to the Board and with the sanction of State Government, to grant to students domiciled in this Province scholarship, for research or special study in any Medical Institution that the Board may think fit, whether in India or abroad, and to endow chairs of Indian Medicine and Surgery in Institution affiliated to the Board."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं एक बात जानना चाहता हूं श्री धर्मदत्त वैद्य के संशोधन के सिलसिले में। जहां मूल नियम अंग्रेजी में है वहां हिन्दी में संशोधन किन-किन स्थितियों में आ सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--वह तो उपस्थित नहीं हुआ। उसके लिये मैं अपने कमरे में अपनी राय अलग दे दूंगा। उसके लिये इस समय सदन का समय नहीं देने दूंगा।

†श्री नारायण दत्त तिवारी--चंकि यह प्रश्न सामने आ गया है, इसलिये आप अपनी राय कल दे दें।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आ कर पूछ सकते हैं।

अब समय नहीं है। (श्री जगन्नाथ मल्ल से) आप अपना संशोधन अगले दिन पेश करियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१५ दिसम्बर, १९५५ ई०।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७–८ के उत्तर पीछे पृष्ठ १७०–१७१ पर)

गाजीपुर बिजली सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध शिकायतों की सूची

१	धीमी रोशनी ...	बिजली सप्लाई कम्पनी, गाजीपुर को हाईडिल से बिजली मिल जाने के बाद से स्थिति में काफी सुधार हो गया है। २९ सितम्बर, १९५५ से २४ घन्टें बिजली मिलती है।
२	बिजली का बार बार भंग हो जाना	
३	निश्चित घन्टों की सप्लाई	
४	जनरेटिंग सेट को चालू रखने के लिए डीजल आइल मे० ऐ० द्वारा कम दिया जाता है और जैसे ही यह समाप्त होता है बिजली की सप्लाई बन्द हो जाती है	
५	नये बिजली के कनेक्शनों के लिये बिजली की कमी	
६	स्टैन्डर्ड एग्रीमेन्ट फार्म में एक नये क्लाज का बढ़ाना	आदेशानुसार बिजली कं० ने नए क्लाज को अब निकाल दिया है।
७	बिजली के कुछ उपभोक्ताओं को बिना मीटर के बिजली का प्रयोग करने देना	बिजली कम्पनी को मीटर लगाने के लिये आदेश दे दिया गया है, परन्तु अभी कुछ मीटर लगाना बाकी है।
८	बिजली के कुछ उपभोक्ताओं से मिनीमम चार्ज अधिक लिया जा रहा है	कम्पनी ने आदेशानुसार इस त्रुटि को सुधार लिया है।
९	कुछ उपभोक्ताओं के एग्रीमेन्ट फार्म अभी तक पूरे नहीं हुए हैं	एग्रीमेन्ट फार्म पूरे हो गये हैं।
१०	बिजली सप्लाई कम्पनी मीटर की भी सिक्युरिटी लेती है और उस पर ब्याज नहीं देती है	एक उपभोक्ता के झगड़े के सम्बन्ध में इस विषय पर आदेश दिया जा चुका है परन्तु कम्पनी ने कोर्ट की शरण ली है। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।
११	१०० फीट के अन्दर के सर्विस लाइन चार्जेज भी बिजली उपभोक्ताओं को देने पड़ते हैं	इस विषय में इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के शेड्यूल की क्लाज ६ (३) के अनुसार उपभोक्ता इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर से निर्णय करा सकता है, इस प्रकार के जो झगड़े इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर को भेजे गये थे, उनका फैसला हो गया है।
१२	बिजली के बिल रुपया जमा करने के बाद भी उपभोगताओं को वापिस नहीं किये जाते हैं	इस सम्बन्ध में बिजली कम्पनी को आदेश दे दिया गया था। अब वह बिल उपभोक्ताओं को भेज देती है।
१३	बिजली की दरें बहुत अधिक हैं	गाजीपुर में बिजली की दरें स्केल आफ चार्जेज के अनुसार हैं।
१४	वार कास्ट सरचार्ज अभी तक लागू है	इसे खत्म कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
१५	साधारण अयोग्यता आदि	एक योग्य रेजीडेन्ट इन्जीनियर को सप्लाई कम्पनी, गाजीपुर में नियुक्त करने के लिये सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं और कम्पनी इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर रही है।
१६	बिजली सप्लाई कम्पनी, गाजीपुर के कर्मचारी योग्य नहीं हैं	

१७	बिजली सप्लाई कम्पनी, गाजीपुर सरकार को आडिटेड एकाउन्ट्स नियमानुसार नहीं भेज रही है	कम्पनी को लिखा गया है कि वह दो मास के भीतर आडिटेड एकाउन्ट्स सरकार को भेजे ।
१८	बिजली सप्लाई कम्पनी, गाजीपुर ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रुपया भी सरकारी कोष में जमा नहीं किया था	सरकार के लिखने पर अब जमा कर दिया गया है ।

विधान सभा सदस्य पुस्तिका

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

भ्रष्टाचार विरोधी समितियां जिन जिलों में पुनस्संगठित हो चुकी हैं उनकी तालिका

१	बांदा	१४	लखीमपुर-खीरी
२	मुरादाबाद	१५	अलीगढ़
३	बाराबंकी	१६	बलिया
४	कानपुर	१७	हरदोई
५	गोंडा	१८	टिहरी-गढ़वाल
६	जालौन	१९	रायबरेली
७	बहराइच	२०	हमीरपुर
८	मैनपुरी	२१	उन्नाव
९	देवरिया	२२	सुल्तानपुर
१०	इलाहाबाद	२३	इटावा
११	सहारनपुर	२४	पीलीभीत
१२	देहरादून	२५	बनारस
१३	सीतापुर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर)

सूची

इस प्रदेश में टरपेन्टाइन निकालने के लिये एकत्रित किये जाने वाले लीसे का ब्योरा

रिजर्व्ड फारेस्ट्स			मन	सिविल और पंचायत फारेस्ट्स मन
वेस्ट अल्मोड़ा	..	..	१,००,२९०	२८,नै५०
नैनीताल	..	..	२८,४५०	३,९६०
ईस्ट अल्मोड़ा	..	..	६०,१७०	५,७००
गढ़वाल	..	..	३१,५५०	३,४८०
	योग	...	२,२०,४६०	४१,५९०
टिहरी-गढ़वाल				
टिहरी	...	...	२५,०००	
उत्तरकाशी	...	...	३७ ०००	
	योग	...	६२,०००	
	पूर्ण योग	...	...	३,२४,०५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

अमरोहा, जिला मुरादाबाद में सितम्बर व अक्तूबर सन् १९५५ में हुई चोरी, नकबजनी और ताला तोड़ने की घटनाओं का विवरण

अपराध	दर्ज हुये	जांच हुई	चालान हुये	जांच हो रही है	अदालत में चल रहे हैं	जांच नहीं हुई	फाइनल रिपोर्ट लगी
१	२	३	४	५	६	७	८
चोरी ...	८	६	२	१	२	१	४
नकबजनी ...	३	२	१	१	१	...	१
ताला तोड़ना ...	४	३	...	१	...	...	३

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

सन् १९५४ तथा १९५५ में ज़िला भ्रष्टाचार विरोधी समिति, हमीरपुर द्वारा पास किये गये प्रस्तावों तथा उनपर जो कार्यवाही हुई उसकी तालिका

क्रम-संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही का विवरण
१	हमीरपुर, राठ और मौदहा तहसीलों में भ्रष्टाचार विरोधी कार्य की प्रगति पर सोच-विचार। निश्चय किया गया कि हमीरपुर तहसील उप-समिति को सूचित किया जाय कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खाद्य पदार्थों में भ्रष्टाचार के निवारणार्थ आवश्यक प्रयत्न कर रहे हैं	तदनुसार सम्बन्धित उप-समिति को लिखा गया।
२	निश्चय किया गया कि हाकिम परगना को लिखा जाय कि भ्रष्टाचार विरोधी उप-समितियों की बैठक नियमित रूप से की जायं और कार्यवाही का विवरण ज़िला समिति के पास सूचनार्थ भेजा जाय	तदनुसार सम्बन्धित हाकिम परगना को लिखा गया।
३	थाना बेवर और सुमेरपुर के थानेदारों तथा थानेदार खन्ना के विरुद्ध शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से स्थिति मालूम करने का सुझाव स्वीकृत हुआ	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की जांच से पता लगा कि एक मामले में लगभग सभी गवाहों के बयान हो चुके एवं किसी गवाह के बिगड़ने की संभावना नहीं पायी गई तथा थानेदार खन्ना का प्रत्यावर्तन और तबादला हो गया।
४	भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम के सिंहावलोकन के सिलसिले में यह निश्चय किया गया कि भ्रष्टाचार विरोधी उप-समितियों को आदेश दिये जायं कि वे भ्रष्टाचार के निश्चित मामले पर्याप्त सबूत के साथ ज़िला समिति को भेजें ताकि उन पर उपयुक्त कार्यवाही हो सके और भ्रष्ट कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ने का प्रबन्ध किया जा सके	तदनुसार सम्बन्धित परगना अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी किये गये।

अनुभव विधान सभा

क्रम-संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही का विवरण
५	निश्चय किया गया कि समिति के सदस्य द्वारा जो भ्रष्टाचार के निश्चित मामले पेश किये जायं, उनमें वैभागिक अधिकारी जांच के दौरान में उक्त सदस्य का सहयोग प्राप्त करें	सरकारी आदेश सं० ए-५८६-२५/सी-एक्स, दिनांक २६ फरवरी, १९५४ द्वारा वैभागिक अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिये जा चुके हैं।
६	निश्चय किया गया कि प्रत्येक तहसील उप-समिति को शिकायती बक्स प्रदान किये जायं	तदनुसार शिकायती बक्सों का प्रबन्ध कर दिया गया।
७	निश्चय किया गया कि समिति के सामने जो चार शिकायतें पुलिस के विरुद्ध आई हैं उन्हें सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जांच के लिये भेजा जाय	तदनुसार शिकायतें सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को आवश्यक जांच हेतु भेजी गईं। जांच द्वारा तीन शिकायतें निराधार पाई गईं तथा एक मामले में अदालती कार्यवाही के कारण जांच करना उपर्युक्त न समझा गया। समिति ने अगली बैठक में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की रिपोर्ट स्वीकृत की।
८	भ्रष्टाचार विरोधी उप-समितियों की कार्यवाही पर सोच-विचार। सुझाव स्वीकृत हुआ कि उक्त समितियों को नियमित रूप से बैठक करने तथा कार्यवाही जिला समिति की सूचनार्थ भजने के लिये पुनः आदेश भेजे जायं	तदनुसार सम्बन्धित परगना अधिकारियों को आदेश जारी किये गये।
९	निश्चय किया गया कि तहसील उप-समितियों को, जो शिकायती बक्स दिये गये हैं, उन्हें प्रतिदिन तहसीलदार स्वयं खोलें और शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करें	तदनुसार आदेश जारी किये गये।
१०	भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में सुझाव स्वीकृत हुआ कि ऐसी शिकायतों की तत्काल और मौके पर जांच की जाय, शिकायत करने वाले को सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय और उसे जांच का नतीजा बताया जाय तथा प्राथमिक जांच की कार्यवाही अभियुक्त के समक्ष न की जाय	जिलाधीश तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने अधीनस्थ अधिकारियों को तदनुसार आदेश जारी कर दिये।

क्रम संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही का विवरण
११	भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचार के सम्बन्ध में सुझाव स्वीकृत हुआ कि इस विषय पर पोस्टर तथा अन्य प्रकाशन आदि सूचना विभाग से मंगाकर प्रसारित किये जायं	तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हो रही है।
१२	समिति के समक्ष सदस्यों द्वारा लायी गयी तथा माल और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में निश्चय किया गया कि उन्हें जिलाधीश के पास जांच तथा रिपोर्ट के हेतु भेजा जाय	तदनुसार जिलाधीश को सूचित किया गया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित हा किम परगना को जांच करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किये गये।
१३	समिति के सामने प्रस्तुत की गयी ग्राम समाज अधिकारी तथा पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में निश्चय किया गया कि उन्हें क्रमशः जिलाधीश तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जांच एवं रिपोर्ट हेतु भेजा जाय	तदनुसार कार्यवाही के उद्धरण जिलाधीश तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को आवश्यक जांच के लिए भेजे गये।
१४	यह सुझाव स्वीकृत हुआ कि समिति के सदस्य सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें लिखित रूप में दें, जिसमें सम्बन्धित कर्मचारी का तथा साक्षियों का पूर्ण विवरण हो ताकि जांच में सुविधा हो। निश्चय किया गया कि सभी सदस्यों को इससे अवगत कराया जाय	सभी सदस्यों को प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजी गयी।
१५	निश्चय किया गया कि मौदहा तहसील उप-समिति के समक्ष लायी गयी मौदहा थाने के अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जांच तथा रिपोर्ट हेतु भेजी जाय	तदनुसार कार्यवाही का उद्धरण सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जांच एवं रिपोर्ट हेतु भेजा गया।
१६	निश्चय किया गया कि जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति के विधान के नियम ५ के अन्तर्गत समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी शिकायतों के जांच के सम्बन्ध में जो निर्देश सरकार ने किये हैं उनकी ओर सभी स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाय	भ्रष्टाचार विरोधी समिति के विधान के नियम ५ का उद्धरण प्रत्येक स्थानीय वैभागिक अधिकारी के पास भेजा गया।

क्रम-संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही का विवरण
१७	जांच के सिलसिले में लोगों के थाने पर अनावश्यक बुलाये जाने के संबंध में निश्चय किया गया कि यह प्रथा भ्रष्टाचार का कारण बन रही है, अतः सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से अनुरोध किया जाय कि थानेदारों को आदेश जारी कर दें कि केवल विशेष आवश्यकता होने पर ही व्यक्तियों को थाने पर बुलाया और तब भी सफीना द्वारा ही ऐसा किया जाय	प्रस्ताव की प्रतिलिपि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी।
१८	समिति के समक्ष पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी शिकायतों को सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जांच तथा रिपोर्ट हेतु भेजने का सुझाव स्वीकृत हुआ	तदनुसार शिकायतें सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास आवश्यक कायवाही हेतु भेज दी गयीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९–६० के उत्तर पीछे पृष्ठ १८७ पर)

जिला लखनऊ में सन् १९५५ में ३० नवम्बर तक हुए कत्ल, डकैती तथा चोरी और उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण—

नाम अपराध	कुल संख्या	जांच की गई	चालान हुआ	सजायाब	छूट गया	अदालत में जारी	जांच जारी	जांच नहीं की गई	पता नहीं चला
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
कत्ल ...	४०	४०	२७	३	५	१९	५	...	८
डकैती ...	१८	१८	१३	१	...	१२	२	...	३
चोरी ...	१,८०२	१,७३२	४१९	२०४	३२	१८३	१०८	७०	१,२०५

पी० एस० यू० पी० २१ एल० ए०—१९५६—७९६